खण्ड-199, अंक-7
गुरूवार, 13 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(4 दिसम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवर्सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय,श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय शंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख़्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री

सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

ईश्वरदास टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद को ग्राण्ट के व्यय के सम्बन्ध में शिकायत

*१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद को प्रतिवर्ष कितनी रिकरिंग और कितनी नान-रिकरिंग ग्रान्ट सरकार द्वारा दी जाती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद को सरकार द्वारा प्रति वर्ष २,५४४ रु० रिकरिंग ग्रान्ट दी जाती है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (All India Council for Technical Education) की सिफारिश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १६,००० रु० की रिकरिंग ग्रान्ट सन् १९५६-५७ में दी गई। उसके पश्चात् कोई अतिरिक्त रिकरिंग ग्रान्ट नहीं दी गई है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने उक्त संस्था के लिये कुल ३,८७,०००रु० नान-रिकरिंग ग्रान्ट की भी सिफारिश की है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को १,२५,०००रु० देना है। यह धनराशि संस्था को आवश्यकतानुसार दी जाती है इसमें से १,१२,५०० रु० सन् १९५५-५६ में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी तक कोई नान-रिकरिंग ग्रान्ट संस्था को नहीं दी गयी है।

*२—श्री प्रतापसिंह—श्री बुद्धीसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय के डिप्लोमा को प्रदेश में मान्यता प्राप्त है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। सरकार ने उक्त विद्यालय के १९४९ के पश्चात् के डिप्लोमा को सार्वजनिक निर्माण विभाग में सबार्डिनेट एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवाओं (एलेक्ट्रिकल ओवरसियर) के लिये और विद्युत् विभाग में सबार्डिनेट एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये मान्यता प्रदान की है। इस संस्था के १९४९ के पश्चात् के फर्स्ट क्लास डिप्लोमा को कृषि विभाग के अन्तर्गत राजकीय ट्रैक्टर संगठन तथा कृषिसम्बन्धी वर्कशाप

सर्विसेज के लिये भी मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि जिन पदों के लिये सर्विस रूल्स में डिग्री न्यूनतम योग्यता रक्खी जायगी उसके लिये केवल डिप्लोमा को मान्यता नहीं प्रदान की जायगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में जो १,१२,५०० रुपयों की ग्रान्ट सरकार द्वारा दी गयी थी उस सम्बन्ध में कोई शिकायत आयी है सरकार के पास कि यह रुपया सही तरीके पर खर्च नहीं हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मेरे पास जो कागज हैं उनके देखने से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कोई शिकायत आयी है । लेकिन किसी विशेष शिकायत के सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करेंगे तो देखकर बताने की कोशिश करूंगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि २७ अगस्त, १९५८ को इस हाउस में माननीय जगमोहन सिंह नेगी द्वारा यह बतलाया गया था कि वहां की प्रबंधक कमेटी द्वारा रुपया सही तरीके से खर्च नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में फिर से जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आल इंडिया काउन्सिल आफ टेक्निकल एजूकेशन की सिफारिश के मुताबिक रुपया उनको देने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई बात उठायी गयी कि उनके प्रबंध में पूरी पूरी व्यवस्था नहीं है ? कोई शिकायत किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा हमारे पास नहीं आयी और हम इस मामले को देख रहे हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद जिस क्षेत्र में स्थित है, उस क्षेत्र का कोई विधायक सरकार की ओर से नामिनी हो कर इस रेकरिंग ग्रान्ट की देखरेख के लिये नामजद किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह डिप्लोमा जिसको मान्यता दी गयी है, यह प्रदेशीय सरकार द्वारा दिया गया है या केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रदेशीय सरकार द्वारा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---व्यवस्था सम्बन्धी शिकायत जो सरकार के नोटिस में आई उसकी जांच सरकार किस अधिकारी द्वारा करा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---शिकायत व्यवस्था के बारे में नहीं है, लेकिन जांच के लिये डाइरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन हैं ।

आप्टिकल एवं आप्थैल्मिक ग्लास फैक्टरी को नैनी, जिला इलाहाबाद में स्थापित न करके दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल में स्थापित करने का विचार

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को पता है कि Optical and Ophthalmic Glass Factory चश्मे का जो कारखाना ननी इंडस्ट्रियल एरिया, इलाहाबाद में खुलने वाला था वह अब वहां न खुलकर दूसरे प्रदेश में खुलने जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां । भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि यह फैक्टरी दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में स्थापित की जाय ।

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—आप्टिकल एंड आप्थैल्मिक ग्लास फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५८ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या २ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में जो ५ करोड़ रुपया व्यय होगा क्या उसका कुछ भाग प्रदेशीय सरकार को भी वहन करना पड़ेगा ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि जब फैक्टरी की स्थापना के लिये नैनी में पूरी तैयारी हो चुकी थी तो केन्द्रीय सरकार ने वहां लगाना क्यों उचित नहीं समझा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तैयारी तो कुछ नहीं थी। केवल यह था कि हम पूरी उम्मीद में थे कि वह कारखाना यहां आवेगा । परन्तु चूंकि रूसवालों के पैसे से मिलकर उसे लगाना है और वहां के एक्सपर्ट्स ने नैनी का निरीक्षण करके उसे उपयुक्त नहीं बताया तो हम और केन्द्रीय सरकार उनकी राय को नहीं काट सकते थे और इसलिये वह दुर्गापुर में गई जो हिन्दुस्तान में ही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि बिजली के अभाव के कारण लोग वहां कारखाने नहीं लगाना चाहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बिजली की कमी का कोई प्रश्न नहीं है। वहां पूरी व्यवस्था बिजली की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के उद्योगों से संबंधित मंत्री ने इलाहाबाद में एलान किया था कि यह नैनी में ही खोली जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उन्होंने यह कहा था कि वह कोशिश कर रहे हैं कि यहां यह कारखाना आजाय । उनकी हमारी कोशिशों पर हायल हो गई एक्सपर्ट्स की राय, इसलिये दोनों लाचार हो गये ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या रूस के विशेषज्ञों ने उस स्थान के उपयुक्त न होने के कुछ कारण बताये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केन्द्रीय सरकार को जरूर बताये होंगे ।

पुलिस विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के गजटेड आफिसर

*५—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्र`श पुलिस विभाग में कितने गजटेड आफिसर परिगणित जाति के हैं तथा कित` पिछड़े वर्ग के हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—क्रमशः १३ तथा ६ ।

*६—श्री हरदयाल सिंह (अनुपस्थित)—[१ दिसम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश की योजनाएं

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Planning Research and Action Institute, Uttar Pradesh द्वारा वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितना रुपया किस योजना में व्यय किया गया ?

*८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त Institute द्वारा वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कौन-कौन सी योजनायें परिचालित की जा रही हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--वांछित विवरण† माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है ।

*९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उक्त Institute द्वारा Evolution of a New Man नामक योजना परिचालित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां ।

विवरण† माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस इन्स्टीट्यूट में प्लानिंग की रिसर्च करने के लिये क्या-क्या योजनायें बनाई जा रही हैं और उनके लिये कितना खर्चा रखा गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--माननीय सदस्य की मेज पर जो विवरण रखा गया है उसमें ये सब बातें दी हुई हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार है कि इस इंस्टीट्यूट को प्रोग्राम इवोल्यूशन आर्गनाइजेशन की तरह स्टेट में प्लानिंग के रूप में तब्दील किया जाय या यह काम भी लिया जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इवोल्यूशन आफ ए न्यू मैन की योजना को सारे राज्य में लागू किया जायगा और क्या इसमें समाजवाद के सम्बन्ध में भी शिक्षा देने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसका जवाब तो नवें सवाल के जवाब में दे दिया गया है । इवोल्यूशन आफ ए न्यू मैन का नाम अब हम इवोल्यूशन आफ न्यू यूथ रख रहे हैं । इटावा जिले में अजीतमल, लखनऊ में चिनहट में यह स्कीम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उत्तर के पेज ४ में योजना का आलेख लिखा हुआ है, लेकिन उसकी प्रति मुझे नहीं मिली है ।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं भेज दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस इंस्टीट्यूट में अब तक प्लानिंग की रिसर्च के क्या कार्य किये गये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--जो पाइलट प्रोजेक्ट यह संस्था लेती है उन्हें रिसर्च के तौर पर ही लेती है । कामयाब होने पर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है ।

इण्डस्ट्रीज विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारी

*१०--श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंडस्ट्रीज विभाग, उत्तर प्रदेश में १५ अगस्त, १९५५ से १५ जुलाई, १९५८ तक कितने नये गजटेड आफिसर बढ़ाये गये ? उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

---

†विवरण छापा नहीं गया है ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—(क) १०५ ।

(ख) क्रमशः १ और १ ।

*११—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला खेल-कूद परिषद्, गढ़वाल

*१२—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले में sports और games को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या किया है और इस काम पर इन दो सालों के अन्दर सरकार ने कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—Sports और games को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने गढ़वाल जिले में "जिला खेल-कूद परिषद्, गढ़वाल" की स्थापना की है। जिला खेल-कूद परिषद् को उत्तर प्रदेश कौंसिल आफ स्पोर्ट्स की ओर से १९५६-५७ में २,५००) का और १९५७-५८ में रिजनल कौंसिल आफ स्पोर्ट्स की ओर से ३००) का अनुदान दिया गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या मंत्री जी कृपा कर बतावेंगे कि गढ़वाल जिले में विन्टर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिये सरकार के सामने कोई योजना है ?

श्री सुल्तान आलम खां—दो बार इमदाद दी जा चुकी है और वहां खेल का प्रोग्राम है और रेसलिंग के लिये व्यवस्था है, लेकिन विन्टर स्पोर्ट्स के लिये कोई प्रोग्राम नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—गढ़वाल को कौन्सिल आफ स्पोर्ट्स की तरफ से १९५७-५८ में कोई अनुदान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—सन् १९५७-५८ में रिजनल काउन्सिल आफ स्पोर्ट्स की तरफ से ३००) का अनुदान दिया गया है। हमने यह तय किया था कि हम रीजनल काउन्सिल आफ स्पोर्ट्स को अनुदान दे दें और उसकी तरफ से तकसीम हो ।

*१३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सरकारी अधिकारियों के कोड आफ कण्डक्ट से संबंधित सरकारी आज्ञा

*१४—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाल ही में सरकार द्वारा कोई जी० ओ० सरकारी अधिकारियों के कोड आफ कन्डक्ट के बारे में जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द —जी हां । जी० ओ० की प्रति† प्रस्तुत है ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ऐसी शिकायत मिली है कि इस जी० ओ० के प्रसारित हो जाने के बाद भी कुछ जिलाधीशों ने शिलान्यास और उद्घाटन किये हैं और देहात से आये हुये लोगों से मिलने से इंकार कर दिया है ?

†प्रति छापी नहीं गयी ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन हाल में जरूर एक जिले की बाबत थोड़ी सी बात सामने आयी है लेकिन आम तौर पर इस किस्म की शिकायत नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास प्रदेश से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि इस प्रकार के आफीसर दौरे पर जाते हैं लेकिन क्षेत्रीय विधायकों को उसकी सूचना न देकर बाला-बाला चले आते हैं जिससे उनके सामने शिकायतें प्रस्तुत न की जा सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहली बात तो उनकी नीयत पर हमला है; उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ईश्वरीय दृष्टि तो मुझे हासिल नहीं है। यदि इसमें लिखी हुई बातों के खिलाफ वे कोई बातें करते हैं और माननीय सदस्य यदि उनकी सूचना मुझे देंगे कि फलां आफीसर इस आज्ञा के विरुद्ध काम करता है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा।

बाराबंकी जिले के कुमेदान ग्राम में अवैध शराब, बन्दूक तथा कारतूसों की बरामदगी

*१५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, थाना लोनी कटरा, ग्राम पूरे कुमेदान में आबकारी इंस्पेक्टर तारीख १७ अगस्त, १९५७ को जब तलाशी लेने गये थे तो क्या शराब तथा बन्दूक व कारतूस भी बरामद हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। तलाशी में चढ़ी हुई शराब की भट्टी, एक देशी पिस्तौल तथा दो भरे हुए कारतूस मिले थे। सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा ६० तथा भारतीय आयुध अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इंसपेक्टर तलाशी लेने गया तो उसके साथ कौन-कौन व्यक्ति थे ?

डाक्टर सीताराम—जहां तक मेरी इत्तिला है उसमें सिर्फ इंसपेक्टर ही गये थे और किसी के जाने की इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मामले में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ ?

डाक्टर सीताराम—२ व्यक्तियों का।

श्री जंगबहादुर वर्मा—उन व्यक्तियों के नाम बताने की क्या मंत्री जी कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—श्री पल्टू और उनका लड़का कालीदीन।

श्री जंगबहादुर वर्मा—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस इंसपेक्टर ने तलाशी ली थी, क्या उसने पहले अपनी जामा तलाशी दी थी, यदि हां, तो किसको दी थी ?

श्री अध्यक्ष—इतने ब्योरे के सवाल की इजाजत मैं नहीं दूंगा और उस समय जब कि मामला अदालत के सुपुर्द है।

*१६-१७—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[३ दिसम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३८-३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१८—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[१९ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बाराबंकी जिले में मादक वस्तुओं की बिक्री

*१९—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में सन् १९५६, ५७, ५८ ई० में अब तक कितने गैलन शराब और कितने मन, सेर, गांजा व भांग तथा अफीम की बिक्री हुई और प्रत्येक वर्ष में कितना मुनाफा हुआ ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९० पर ।)

रायबरेली जिलान्तर्गत बछरावां व महराजगंज में बस स्टेशन का अभाव

*२०—श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बछरावां, जिला रायबरेली में अब तक बस स्टेशन न बनने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—वहां अभी तक भूमि पर अधिकार नहीं हो पाया है ।

*२१—श्री चन्द्रिकाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस स्टेशन इन्हौना और बस स्टेशन महराजगंज (जिला रायबरेली) में कब तक बन जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—इन्हाना बस स्टेशन का निर्माण-कार्य अगले वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का विचार है व महाराजगंज में अभी बस स्टेशन बनाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद—वर्तमान बस स्टेशन पर जनता और बस कर्मचारियों को अड़-चन पड़ती है, इसको देखते हुए क्या सरकार उसको जल्द बनवाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—भूमि एक्वायर की जा रही है, उसके बाद ही कार्यवाही शुरू कर दी जायगी ।

बस्ती जिलान्तर्गत डुमरियागंज तहसील में ऊख तौलने का कांटा न होना

*२२—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बस्ती के उत्तरी भाग, तहसील डुमरिया गंज में ऊख तौलने का कोई कांटा नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गन्ना विकास के दृष्टिकोण से तथा इस बात को जानते हुए कि गन्ना उत्पादकों को ४०-५० मील जाकर गन्ना बेचना पड़ता है, सरकार वहां कांटा लगवाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—शीघ्र ही इस सम्बन्ध में फैसला हो जायगा। केन यूनियन और फेडरेशन ने भी इस क्षेत्र में कांटे लगाये जान की सिफारिश की है । गन्ना आयुक्त इसको देख रहे हैं । मुझे आशा है कि यह मामला बहुत शीघ्र तय हो जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा कि करेंगे कि डमरियागंज क्षेत्र रिजर्व्ड एरिया में है या नहीं ? यदि है तो मिल से कितनी दूर है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मिल से यह क्षेत्र १४ मील और २६ मील के बाहर है । रिजर्वेशन एरिया के अन्दर अगर होता तो हम गन्ने की बिक्री के लिये ठीक-ठीक व्यवस्था कुछ करते । इसलिये यह इरादा है कि उसको इसके अन्दर करके वहां कांटे की व्यवस्था वगैरह सब कर दी जाय ।

कानपुर में नहर के निकट बस स्टेशन विस्तृत करने की योजना

*२३—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर शहर में नहर के निकट स्थित बस स्टेशन, नहर को पाटकर विस्तृत बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसका अनुमानित व्यय क्या है ?

डाक्टर सीताराम—इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। लगभग १ लाख रुपया व्यय होगा ।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विचार कब तक हो जायगा और यह योजना कब तक लागू होगी ?

डाक्टर सीताराम—समय बतलाना तो कठिन है लेकिन इर्रीगेशन विभाग से जो पत्र-व्यवहार चल रहा है, उसके बाद ही उस पर कार्यवाही करने का विचार किया जायगा ।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस नहर को न पाट कर किसी दूसरी जगह बस स्टेशन बनाने की सिफारिश या मांग आयी है ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यकता तो वहां पर बस स्टेशन की है ही लेकिन अभी तक किसी दूसरे स्थान के लिये कोई भी मांग नहीं आयी है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १,००,००० रुपये का जो एस्टीमेट है वह एस्टीमेट ऐक्चुअल बन चुका है या अन्दाजा ही अन्दाजा है ?

डाक्टर सीताराम—अभी अन्दाजा ही है, ऐक्चुअल नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार इस बात की ओर भी ध्यान देगी कि बस स्टैंड जिस जगह पर है उस जगह की ट्राफिक कंजेशन को देखते हुए इसी एस्टीमेट के अन्दर या दूसरे एस्टीमेट के अन्तर्गत शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सीताराम—यह एस्टीमेट अभी पास नहीं हुआ है, अभी अन्वाजा ही है। हो सकता है कि इससे ज्यादा रुपया लग जाय या कम में ही काम हो जाय।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १,००,००० रुपये व्यय करने के बाद कितने बसों के खड़े होने का स्थान वहां बन सकेगा ?

डाक्टर सीताराम— अभी यह बतलाना तो कठिक है लेकिन जहां तक ख्याल है जो आवश्यकता है वह पूरी हो जायगी।

महारानी झांसी का महल

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी में कोतवाली की नई इमारत के पास नजूल की जमीन पर जो पुस्तकालय है उसके लिये क्या वह महारानी लक्ष्मीबाई के उस महल में जिसमें कि अभी कोतवाली है स्थान देकर उक्त पुस्तकालय के स्थान पर कोतवाली से सम्बन्धित दूसरी इमारतों के बनाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*२५--- श्री लक्ष्मणराव कदम---यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रानी लक्ष्मी बाई के महल से कोतवाली नई इमारत में पहुंच जाने पर उसका विचार महल को किस उपयोग में लाने का है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह प्रश्न नहीं उठता । किन्तु इस महल को केन्द्रीय सरकार को दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त महल को केन्द्रीय सरकार लेना चाहती है या प्रादेशिक सरकार उसको महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक के रूप में कोई योजना कार्यान्वित करने के लिये देना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, वह अपने संरक्षण में उसको ले ले।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मी बाई का कोई उत्तराधिकारी है जो उस महल को लेना चाहता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनके एक उत्तराधिकारी हैं जिनको सरकार की तरफ से पोलिटिकल पेंशन दी जाती है लेकिन उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि वे उस महल को ले सकें और कोई फायदा भी नहीं है उनको देने में, क्योंकि उसकी रक्षा भी उनसे नहीं हो सकेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग को राज्य सरकार ने इस महल को लेने के विषय में लिखा है ? यदि हां, तो क्या उत्तर आया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसमें मुझे उत्तर याद नहीं, लेकिन हां, हम उनको लिख चुके हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलायेगी कि कोतवाली जो अभी महल के अन्दर स्थित है उसे वहां से हटाने का वह निश्चय कर चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---निश्चय ही नहीं कर चुकी है, बल्कि नई कोतवाली की इमारत बहुत कुछ बन भी चुकी है।

*२६---श्री भगवती सिंह विशारद---[३ दिसम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

डुमरियागंज तहसील में श्रमदान द्वारा निर्मित मार्ग

*२७---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डुमरियागंज (बस्ती) तहसील में १ जनवरी, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितनी मील सड़कें श्रमदान द्वारा बनवाई गईं और उनके लिये कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस अवधि में डुमरियागंज तहसील जिला बस्ती में श्रमदान द्वारा २४ मील, ६ फर्लांग, ५१ गज लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया।

बदायूं जिले में कूपों तथा नलकूपों के लिए तकावी

*२८---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में जनवरी, सन् १९५८ से जुलाई, सन् १९५८ तक सिंचाई की वृद्धि के लिये ट्यूबवेल्स और साधारण कुओं के लिये कितने लोगों को तकावी दी गई और कितनी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जिला बदायूं में इस अवधि के भीतर दी गई तकावी का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	योजना	दी गई तकावी		व्यक्तियों की संख्या जिनको तकावी दी गई
		रु०		
१	ट्यूबवेल	३१,०००	..	४
२	साधारण कुएं	६१,८००	..	१०५

श्री टीकाराम—जिन चार व्यक्तियों को ट्यूबवेल्स की तकावी दी गयी है उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—नाम मालूम करने के लिये तो सवाल नहीं था, इसलिये नाम तो मालूम नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो नाम मालूम करा दूंगा।

श्री टीकाराम—क्या ऐसी भी कोई दरख्वास्त है जो ट्रैक्टर के नाम की थी लेकिन कुएं की तकावी दी गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां—मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—जिन लोगों को ट्यूबवेल की तकावी दी गयी क्या उन्होंने अपने ट्यूबवेल लगवा दिये ?

श्री सुल्तान आलम खां—ट्यूबवेल के लिये जो तकावी दी जाती है उसके लिये १ साल का मौका दिया जाता है कि १ साल में वह ट्यूबवेल लगवा लें। लेकिन अगर दिक्कतें होती हैं और वह फिर दरख्वास्त देता है तो एक साल की मोहलत और मिल जाती है। इस सब का वेरिफिकेशन मेरे पास मौजूद नहीं है कि कितना एक्चुअली कांस्ट्रक्शन हो गया है और कितना बनना बाकी है।

श्री देवनारायण भारतीय—जो १०५ कुओं के लिये ६१,८०० रुपया दिया गया था तकावी में तो एक कुएं के लिये कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी तकावी दी गयी?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये तो मुझे नोटिस की जरूरत होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो १०५ आदमियों को तकावी दी गयी है यह २ साल के अन्दर वसूल होती है ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह जो तकावी दी जाती है ट्यूबवेल्स के लिये यह १० साल में वसूल की जाती है।

*२९—श्री जंगबहादुर वर्मा—[हटा दिया गया।]

नैमिषारण्य-हरदोई बस सर्विस

*३०—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर) —क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीतापुर में नैमिषारण्य और हरदोई तक रोडवेज बस चलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। आगामी वित्तीय वर्ष में विचार है।

श्री मूलचन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सीतापुर से नीमसार और हरदोई तक अगले वित्तीय वर्ष में बस चलाने का वह विचार करती है तो उसमें कितना रुपया लग जायगा ?

डाक्टर सीताराम—१९५९-६० में चलाने का विचार है। अभी तखमीना नहीं लगाया है कि कितना रुपया खर्च होगा।

लखनऊ में स्टेडियम तथा नवीन म्यूजियम पर व्यय

*३१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारसी बाग के नवनिर्मित म्यूजियम में कितना खर्च हो चुका है और अभी कितना और खर्च होने का अनुमान है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगस्त, १९५८ तक बनारसी बाग के नव निर्मित म्यूजियम में ७,५९,५०० रु० खर्च हो चुके हैं। ६,२७,५०० रु० और खर्च होने का अनुमान है।

*३२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्टेडियम में कुल कितना धन व्यय हुआ है तथा उसका कुल अनुमानित व्यय क्या होगा और यह कब तक तैयार हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लखनऊ स्टेडियम में अगस्त, १९५८ के अन्त तक कुल ७,०७,०६६ रुपया व्यय हुआ तथा उसका कुल अनुमानित व्यय १३.०० लाख रुपया है और माह अप्रैल, १९५९ के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है।

इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में शेड्यूल्ड कास्ट के इंस्पेक्टर

*३३—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में सन् १९५६-५७-५८ में इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर की कितनी जगहें खाली हुयीं और इनमें कितनी शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्व हुयीं और उनमें कितने शेड्यूल्ड कास्ट रखे गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) ४९।

(ख) १८ प्रतिशत।

(ग) २।

श्री चिरंजी लाल जाटव—क्या सरकार बतायेगी कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में इन लोगों के लिये ४९ स्थानों में से शेड्यूल कास्ट के केवल दो व्यक्ति ही लिये गये जब कि १८ परसेंट का उनके लिये रिजरवेशन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच पड़ताल चल रही है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या सरकार ने ऐसा जी० ओ० निकाला है कि जब तक हरिजनों का रिजर्वेशन १८ प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिये अन्य किसी को न लिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी० ओ० तो साफ़ है, उसके इंटरप्रिटेशन वो नहीं हो सकते। शायद ऐसा इंटरप्रिटेशन जी० ओ० का नहीं है जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं।

रानीखेत-द्वाराहाट मोटर मार्ग पर किराये की अधिकता

*३४---श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रानीखेत-द्वाराहाट मोटर मार्ग पर राजकीय रोडवेज द्वारा सवारियों और माल का भाड़ा प्रदेश की अन्य कच्ची सड़कों के मुकाबले अधिक लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना प्रतिमील अधिक लिया जा रहा है और क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां। मैदानी क्षेत्रों की कच्ची सड़कों के मुकाबिले में, अन्यथा इस मार्ग पर सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की कच्ची सड़कों के लिये निर्धारित माल का भाड़ा व किराया लिया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों की कच्ची सड़कों के मुकाबिले इस मार्ग पर ३ २/३ पाई प्रति मील प्रति मन भाड़ा तथा चार पाई प्रति मील प्रति यात्री किराया निम्न श्रेणी (लोअर क्लास) का व ६ पाई प्रति मील प्रति यात्री उच्च श्रेणी (अपर क्लास) का अधिक लिया जा रहा है। कच्ची सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के रखरखाव व परिचालन में अधिक व्यय होता है तथा पर्वतीय मार्गों पर केवल छोटी गाड़ियां ही चल सकती हैं, इस कारण उनके भाड़े व किराये की दरें मैदानी क्षेत्रों की कच्ची सड़कों के मुकाबले अधिक होती है।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि खैरना-अल्मोड़ा मोटर मार्ग तथा पिथौरागढ़-टनकपुर मोटर मार्ग जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और कच्ची सड़कें हैं उन पर यह बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम---किराया तो, जैसा मैं प्रश्नोत्तर में बतला चुका हूं वह कच्ची सड़कों पर जो किराया पर्वतीय क्षेत्रों में लिया जाता है, निर्धारित है, वही लिया जाता है, चाहे प्राइवेट आपरेटर्स लें या सरकारी रोडवेज ले।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में किराये के रेट्स हों उनमें और मैदानी इलाकों में एक ही दरें लागू की जायं ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव की अधिक आवश्यकता होती है और साथ ही पहाड़ों पर छोटी गाड़ियां चलायी जाती हैं इसलिये वहां पर अधिक किराया रखना पड़ता है मैदानी क्षेत्रों के मुकाबिले में। इसलिये यह सम्भव नहीं है कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों का किराया बराबर किया जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने को तैयार है क्योंकि अभी अल्मोड़ा के एक माननीय सदस्य ने कहा और सड़कें बतायीं जह पर इसकी अपेक्षा किराया कम है ? तो क्या सरकार पुनर्विचार करने को तैयार है ?

डाक्टर सीताराम---हरएक मामला सरकार के समक्ष तो हमेशा विचाराधीन रहता ही है। लेकिन जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के किराये का प्रश्न है वह इस वक्त विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि रोडवेज की गाड़ियां उतनी ही कच्ची सड़कों पर किराया ले जितना कि ओ० एम० यू० की मोटरें कच्ची सड़कों पर लेती हैं जो सरकार ने एप्रूव कर रखा है ?

डाक्टर सीताराम---वहां चढ़ाई होती है इसलिये वहां का किराया अधिक है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार आर० टी० ओ० को आदेश देगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भाड़े के जो रेट हैं उनकी एक दफा जांच कर ली जाय क्योंकि वहां के भाड़े की दर दूसरी जगह के भाड़े की दरों से कहीं ज्यादा है ?

डाक्टर सीताराम—जहां तक भाड़े के निश्चित करने का प्रश्न है आर० टी० ओ० विचार नहीं करता है बल्कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते हैं और वही आवश्यकतानुसार भाड़ा फिक्स करते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप चिट्ठी लिख कर भेजते।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मन्त्री महोदय, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आदेश देंगे कि पर्वतीय प्रदेश के भाड़ों की दरों की जांच करें और उनका मुकाबिला रोडवेज के भाड़े की दरों से करें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहाड़ों में एक तरफ का ट्रेफिक होता है, जब सीजन होता है तो गाड़ियां एक तरफ से भरी और दूसरी तरफ से खाली आती हैं। और आखिर में फिर एक तरफ से खाली और दूसरी तरफ से भरी आती हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह—कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन, पर्वतीय क्षेत्र में काम करती है तो क्या सरकार के० एम० ओ० यू० और रोडवेज की दरों को बराबर करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—अभी तो यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेक्निक स्कूल न होना

*३५—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेक्निक स्कूल खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर डिवीजन में कोई इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेक्निक स्कूल नहीं है जिसकी वहां बहुत जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न के दूसरे हिस्से में राय पूछ रहे हैं, आप केवल सवाल पूछें, राय नहीं।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर डिवीजन में कोई इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेक्निक स्कूल नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कहना शायद ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर पोलिटेक्निक स्कूल है और एक गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल भी है जहां पर एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग कोर्स का डिप्लोमा दिया जाता है।

*३६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिलान्तर्गत फरेंदा तहसील में गृह उद्योग प्रशिक्षण स्कूल न होना

*३७—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में मधुमक्खी पालन उद्योग, टोकरी-बेत का काम, रेशम का कीड़ा पालने का काम तथा कारपेन्टरी का स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) जी नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार इसका कारण बतायेगी कि वह वहां क्यों जरूरी नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेश के काफी भागों में इस सम्बन्ध में काफी काम हो रहा है और गोरखपुर के भी कुछ भागों में हो रहा होगा लेकिन जहां तक फरेंदा का सम्बन्ध है वहां के लिये कोई अलग से निश्चित योजना नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि वहां मधमक्खी पालन और बेत की टोकरी आदि का काम आसानी से हो सकता है क्योंकि वहां बेत भी अधिक है और जंगल भी काफी है जहां मधुमक्खी का उद्योग अच्छी तरह से चल सकता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय सदस्य को चाहिये कि वह अपने जिले की इंडस्ट्री सब कमेटी में उठावें इस सवाल को ताकि मामला सिलसिलेवार चले और वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाय ।

पहाड़ी जिलों में छोटे तथा बड़े उद्योगों को बढ़ाने के लिए कार्य

*३८—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार ने योजना में विगत दो वर्षों के अन्दर, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में छोटे उद्योग के संगठन, विकास एवं विस्तार के लिये क्या किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के विगत दो वर्षों में प्रदेश के पहाड़ी जिलों में छोटे उद्योगों के संगठन, विकास एवं विस्तार के लिये पहाड़ी ऊन योजना, सेरीकल्चर योजना तथा फल-संरक्षण योजना चलाई तथा चलते फिरते औद्योगिक शिक्षालय तथा सामूहिक फल-संरक्षण केन्द्र खोले ।

*३९—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि योजना काल में विगत वर्षों के अन्दर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बड़े उद्योग के संगठन, विकास एवं विस्तार के लिये सरकार ने क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—योजना काल के विगत दो वर्षों में बड़े उद्योगों के संगठन, विकास एवं विस्तार के हेतु किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९१ पर ।)

जौनपुर के किले की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*४०—श्री रामलखनसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जौनपुर शहर में जो पुराना किला है उसका जीर्णोद्धार कर उसे उद्यान का रूप देने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह किला भारतीय सरकार के द्वारा सुरक्षित स्मारक है और इसकी मरम्मत का सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से नहीं है । भारत सरकार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस किले के जीर्णोद्धार की कोई योजना नहीं है ।

श्री रामलखनसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस जौनपुर के किले में म्युनिसिपैलिटी की ओर से कूड़ा रखा जाता है और क्या उसको हटाने का कोई प्रबन्ध हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न म्युनिसिपैलिटी से पूछना चाहिये, यहां नहीं ।

*४१—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[हटा दिया गया ।]

रोडवेज कर्मचारियों की आवास व्यवस्था के लिए अनुदान

*४२--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में रोडवेज कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था हेतु सरकार ने कितने भवनों का निर्माण कराया ?

डाक्टर सीताराम--कोई नहीं ।

*४३--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वर्ष में इस कार्य में सरकार कितना धन व्यय करेगी ?

डाक्टर सीताराम--९६,००० रुपया व्यय होगा ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में इस रूप से कितने क्वार्टर बनेंगे और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम--यह बनने शुरू हो गये हैं, यह प्रगति ही है। ये निवासस्थान आजमगढ़, गोंडा, गाजीपुर, आगरा, शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में बन रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये आवास रोडवेज विभाग के किस ग्रेड के कर्मचारियों के लिए बनवाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम-- ये फोरमैन और स्टेशन इंचार्जेज के लिए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार ड्राइवरों और वर्कशाप कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के आवास बनवाने का है ?

डाक्टर सीताराम-- जरूरत तो ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों के लिए पड़ती ही रहती है, लेकिन ये सब काम जितना विभाग के लिए धन है उसके अन्तर्गत ही किये जाते हैं । अगर यकायक सबके लिए हो जाय तो यह बात मुश्किल सी जान पड़ती है इसलिए यह कहना कि सबके लिए बना दीजिये यह ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिन शहरों में इंडस्ट्रियल लेबर हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लेबरर्स के लिए क्वार्टर्स बने हैं वहां रेलवे के निम्न कर्मचारियों के लिए उसमें स्थान दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम--कोशिश तो यही की जा रही है कि पहले बड़े-बड़े शहरों में स्टेशन इंचार्जेज और फोरमैन के लिए निवास-स्थान बनवाये जायं फिर छोटे कर्मचारियों के लिए भी निकट भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वह दिन भर की ड्यूटी के बाद वहां पर आराम कर सकें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का अनुभव है अथवा उन्हें ज्ञात है कि ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए आवास स्थान न होने के कारण ड्यूटी के बाद स्टेशनों पर वे खानाबदोशों की तरह-इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं ?

डाक्टर सीताराम--यह कहना बिल्कुल गलत है कि खानाबदोश की तरह से घूमते फिरते हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जिन निम्न कर्मचारियों की आवास व्यवस्था भी सरकार नहीं कर सकी है उनके लिए कोई आवास भत्ता दिया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--आवास का भत्ता तो नहीं मिलता, लेकिन ड्यूटी के बाद अगर स्टे करते हैं आउट साइड आफ दि स्टेशन तो कंडक्टर और ड्राइवर, दोनों को भत्ता मिलता है।

श्री उग्रसेन--इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारियों के आवासों की सख्त कमी है, क्या माननीय मंत्री जी जहां डिपोज हैं रोडवेज के, उन पर विश्रामगृह बनवाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--यह बात सही है कि जैसे कि डिपोज हैं या बड़े-बड़े स्टेशंस हैं वहां पर उनको सुविधा पहुंचाई जाय, वह प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन धनाभाव के कारण सब के लिए निवास स्थान बनवाना इस समय असंभव है।

विदेशियों की हटाई हुई मूर्तियां

*४४--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों से विदेशी शासकों तथा उनके सामन्तों आदि की कितनी मूर्तियां सन् १९५७ से अब तक हटाई गईं तथा वे मूर्तियां अब कहां रखी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विदेशी शासकों तथा उनके सामन्तों आदि की जो मूर्तियां हटाई गई हैं उनकी सूची संलग्न है। जिलों से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वे पुलिस लाइन में रख दी गई हैं और लखनऊ से प्राप्त कुछ मूर्तियां राज संग्रहालय तथा कुछ पुलिस लाइन में रख दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९२-६९३ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मूर्तियों के हटाने में सरकार का कितना खर्चा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कहना तो बहुत मुश्किल है। इसका कोई हिसाब भी शायद नहीं रखा गया है। कई जगह तो पुलिस वालों ने उठा कर रख दीं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कवाल टाउन्स के पार्कों से जो मूर्तियां हटायी गयी हैं उन जगहों पर ५७ वीं क्रान्ति के सेनानियों की मूर्तियां रखवाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मूर्तियों के हटाने का अध्याय तो समाप्त हुआ लेकिन उनके स्थान पर क्या किया जाय यह अभी कुछ सोचा नहीं गया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--वाराणसी में जो बेनिया बाग से विक्टोरिया रानी की मूर्ति हटायी गयी वह कहां रखी गयी है और जो मूर्ति टूट गयी थी उसका सिर कहां रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो शायद आपके पास ही है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कहां रखी गयी यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि कोई नागरिक ऐसा न होगा जिसने मूर्ति का सिर या और कोई हिस्सा चुरा कर रख लिया हो।

श्री राजनारायण--जो उस विक्टोरिया रानी की मूर्ति का सिर इस सदन में हमने सरकार को देने की बात की थी उसको लेकर क्या सरकार किसी म्यूजियम में रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सोचा जा सकता है, बाकी सिर कैसे आया, कहां से आया यह तो शायद गृह विभाग के सोचने की बात होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कितने विजयी शासकों या सामन्तों की मूर्तियां अभी हटाने को बाकी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मेरी सूचना है शायद सब हटायी जा चुकी हैं। मुमकिन है कहीं भूली भटकी कोई पड़ी हो जिसकी तरफ किसी का ध्यान न गया हो।

श्री झारखंडेराय--क्या प्रान्त में इस समय कोई ऐसी भी मूर्ति है जो हटायी न गई हो ?

श्री अध्यक्ष--यह तो अभी जवाब दिया जा चुका कि करीब-करीब सब हटा दी गयी हैं ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--विदेशी मूर्तियों के हटाने से जो स्थान रिक्त हुये हैं वे अब किस प्रयोग में लाये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--जवाब दिया जा चुका है कि अभी इसके ऊपर विचार नहीं हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--राज्य के भिन्न-भिन्न भागों से जो मूर्तियां हटायी गयीं उन्हें किसी एक स्थान पर सुरक्षित रखने का कोई विचार सरकार का है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब लखनऊ का संग्रहालय बन जायगा तो उन मूर्तियों में कला की दृष्टि से जो बड़ी अच्छी होंगी उनको तो हम कोशिश करेंगे कि यहां ले आयें । बाकी सब वहीं की वहीं रहेंगी । अगर कहीं कोई स्थानिक संग्रहालय बन गया तो वहां रहेंगी । नहीं तो पुलिस लाइन की शोभा बढ़ाती रहेंगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या इलाहाबाद के नागरिकों ने महारानी विक्टोरिया के स्थान पर महामना मालवीयजी की मूर्ति रखने के लिये सरकार के पास लिखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय तो मुझे याद नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार के विचार में यह भी चल रहा है कि इन विदेशी मूर्तियों को विदेश में वापस कर दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, ऐसा कोई विचार तो नहीं है। एक आध मूर्तियां ऐसी हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हमको लिखा है कि फलां मूर्ति अगर हमको आप दे दें तो अच्छा है । मुझे ठीक खयाल नहीं आ रहा है लेकिन हमने बड़े शौक से इसको मन्जूर कर लिया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी बताया गया है कि आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट मूर्ति चाहती है तो क्या उसके कुछ दाम चार्ज किये जायेंगे या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ चीज भेंट कर दिया करती है । दाम हम उनसे क्या लेंगे ।

*४५--श्री देवनारायण भारतीय--[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित १७ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[खाद्य मंत्री से सम्बन्धित ९ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले की मुड़ेरवा चीनी मिल पर बकाया

*४७--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती की शुगर मिल मुड़ेरवा के जिम्मे १९५७ ई० व १९५८ ई० का किसानों का कितना रुपया बाकी है और उसमें से कितना रुपया फ्रीजोन के किसानों का है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१ नवम्बर, १९५८ को इस मिल द्वारा सन् १९५७ व १९५८ ई० का किसानों का क्रमशः ३,०२९.७२ रुपये व ४९,८०१.१७ रुपये दिया जाना शेष है और उसमें से फ्री जोन के किसानों का क्रमशः ७८९.३९ रुपये व १६,८९१.५९ रुपये है ।

श्री रामलाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों का जो रुपया बाकी है उसका कारण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मिल ने रुपया नहीं दिया श्रीमन्, यही कारण है ।

श्री रामलाल---क्या सरकार उस मिल को नेशनेलाइज करके बकाया रुपया किसानों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मिल से रुपया वसूल करने के लिये उसको नेशनेलाइज करने की आवश्यकता नहीं है । वह तो रिकवरी सर्टीफिकेट्स से वसूल हो जायगा और उसके आर्डर्स भी कर दिये गये हैं ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या मंत्री जी बकाया रुपये को किसानों को इंट्रेस्ट के साथ दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां तक मेरी समझ बूझ कहती है नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है और जितना क्या किसानों को मिलना चाहिये, इसको सोच विचार कर आदेश दिये गये हैं ।

गोंडा-बेलसर बस सर्विस

*४८---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोंडा जिले में गोंडा से बेलसर तक बस चलाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

उतरौला, जिला गोंडा में बस स्टेशन न होना

*४९---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उतरौला, जिला गोंडा में बस स्टेशन बनाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि बसों की कमी के कारण या किन कारणों से गोंडा से बेलसर बस चलाने का विचार नहीं रखती है ?

डाक्टर सीताराम---सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण करने की धीरे-धीरे है और गोंडा से बेलसर तक तीन प्राइवेट बसेज चलती हैं । जब राष्ट्रीयकरण करने की नीति धीरे-धीरे है तो एक ही दफा में प्रदेश के सारे स्थानों पर बसेज नहीं चलाई जा सकती हैं, इसलिये नहीं चलाई जायगी । निकट भविष्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९५९-६० में विचार किया जायगा ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि इसी सड़क पर पिछले वर्ष सरकारी बस चलाई गई थी लेकिन किन्हीं कारणों से वह बंद कर दी गई तो सरकार उसको पुनः चलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---जब इस सड़क पर बस चलाई गई थी तो वह लाभदायक सिद्ध नहीं हुई इसलिये बंद कर दी गई ।

श्री गेंदासिंह---इस सड़क पर प्राइवेट बसेज का चलना तो बंद नहीं किया गया है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतायेगी कि उतरौला में बस स्टेशन कब तक बन जायगा और उसका एस्टीमेट क्या है ?

डाक्टर सीताराम---उसका एस्टीमेट ८ हजार रुपये का है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही बन जायगा क्योंकि जमीन ऐक्वायर की जा चुकी है और मुआवजा भी दिया जा चुका है ।

ग्राम पसका, जिला गोंडा में तुलसीदास द्वारा लिखित 'रामचरितमानस' उपलब्ध होने की सूचना

*५०--श्री बलदेवसिंह(जिला गोंडा) तथा श्री लक्ष्मीनारायण दुबे (जिला गोंडा)--क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी कि सरयू तथा घाघरा के संगम सूकर क्षेत्र ग्राम पसका, जिला गोंडा में सन्त नरहरिदास के वंशज के साथ संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस की पुस्तक उपलब्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम पसका, जिला गोंडा में सन्त नरहरिदास के वंशज के पास सन्त तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित-मानस की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है ।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संत नरहरिदास के वंशजों में किन-किन लोगों से तलाश हुई और किस अधिकारी ने किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किन-किन लोगों की बात नहीं जानता लेकिन एक पुस्तक सम्वत् १९४४ की है जिसे आनंदस्वामी कोई कश्मीरी साधू थे, उन्होंने लिखा है । अक्सर भ्रम हो जाता है कि तुलसीदास ने यह पुस्तक लिखी है ।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात की पुनः जांच करवाने की कृपा करेंगे कि वह पुस्तक वहां है लेकिन उस वंश के लोग इस बात का भय मानते हैं कि ऐसा न हो उसको दिखायें तो किताब कोई ले ले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं तो कृतज्ञ हूंगा अगर वह बतला दें कि उनके वंशजों में से किस सज्जन के पास वह पुस्तक है । वह भी विश्वास दिला दें और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारा किताब पर डाका डालने का कोई विचार नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद(जिला उन्नाव)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी राजापुर में तुलसीदास के द्वारा हस्तलिखित जो पुस्तक उपब्लध है उसकी लिपि से और यहां जो पुस्तक उपलब्ध है हैंड राईटिंग एक्सपर्ट से जांच करा के इस बात की यथार्थता का पता लगायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी कोई जरूरत नहीं जब कि वह लोग खुद कहते हैं कि हमारे पास वह पुस्तक नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा से मुख्य मंत्री जी की सेवा में पुस्तक के पहुंचने तक की क्या गारंटी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि माननीय बलदेव सिंह तो विश्वास के पात्र हैं ही । उनका भरोसा नरहरिदास जी के वंशज भी कर लें ।

*५१--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले में महोली चीनी मिल पर बकाया

*५२--श्री मूलचन्द--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में महोली शुगर फैक्टरी पर किसानों का गन्ने का कितना रुपया बकाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१ नवम्बर, १९५८ को इस फैक्टरी पर किसानों के गन्ने का १.८७ लाख रुपया बकाया था ।

श्री मूलचन्द--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया कितने वर्षों का बकाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह रुपया १९५७-५८ के सीजन का बाकी था और उसमें उसका फिर रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कई प्रश्नों से यह प्रतीत होता है कि कई गन्ने की मिलों पर किसानों का रुपया बाकी है, जिन मिलों के ऊपर बकाया है उनके ऊपर कोई उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका उत्तमोत्तम तरीका रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यु करना है । वह हम कर रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या मेहरबानी करके मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू कर देना ही पर्याप्त है या उसका वसूल हो जाना और वसूली क्यों नहीं हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू करने में और वसूल होने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं हुआ है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इरादा यह नहीं है कि सर्टिफिकेट इश्यू हो जायं और रिकवरी न हो ।

श्री उग्रसेन---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिकवरी सर्टिफिकेट केन कमिश्नर देते हैं, वसूली जल्दी करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि जिले में कोई अफसर नियुक्त हो जाय और पैसा जल्दी से मिल जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रिकवरी सर्टिफिकेट पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वह सब हो रही है। इस से ज्यादा मैं आश्वासन दे नहीं सकता।

फल-संरक्षण उद्योग के लिए सहायता

*५३---श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश के फल-संरक्षण उद्योग को कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ में फल-संरक्षण उद्योग के लिए ६.५० लाख का ऋण प्रदान किया।

*५४---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष फल-संरक्षण उद्योग का कार्य करने वाली कितनी फर्मों में सरकार से सहायता की प्रार्थना की थी और कितनी फर्मों को सहायता दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गत वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ में फल-संरक्षण उद्योग का कार्य करने के हेतु छः फर्मों ने ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत सहायता की मांग की थी जिसमें दो फर्मों को सहायता दी गयी।

आजमगढ़ जिले में पंचायत निरीक्षक लिपिक

*५५---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में पंचायत निरीक्षकों के कितने लिपिक Pooled Planning Office में लिये गये हैं और कब से ? उनमें कितने Pooled Planning Office में आने के पहले स्थायी थे और कितने अस्थायी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वर्ष, १९५६-५७ व १९५७-५८ में पंचायत निरीक्षकों का कोई भी लिपिक एकीकृत जिला नियोजन कार्यालय में नहीं लिया गया है।

*५६---श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत निरीक्षकों के लिपिक (Pooled Planning Office) में कार्य कर रहे हैं और किस-किस पद पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एकीकृत जिला नियोजन कार्यालय में पंचायत निरीक्षकों के दो लिपिक जूनियर क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे हैं।

*५७---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिले में कितने पंचायत निरीक्षकों के क्लर्क सन् १९५७ व १९५८ में अब तक स्थायी हुए और किस किस पद पर वे कहां कहां पर कार्य कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५७ व १९५८ में १० पंचायत निरीक्षक लिपिक स्थायी किये गये, जिन में दो एकीकृत नियोजन कार्यालय में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे हैं। शेष पंचायत निरीक्षक के कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश हैण्डी क्राफ्ट्स, लखनऊ में स्टाक का नीलाम

*५८---श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१-३-५४ को खत्म होने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश हैन्डीक्राफ्ट्स, लखनऊ में २,४९,६१२ रुपये के किताबी मूल्य के स्टाक को नीलाम किये जाने के आदेश के बावजूद सिर्फ ६८,०९१ रुपये किताबी मूल्य का स्टाक क्यों नीलाम किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माल के दाम बहुत कम आने के कारण।

*५९---श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शेष १,८१,५२१ रुपये के किताबी मूल्य के स्टाक को भी साथ ही क्यों नहीं नीलाम किया गया? यह बाद में कब नीलाम किया गया और नीलाम नहीं किया गया, तो उसका क्या किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) जैसा कि ऊपर कहा गया, माल के दाम बहुत कम आने के कारण।

(ख) शेष माल में से ९,६८९ रुपये के माल को छोड़ कर सब माल १९५४-५५ तथा १९५७-५८ में नीलाम कर दिया गया। इस शेष माल को नीलाम करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

कानपुर रीजन की ट्रान्सपोर्ट कमेटी की मीटिंग संबंधी विरोधी टिप्पणी

*६०---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन की गत २४ जुलाई की ट्रांस्पोर्ट कमेटी की मीटिंग में झांसी-कालपी (जालौन) रूट के चार बसों के पर्मिट मंजूर हुये थे तथा उक्त मंजूरी के विरोध में कमेटी के किसी सदस्य ने कोई डिसेन्टिंग नोट दिया है? यदि हां, तो क्या वह कृपा करके उस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

*६१---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त परमिट के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से झांसी व जालौन जिलों उक्त तथा अन्य किस-किस रीजन में कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये थे?

डाक्टर सीताराम---वांछित सूचना सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९४ पर।)

*६२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चारों परमिट जिन व्यक्तियों को दिये गये हैं, वे किस-किस स्थान के रहने वाले हैं?

डाक्टर सीताराम---जिला इलाहाबाद के रहने वाले हैं?

नैनीताल जिले के गजटेड अफसर

*६३--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में ऐसे गजेटेड आफिसर कितने हैं जिन को उसी जिले में रहते तीन साल से अधिक हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--५० ।

बलिया जिले के गजटेड अफसर

*६४--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में ऐसे कितने गजटेड आफिसर हैं जो उसी जिले के रहने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२ ।

टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी

*६५--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश के कितने और किन-किन सूती मिलों ने मिलबन्दी के नोटिस वापस ले लिये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किसी ने भी नहीं ।

*६६--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त सूती मिल कब से पुनः चलने लग जायेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न का अधिकृत उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

मलवां ब्लाक, जिला फतेहपुर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६७--श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार के पास मलवां ब्लाक, जिला फतेहपुर के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । शिकायतें निराधार पाई गईं और शिकायती पत्र निक्षेप कर दिए गए ।

*६८-६९--कुंवर श्रीपाल सिंह--[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७०-७१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित ५ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गुप्तकाशी में औद्योगिक आस्थान स्थापित करना

*७२--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले के गुप्तकाशी नामक स्थान में (Industrial Estate) कब तक स्थापित करने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गुप्तकाशी में औद्योगिक आस्थान स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जौनपुर जिले में प्रशिक्षित ग्राम-सेवकों की नियुक्ति

*७३—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के अन्तर्गत १९५७ और १९५८ में कितने ग्राम-सेवकों को ट्रेनिंग दी गयी और उनमें से कितनों को अब तक नौकरियों पर भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वर्ष १९५७ और १९५८ दोनों में मिलाकर विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से जिला जौनपुर के निवासी ४२ ग्राम-सेवक प्रशिक्षण पूर्ण कर निकले जिनमें से ३२ प्रशिक्षितों को नियुक्त किया जा चुका है ।

राज्य में खनिज पदार्थों की कथित खोदाई

*७४—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मिट्टी के तेल, कोयला, लोहा आदि के सम्बन्ध में भूमि की खुदाई की गयी या की जा रही है ? और इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यों तो यह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है परन्तु जहां तक राज्य सरकार को ज्ञात है ऐसी खोदाई हाल में कहीं नहीं हुई है ।

उन्नाव जिले में अल्प बचत योजना में धन

*७५—श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त सन् १९५७ से जुलाई, ५८ तक उन्नाव जिले में तहसीलवार अल्प-बचत योजना में कितना रुपया जमा किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अल्प-बचत में जमा की गयी धनराशि के आंकड़े तहसीलवार नहीं रखे जाते हैं ।

*७६—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित ९ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७७-७८—श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १८ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

श्रीनगर, जिला गढ़वाल में टूरिस्ट सब-ब्यूरो खोलने पर विचार

*७९—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या मुख्य मंत्री जी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में टूरिस्ट सब-ब्यूरो खोलने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । गढ़वाल जिले के श्रीनगर स्वागत केन्द्र को टूरिस्ट सब-ब्यूरो बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

बलिया जिले में सिंचाई के कुएं

*८०—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितने-कितने सिंचाई के कुएं सरकार की सहायता से बनाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वर्ष १९५७-५८ में १७५ और १ अप्रैल, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक १३२ कुओं के निर्माण की सूचना सरकार को मिली है ।

खरीफ आन्दोलन के संबंध में सीतापुर जिले में अधिकारियों के दौरे पर व्यय

*८१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ आन्दोलन के सिलसिले में १ जनवरी, १९५८ ई० से ३० जून, १९५८ तक कितना रुपया जिला सीतापुर में सरकारी अधिकारियों के दौरे पर, पेट्रोल तथा टी० ए०, डी० ए० में व्यय हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला सीतापुर में १ जनवरी, १९५८ ई० से ३० जून, १९५८ तक कुल २,०४६ रुपया ७० नये पैसे पेट्रोल पर तथा १,४११ रुपया ४८ नये पैसे सरकारी अधिकारियों के टी० ए०, डी० ए० में व्यय हुआ ।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारियों ने भी दौरा किया जिन्होंने खरीफ़ आन्दोलन के काम के अतिरिक्त अपने विभागीय काम भी किये । इन पर पेट्रोल पर ५१० रुपया ९४ नये पैसे व ५३५ रुपया २४ नये पैसे टी० ए०, डी० ए० पर खर्च किये गये ।

हरिजन जिलाधीश न होना

*८२—श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधीश हरिजन हैं और कितने पिछड़ी हुई जाति के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई नहीं ।

*८३-८४—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—[बारहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

चीनी मिलों के लिए निर्धारित क्षेत्र न होना

*८५—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों को शुगर मिल एरिया माना गया है और उनमें गुड़, खांडसारी या Open-pan crystal plants के लगने या उनको सहायता आदि देने के बारे में सरकार ने कौन-कौन से प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) स्थायी रूप से किसी शुगर मिल के लिये कोई एरिया निर्धारित नहीं किया जाता । प्रत्येक वर्ष सीजन के शुरू होने से पहले औसतन दस बारह मील की परिधि का क्षेत्र प्रत्येक मिल के लिये सुरक्षित कर दिया जाता है ताकि वह उस सीजन में उसी क्षेत्र का गन्ना खरीदें ।

(ख) कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

*८६—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों का सरकारी नौकरी में सुरक्षित स्थान न होना

*८७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिये सरकारी नौकरियों में सीटें सुरक्षित करने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारत के संविधान के अन्तर्गत ऐसा संरक्षण देना सम्भव नहीं है ।

हरिजन एक्साइज इंस्पेक्टर

*८८--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्साइज इन्सपेक्टर हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम--१०।

*८९--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में कितने आबकारी इन्स्पेक्टर को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--३८ को।

*९०--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें कितने हरिजन आबकारी इंस्पेक्टरों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--किसी को नहीं।

कुम्भ मेले में यू० पी० हैण्डी क्राफ्ट्स के स्टाल पर व्यय

*९१--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी सन १९५४ में कुंभ मेले में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स की ओर से कोई स्टाल स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त स्टाल किसी की देख-रेख में गया था तथा उस पर कितना खर्च पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां ।

(ख) क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग, (औद्योगिक शिक्षालय) वाराणसी की देख-रेख में। उस पर लगभग ९४२ रुपया खर्च पड़ा।

केन यूनियन सर्किल, केवलापुर, जिला गोरखपुर में गन्ना तौलने का कांटा

*९२--श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के केन यूनियन सर्किल नम्बर १०, केवलापुर के किसानों का गन्ना इस समय मोहनापुर ढाले पर कांटा लगा कर तौलाया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

*९३--श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त किसानों का गन्ना १९५० में गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के चानकी घाट पुल पर तौलाया जाता था ? यदि हां, तो अब वहां तौलाने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९४९ में केवलापुर के किसानों का गन्ना चानकी घाट पुल पर तौलाया जाता था किन्तु उसके उपरान्त सड़क खराब होने से ढुलाई के लिये ट्रक न मिलने के कारण इन किसानों का गन्ना लक्ष्मीपुर रेल सेंटर पर खरीदा जाने लगा। गत १९५७-५८ सीजन में रेलवे बैगन प्राप्त न होने से मोहनापुर ढाले पर कांटा लगा कर गन्ने के खरीद की व्यवस्था की गई।

केरा कम्पनी, रौजा, जिला शाहजहांपुर पर गन्ने का कथित बकाया

*९४--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केरा कम्पनी रौजा, जिला शाहजहांपुर पर १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ सीजन का किसानों का कितना गन्ने का दाम बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ नहीं ।

*९५--श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सरकारी गन्ना सेस की कितनी बकाया उपर्युक्त चीनी मिल पर तीनों सीजनों की पृथक्-पृथक् वाजिब है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ नहीं ।

*९६---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ने की कीमत तथा सेस का रुपया वसूल करने की कोई कार्यवाही सरकार ने अब तक उक्त चीनी मिल के खिलाफ की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया चीनी मिल पर कथित बकाया

*९७---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई ग्रामोन्नति सहकारी भण्डार, कमलसागर, पोस्ट रामपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा सन् १९५८ के सीजन में दिये गये गन्ने की हजारों रुपये कीमत देवरिया शुगर मिल, देवरिया के जिम्मे अब भी बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

प्लानिंग कमीशन के विचारार्थ बुन्देलखंड, पर्वतीय व पूर्वीय अंचलों की विकास योजना

*९८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस ने प्लानिंग कमीशन के पास स्वीकृति हेतु पूर्वीय अंचल से सम्बन्धित कोई विशेष विकास योजना भेजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । एक प्रति मेज पर रख दी गयी है ।

*९९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने इसी प्रकार प्रदेश के बुन्देलखड व पर्वतीय अंचलों के हेतु भी कोई विशेष विकास योजना प्लानिंग कमीशन के विचारार्थ भेजी है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं का विवरण भी सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । एक †प्रति मेज पर रख दी गयी है ।

बाराबंकी जिले में भटौली परगना का गन्ना

*१००---श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में ग्राम बतनेरा, हरक्का, वल्लोपुर कुत्लपुर तथा परगना भटौली के तराई वाले अन्य ग्रामों को गन्ने की खरीद के सुरक्षित स्थान से बाहर रखा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

सिसवा-बाजार-गोरखपुर बस सर्विस तथा रोडवेज जनरल मैनेजर के कार्यालय से संबंधित कथित कैनटीन

*१०१---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह गोरखपुर जिले में सिसवा बाजार से गोरखपुर के लिए कोई बस सर्विस चालू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

---

† प्रति छापी नहीं गयी ।

*१०२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर रोडवेज के जनरल मैनेजर के दफ्तर में जो कैन्टीन है उस के ठेके से सरकार को कितनी आय है ?

डाक्टर सीताराम—गोरखपुर रोडवेज के जनरल मैनेजर के दफ्तर में रोडवेज की कोई निजी कैन्टीन नहीं है।

सहायक जनरल मैनेजर, ट्रान्सपोर्ट, गोरखपुर के कार्यालय से कुछ कर्मचारियों का हटाया जाना

*१०३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक जनरल मैनेजर, ट्रांसपोर्ट, गोरखपुर के कार्यालय में कितने कर्मचारियो को सन् १९५६ में नोटिस देकर निकाला गया तथा निकाले गये कर्मचारियों में से पुनः कितने को रखा गया ?

डाक्टर सीताराम—सहायक जनरल मैनेजर (ट्रैफिक) गोरखपुर ने ८ कर्मचारियों को नोटिस देकर निकाला और उनमें से ३ फिर से नौकरी में रख लिये गये।

*१०४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकाले गये कितने कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में अपील की और उनका परिणाम क्या हुआ ?

डाक्टर सीताराम—केवल एक कर्मचारी ने हाई कोर्ट में अपील की पर अभी तक अपील पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

घी मर्चेन्ट एसोसिएशन, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर का स्मृतिपत्र

*१०५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर स्थित खुर्जा नामक स्थान से कोआपरेटिव घी मर्चेन्ट एसोसिएशन लि० के अध्यक्ष ने गत दिनांक २२-७-५८ को उद्योग मन्त्री के नाम कोई स्मृति-प त्र उक्त स्थान के घी के व्यापारियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके उक्त स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य बातें तथा उसके सम्बन्ध में सरकार जो कार्यवाही करने जा रही है वह सदन के सम्मुख रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।

(ख) उस पत्र में कहा गया है कि देहली राज्य के अधिकारी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, मुख्यतः बुलन्दशहर जिले से दिल्ली को दूध भेजने की योजना बना रहे हैं जिससे खुर्जा के घी उद्योग के नष्ट होने का खतरा है। अतः यह प्रार्थना की गयी है कि उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को दूध का निर्यात बन्द कर दिया जाय।

(ग) उक्त स्मृति-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की डेवलपमेंट ब्लाक, बीकापुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत

*१०६—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास लखनऊ युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की ओर से, जो डेवलपमेंट ब्लाक बीकापुर, जिला फैजाबाद में कार्य करने के लिए भेजे गये हैं, गत मई, जून मास में उन के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की कोई शिकायत आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक विकास आयुक्त, जिला नियोजन अधिकारी तथा प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र ने बीकापुर जाकर उन विद्यार्थियों को खंड विकास अधिकारी से जो गलतफहमी पैदा हो गयी थी, उसका निवारण कर दिया है।

प्रशिक्षित ग्राम-सेवक

*१०७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ १/२ वर्ष की ट्रेनिंग पाये हुये कितने ग्राम-सेवकों को अभी नियुक्ति नहीं मिल सकी है और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे ३३० प्रशिक्षितों को अभी तक ग्राम-सेवक अथवा उसके समकक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है।

*१०८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेनिंग प्राप्त कितने ग्राम-सेवक ऐसे हैं, जिन्हें पुनः सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ट्रेनिंग पाए हुए १७० ग्राम सेवकों को सहकारी सुपरवाइजर के पद हेतु ट्रेनिंग लेने के लिए सहकारी विभाग द्वारा आदेश दिये गये। इसका कारण यह था कि भारतीय सरकार द्वारा विकास क्षेत्रों को खोलने की योजना में भारी कमी हो जाने से ट्रेनिंग पाये हुए ग्राम-सेवकों को स्थान नहीं दिया जा सका। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेशीय सहकारी संघ से प्रार्थना की गई है कि बाहरी व्यक्तियों को सहकारी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करने के स्थान पर इन्हीं ट्रेनिंग पाए ग्राम-सेवकों को नियुक्त किया जाय। चूंकि ग्राम-सेवक की ट्रेनिंग प्राप्त करने से सहकारी सुपरवाइजर पद के प्रशिक्षण की पूर्ति नहीं होती, इसलिए सहकारी विभाग द्वारा इन्हें ६ सप्ताह की ट्रेनिंग में जाने के आदेश दिये गये।

*१०९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षित ग्राम-सेवकों को जिन्हें सहकारी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दी जा रही है उनका वेतन-क्रम नियुक्ति के बाद क्या होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इनको ४०-२-६०-४-८० के वेतन-क्रम में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया जायगा। इन्हें उक्त वेतन-क्रम में ४८ रुपये प्रति मास प्रारम्भिक वेतन दिया जायगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित महंगाई भत्ता व ११ रुपये प्रति मास निश्चित यात्रिक भत्ता भी दिया जावेगा।

बिल्थरारोड, किड़िहड़ापुर सहकारी गन्ना समिति, जिला बलिया का रजिस्ट्रेशन

*११०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन डेवलपमेंट विल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर, जिला बलिया का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विल्थरा रोड, किड़िहड़ापुर सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड, जिला बलिया का रजिस्ट्रेशन २४ मार्च, १९५८ को हुआ।

*१११--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन सेल सोसाइटी, बलिया के "आफर" को पद्मपत मोतीलाल शुगर मिल, भटनी, जिला देवरिया ने क्यों नहीं स्वीकार किया तथा केन सेल सोसाइटी, बलिया ने कितने वर्षों तक विल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर में गन्ना विक्रय का कार्य किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केन सेल सोसाइटी, बलिया द्वारा भटनी मिल को गन्ना देने का कोई "आफर" नहीं हुआ। इस केन सेल सोसाइटी ने केवल किड़िहड़ापुर में गत ७ वर्षों से गन्ना विक्रय का कार्य किया है।

रोडवेज बस-दुर्घटनाओं में मृत्युएं

*११२--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में सन् १९५६ से अब तक कितने व्यक्ति रोडवेज बसों से दब कर मर गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--जनवरी, सन् १९५६ से अगस्त, सन् १९५८ तक रोडवेज बसों से १४७ व्यक्ति दब कर मरे ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)--[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित १२ दिसम्बर, १९५८ के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में मिट्टी पलटने वाले हलों की बिक्री

२--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में विकास क्षेत्र, हैदरगढ़ व रामनगर तथा सिदौली में सन् १९५८ में कितने मिट्टी पलटने वाले हल बिक्री हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उक्त तीन विकास-क्षेत्रों में, १९५७ में, मिट्टी पलटने वाले कुल २४५ हलों की बिक्री हुई--२७ हलों की हैदरगढ़ में, १७६ हलों की रामनगर में तथा ४२ हलों की रुदौली में ।

आगरे की मिलों को पिग आयरन

३--श्री आदिराम सिंघल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा में किस-किस मिल को कितना-कितना pig iron का quota मिला हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किसी मिल का पिग आइरन का कोटा नियत नहीं है। पिग आइरन की उपलब्धि के अनुसार मिलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जिलाधीश तथा उद्योग संचालक की सिफारिश पर विभिन्न तिमाहियों में भिन्न-भिन्न कोटा दिया जाता ह ।

साहू कैमिकल्स फैक्टरी, दुल्हीपुर के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण ने भेजा है जो इस प्रकार है :--

"उत्तर प्रदेशीय सरकार ने गत वर्ष करीब डेढ़ करोड़ रुपया शान्ति प्रसाद जैन को वाराणसी जिलान्तर्गत दुल्हीपुर में साहू कैमिकल्स फैक्टरी स्थापित करने के लिये कर्ज दिया था। साहू फैक्टरी ने ६,००० किलोवाट का बिजली प्लान्ट खड़ा किया। अब फर्टिलाइजर्स प्लान्ट की क्षमता बढ़ाने के लिये जैन साहब रुपये की आवश्यकता बताते हैं और उस रुपये की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने अभी हाल ही में करीब एक करोड़ रुपये से बिजली का प्लान्ट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। सरकार ने जैन साहब को फैक्टरी चलाने के लिये सस्ते दाम पर बिजली देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। सरकार के इस रवैये से जन धन का दुरुपयोग चौतरफा होगा, प्रथम निजी पूंजीपतियों को कर्ज देना, फिर उनके द्वारा खड़ा किये गये प्लान्ट को अधिक दाम पर खरीदना, फिर खरीदकर उसी फैक्टरी प्रबन्ध को सस्ते दाम पर बिजली देना, और बाद में जब रिहन्द बांध से बिजली मिलने लगे तो उन्हीं प्लान्टों को उखाड़कर दूसरी जगह ले जाने में जन धन का खर्च करना।

अभी हाल में पार्लियामेंट में उठाये गये प्रश्नों से इस रहस्य का उद्घाटन हुआ है कि शान्ति प्रसाद जैन के पास स्वयं काफी रुपया है और विदेशी बैंकों में उनके विदेशी मुद्रा में खाते खुले हैं।

[श्री अध्यक्ष]

ऐसी स्थिति में प्रान्तीय सरकार ने जिस ढंग पर शान्ति प्रसाद जैन को कर्ज दिया और अब पुनः उनके बिजली प्लान्ट को खरीदने का प्रस्ताव किया है उससे जन धन के दुरुपयोग की बड़ी सम्भावना बढ़ी है और आम जनता में सरकार की इस नीति पर व्यापक असन्तोष है।

अतः यह सदन जनहित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक तथा निश्चित विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह विषय क्या है और यह मामला निश्चित और तात्कालिक भी है या नहीं ?

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---निर्णय तो आप करेंगे लेकिन इसकी अनिश्चितता इसी बात से सिद्ध है कि इसमें एक ही विषय होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इसमें २, ३ बातों का जिक्र किया गया है। जिस ऋण का इसमें जिक्र किया गया है वह उस कारखाने को कई वर्ष पहले दिया गया था। इस बात का भी इसमें जिक्र है कि इस वक्त किसी बिजली के कारखाने की खरीदने की बातचीत हो रही है। इस वक्त तक कोई बिजली की मशीनरी खरीदी नहीं गयी। यह बात गलत है सरकार का सस्ते दाम पर बिजली देने का विचार नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह अनिश्चित है और इसमें कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---इसमें १ करोड़ रुपये देने की बात है जिस पर वह बहस करना चाहते हैं। सरकार यह रुपया देना चाहती है इस वजह से वह इसमें अर्जेन्सी समझते हैं। तो इसमें कहां तक निश्चितता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१ करोड़ रुपये देने की बात भी निश्चित नहीं है और इस वजह से भी यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। मैं इस बात को जरूर समझता हूं कि यह विषय इस सदन के सामने आ जाय तो अच्छा है। यदि आप की आज्ञा होगी तो इसकी बाबत किसी दिन मैं एक बयान सदन के सामने दे दूंगा किन्तु आज वह नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)---आप किस तरह से इसमें निश्चित बात समझते हैं। फिर उसी निश्चित विषय की अर्जेन्सी भी आप कृपया बतायें।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इसमें अर्जेन्सी इस तरह से है कि यदि आप लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५८ को सामने रखें तो इसके पृष्ठ १० पर जो कि शेयर के मामले से सम्बन्धित है, वह पूरे राज्य के बारे में है। उसका थोड़ा हिस्सा मैं सदन में पढ़ देना चाहता हूं "सरकार की बात मान लेने पर भी कम्पनी के साथ जो प्रबन्ध किया गया और प्राइवेट सेक्टर में एक कम्पनी को जो सहूलियत दी गयी उससे ६,४४,६२२ रुपये की हानि हुई है। दिसम्बर, १९५७ में इस बात की रिपोर्ट सरकार को दी गयी और फरवरी, सन् १९५८ में उन्होंने सूचित किया कि जो कार्यवाही की गयी है उससे कम्पनी को फिर से चालू करने और बहुत से लोगों को रोजगार दिलाने में मदद मिली है। इस में स्पष्ट नहीं है कि किस विलीनीकृत राज्य की फैक्टरी की यह बात है। एक संकेत इसमें दिया है। सरकार की इस पालिसी के सम्बन्ध में आडिटर ने भी अपनी रपट में इस बात को बराबर लिखा है कि सरकार जो पूंजीपतियों को कर्जा दे रही है उसमें जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है ...

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्वाइन्ट आफ आर्डर, किसी विलीनीकृत राज्य की फैक्टरी का जिक्र इसमें किया जा रहा है। यह विलीनीकृत राज्य की फैक्टरी नहीं है जो कि किसी दूसरे विषय से सम्बन्धित है। तो उसका जिक्र इस मौके पर किया जा सकता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं वह इसको बता रहे हैं कि कहां तक यह अर्जेन्ट है। यदि वह असंगत होंगे तो मैं उन्हें रोक दूंगा। मुझे उसके ऊपर फैसला देना है इसलिए मैंने उनको पहले मौका दिया है। इस कारण मैं बीच में रोकता नहीं हूं। जब वह सारे प्वाइण्ट्स रख देंगे तो उस के बाद मैं उन सब पर निर्णय दे दूंगा।

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में मैं आप से यह निवेदन करूं कि इस फैक्टरी की पूरी जानकारी मुख्य मन्त्री जी को भी है और मुझे भी है। मैं निश्चित इसलिए कहता हूं कि मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी की है। मैंने सरकारी साधनों से भी जानकारी की है। यह बतलाया गया है आज भी कि यह प्रस्ताव है कि हम इस प्लान्ट को खरीदें। अब आप देखें . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। तो मतलब यह है कि आपको सूचना है कि प्लांट खरीदने का केवल प्रस्ताव है। अब उस के बारे में मुख्य मन्त्री जी स्टेटमेंट देंगे कि क्या यह बात निश्चित हो गई है या नहीं। जब श्री राजनारायण जी ने मेरे पास इस प्रस्ताव को भेजा तो उन्होंने यह कहा था कि यह चीज निश्चित हो चुकी है कि यह रुपया उनको देकर प्लांट को लिया जायगा और चूंकि उसमें अपव्यय हो सकता है इसलिए मैं यह प्रस्ताव ला रहा हूं।

श्री राजनारायण—यह निश्चित है और यह प्रस्ताव मान लिया गया है कि इसको खरीदा जाय। आज मुझको यह बतलाया गया कि हमारे इन्जीनियर जा रहे हैं और इस प्लान्ट को देख कर फिर से एस्टिमेट करेंगे कि एक करोड़ रुपया दिया जाय या दो करोड़ दिया जाय या तीन करोड़ दिया जाय, लेकिन उसको लेने का प्रस्ताव निश्चित रूप से सरकार ने मान लिया है।

श्री अध्यक्ष—अभी तो इस के बारे में अर्जेंसी बिलकुल नहीं है। जब मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की बात कह दी है तो मुझे कोई अर्जेंसी की बात इस में दिखायी नहीं देती कि आज ही इस पर विचार हो जाना चाहिए। बाकी जो विषय है, यह जो आडिट रिपोर्ट अभी पढ़ कर सुनायी गयी, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। रिपोर्ट में तो संकेत कई चीजों के लिए हो सकता है। तो केवल इसी निश्चित विषय के सम्बन्ध में उसमें संकेत हो, ऐसी बात नहीं है। इस लिए इसमें निश्चितता नहीं मालूम होती और दूसरे अर्जेंसी भी नहीं है। अगर किसी विषय के बारे में, निश्चितता भी हो जाय, तो भी आवश्यकता होनी चाहिए। जब अभी मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का वायदा किया वह इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट देंगे इसके बाद उसकी अर्जेंसी खत्म हो जाती है। स्टेटमेंट के बाद जो प्रश्न करने होंगे, वह माननीय सदस्य कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर अगर कल स्टेटमेंट दे दें तो अच्छा हो, नहीं तो मैं . . .

श्री अध्यक्ष—जब इतना महत्व का स्टेटमेंट मुख्य मन्त्री जी देने वाले हैं तो यह कहना कि उस बीच में रुपया देने के बाद वह स्टेटमेंट देने वाले हैं, इस बात का कोई खतरा नहीं है।

श्री राजनारायण—शायद मैं कल जा रहा हूं और फिर स्टेटमेंट दिये जाने के बाद हमारी जानकारी सदन में कैसे आ पायेगी, मैं इसीलिये निवेदन कर रहा था कि अगर वह कल स्टेटमेंट दे दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—हम लोगों की उम्र काफी ऊंची हो चुकी है और अब हम लोगों की उम्र ऐसी नहीं है कि जो इच्छा जब हो उसी समय उसे पूरी होनी चाहिये, ऐसी हम आकांक्षा करें।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन कर रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष--मैं अब अधिक भाषण की इजाजत नहीं देता। मुख्य मंत्री जी जितना शीघ्र समझेंगे स्टेटमेंट देंगे। मैं समझता हूं कि यही ज्यादा अच्छा होगा। मैं कोई वायदा इसके लिये उनसे मांगने को तैयार नहीं हूं। वह स्वयं ऐसा वायदा करना चाहें तो दूसरी बात है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे अगले साल के उत्तर प्रदेश के प्लान के सम्बन्ध में शायद यहां से उठकर सीधे दिल्ली जाना है और आज कल मैं वहीं रहूंगा। उसके बाद जिस दिन आप कहें, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--जिस दिन आप उचित समझें वक्तव्य दें। मैं उसमें कोई शीघ्रता नहीं चाहता और अब आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो मैं यह मान लेता हूं कि स्टेटमेंट दिये जाने के पहले रुपया दिया जाने वाला नहीं है, इसलिए कोई जल्दी की बात नहीं है।

जिला देवरिया के कुछ गांवों के गन्ना उत्पादकों द्वारा कप्तान गंज शूगर फैक्टरी को गन्ने की सप्लाई बन्द करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री व्रजनारायण तिवारी जी का दूसरा कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है :

"जिला देवरिया के ग्राम मधवलिया, मिसवा बेलभरिया, सौनिया, अर्कपूर, रोहुआ, तकिया, विशुनपुरा व मुन्डा के गन्ना उत्पादकों ने कप्तानगंज शूगर फैक्टरी को पिछले ११ दिनों से इसलिए गन्ना देना बन्द कर दिया है कि उनकी दूरी अधिक तथा मार्ग कठिन है। उनके लिए एक पर्चेजिंग सेन्टर की व्यवस्था की जाय। उक्त गन्ना उत्पादकों ने कई सालों से सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयत्न किया किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। गन्ना उत्पादकों के गन्ना देने से बन्द कर देने से गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। जब कि उतनी ही दूरी के दूसरे गांवों की गन्ने की व्यवस्था परचेंजिग सेन्टर अर्कपुर तथा मेंसही सेन्टर पर कर दी गयी है। अतः इस गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

परसों इस प्रश्न को उठाना चाहिए था। परसों इसे नहीं उठाया गया और कल भी नहीं उठाया था। इसका मतलब है कि माननीय सदस्य इसकी अर्जेंसी को स्वयं ही नहीं मानते इसीलिए उन्होंने उसको तीसरे रोज उठाया।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी बातें इस प्रस्ताव में शामिल कर दी गयी हैं। इस कारण से और अर्जेन्सी न होने की वजह से मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप बाकायदा प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी है?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--मान्यवर, इस ऐडजर्नमेंट मोशन के बारे में जांच पड़ताल की। कुछ दिन पहले कृषि मन्त्री जी के पास इस सम्बन्ध में एक कागज आया। उस पर जांच हो रही है और आशा है शीघ्र ही इसका फैसला हो जायगा। मिल चल रही है।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८*

परिवहन मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्यगण इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कर लिये होंगे। अध्यक्ष महोदय, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ में पहली बार बना और उसकी अनुसूची में मोटर गाड़ियों पर जो कर हैं वे नियत हैं। दूसरे इस ऐक्ट का संशोधन १९५२ में पहली बार हुआ। उस ऐक्ट के संशोधन के पश्चात् परिस्थितियां आज जो हैं वह बदल गयी हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब कि सड़कों का कन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है और उनको मेन्टेन करना पड़ता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हमारे यहां का टैक्सेशन भारत के और सूबों से कम है, इसलिए यहां पर भी यह जरूरी हो गया है कि टैक्स बढ़ाया जाय। इस विधेयक को पढ़ने के पश्चात् माननीय सदस्यगण महसूस करेंगे कि इस विधेयक में कोई ऐसी नयी बात नहीं है जिसमें हम यह महसूस कर सकें कि वास्तव में हम अपनी नीति से हट रहे हैं। बल्कि इस संशोधन में सिर्फ इतनी ही बात है कि प्राइवेट करियर्स पर, टैक्सीज पर, बसेज पर, ओटो-साइकिल्स पर और मोटर साइकिल्स पर टैक्स बढ़ाया जाय। लेकिन इसमें पब्लिक कैरियर्स पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इस तरह से टैक्स बढ़ाने के पश्चात् भी जब हम उसका और सूबों से मुकाबला करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब भी वह दूसरे सूबों के मुकाबिले में कम है। इसलिए इस बारे में मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि सन् १९५२ में इसमें कुछ अनियमितताएं हो गयी थीं, उनको भी इसमें दूर किया गया है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह भी कह देना ठीक समझता हूं कि हमारे सूबे और दूसरे सूबों के बीच में रेसिप्रोकल ऐरेंजमेंट है, जैसे राजस्थान, मध्य-प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली या बिहार की गाड़ियां हमारे सूबे में आती हैं या यों कहें कि पिकनिक के वक्त या शादी विवाह के समय बहुत से व्यक्ति इस सूबे में आया करते हैं और यद्यपि वे यहां ३, ४, ५ दिन ही ठहरते हैं लेकिन टैक्सेशन ऐक्ट के मुताबिक उनको ३ महीने का टैक्स देना पड़ता है जो हमारे सूबे के लिए बहुत ही अनुचित बात मालूम पड़ती थी। इसलिए इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि अगर बाहर के सूबे से जहां से हमारा रेसिप्रोकल ऐरेंजमेंट है, गाड़ियां यहां आती हैं तो उनको प्रोपोर्शनेट टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए उन बातों को ध्यान में रखते हुए वीकली टैक्स उनसे लिया जायगा यानी अगर ४ दिन ठहरते हैं तो उनसे ७ दिन का टैक्स लिया जायगा, जो अब तक उनसे ३ महीने का टैक्स इसके लिए लिया जाता था वह नहीं लिया जायगा। इस से हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा भी उनकी निगाह में बढ़ती है।

दूसरी बात इस में खास तौर से यह रखी गयी है कि ऐग्रीकल्चरल परपज को छोड़ कर और जगह जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल किये जायेंगे उन पर तो १०० रु० टैक्स लिये जाने की व्यवस्था है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिए जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल किये जायेंगे, उनके लिए टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। क्योंकि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों में सहयोग देना है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे ट्रैक्टर्स जो कृषि के उत्पादन में ज्यादा सहायक हो सकते हैं उन पर टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन विधेयक है, बहुत ही सिम्पुल है और मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

---

*१-१२-१९५८ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आम बहस के लिए हम लोगों को पहले ही समय निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि आज ही इस पर आम बहस होगी, उसके बाद खंडों पर विचार होगा और विधेयक पारित भी होगा। तो उस के लिए समय निर्धारित हो जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, मैं तजवीज करता हूं कि १ बजे तक तो इस पर आम बहस रहे और उसके बाद खंडवाइज ले लिया जाय और फिर ५ बजे तक यह रहे।

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है, लेकिन आम बहस कब तक चलेगी ?

राजा वीरेन्द्र शाह---सवा बजे तक।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि संशोधनों के लिए समय कम लिया जाय, क्योंकि संशोधन कम दिखलायी पड़ते हैं लेकिन आम बहस के लिए आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय यानी सवा २ बजे के आधा घंटा बाद तक आम बहस चले ।

श्री अध्यक्ष---यानी पौने ३ बजे तक।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि संशोधन इसमें कम हैं इसलिए ३ बजे तक तो आम बहस चले, उसके बाद खंडों पर विचार हो।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, ३ बजे तक आम बहस होगी और ३ बजे से लेकर पौने ५ बजे तक खंडों पर राय ली जायगी और फिर १५ मिनट के अन्दर तीसरा वाचन पारित होने के लिए हो जायगा। तो यही समय निर्धारित हुआ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण है, इसमें एक बात लिखी हुई है कि "सड़कों के निर्माण तथा सुधार में बढ़े हुये व्यय को पूरा करने के लिए इन करों की दरों में कुछ वृद्धि की जाय।" तो मैं आप के द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर सरकार को रोडवेज से कितनी आमदनी हुई है और कितनी वृद्धि से वह व्यय की पूर्ति करना चाहती है, इसके फीगर्स भी सरकार हमको दे दे।

श्री अध्यक्ष---(डाक्टर सीताराम से) आप इस समय आँकड़े दे सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम---पुराना ऐक्ट, जो १९५२-५३ व ५४ का है उस को माननीय सदस्य देखेंगे तो उसमें सब बातें स्पष्ट हैं।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस उद्देश्य और कारणों को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बात लिखी है कि "चूंकि सड़कों के निर्माण कराने हैं और उसके सुधार में कुछ व्यय बढ़ गया है, उनकी पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जा रहा है।" तो मैं चाहता हूं कि कितनी सड़कों का निर्माण करना है और क्या सुधार करना है और सरकारी रोडवेज की आमदनी इधर २ वर्षों में बढ़ी है या घटी है, ये सब आंकड़े हम को मिल जायं।

श्री अध्यक्ष---यह तो मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन विधेयक है, इसका रोडवेज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---मेरा कहना यह है कि उस आमदनी से खर्चा मीट हो जाता है तो टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---यह गलत बात है। पूरा बजट एक चीज होती है। इसलिए आमदनी अलग-अलग कर के उसका असर किसी पर डालें ऐसा प्रश्न उठाया नहीं जा सकता।

श्री राजनारायण---रोडवेज की आमदनी का अलग हिसाब है।

श्री अध्यक्ष---रोडवेज विभाग से तो सड़कें बनती नहीं हैं।

अब श्री ब्रजनारायण तिवारी का एक संशोधन है। श्री शिव प्रसाद नागर उनके स्थान पर उसे प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जनमत जानने के लिए २१ दिन तक घुमाया जाय, यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

यह संशोधन विधेयक केवल एक अधिकार प्राप्त करने की गरज से लाया गया है। इसके अनुसार सब-इन्स्पेक्टर को यह अधिकार प्राप्त होगा कि अगर कोई गाड़ी बगर टैक्स के है तो उसे कहीं भी वह रोक सकता है और पड़ोस के किसी थाने में ले जा कर बन्द कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर बड़ी खामी रह गयी है, इसलिए इसे जनमत के लिए घुमाया जाय। अगर उस ट्रक पर कोई ऐसा माल लदा हुआ हो जो २४ या १२ घंटे के अन्दर खराब हो जाय या सड़ जाय और गाड़ी ऐसी जगह पकड़ी गयी जो ५०--१०० मील दूर हो और वह गाड़ी किसी देहात के थाने में बन्द कर दी गयी तो माल सारा सड़ जायगा। कोई ऐसा प्राविजन इसमें नहीं रखा गया है जिसके अनुसार उस माल की व्यवस्था हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जो टैक्स गाड़ियों का जमा नहीं होता है उसका एक कारण यह भी है कि इस रीजन का टैक्स लखनऊ में जमा होता है। गाड़ी वालों का १००--१५० मील आना मुश्किल होता है जिससे वे टैक्स जमा नहीं कर पाते। अगर इस विधेयक में यह भी व्यवस्था कर दी जाय कि हर जिले में जहां गाड़ी हो वहां के खजाने में टैक्स जमा हो सकता है तो यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि गाड़ी का टैक्स जमा नहीं हुआ। १००--१५० मील आने में जो असुविधा होती है उसी के कारण टैक्स बकाया रह जाता है। जब टैक्स बाकी रह जाता है तो फिर गाड़ी इस संशोधन विधेयक के मातहत पकड़ी जा सकती है। अगर ट्रक का मालिक नहीं है ट्रक कानपुर की है अगर गाड़ी पकड़ी गयी खीरी में तो वहां ड्राइवर टैक्स तो जमा नहीं कर सकता। वह ड्राइवर और गाड़ी न मालूम कब तक फिर वहां बन्द रहे। जब तक मालिक वहां जाकर टैक्स जमा करेगा तब तक माल भी सड़ जायगा और हजारों रुपये का नुकसान हो जायगा, यह बड़ा अन्याय होगा। इसलिये मेरा यह मत है कि इसे जनमत के लिये घुमाया जाय।

एक बात यह भी है कि अगर गाड़ी किसी ऐसी जगह पकड़ी जाती है जहां से लखनऊ सैकड़ों मील दूर है और मुकदमा लखनऊ में होता है और गाड़ी खीरी में पकड़ी जाती है तो लखनऊ से न गवाह आ सकते हैं, न गाड़ी आ सकती है, न कोई पैरोकार आ सकता है। इसलिये अगर यह अधिकार पुलिस को दिया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस पकड़ कर चालान कर सकती है, गिरफ्तार करके थाने में बन्द कर सकती है तो यह संशोधन भी होना चाहिये कि वहीं का स्थानीय मैजिस्ट्रेट या अदालतें इसका निर्णय और न्याय करें। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो संशोधन वह इस बिल में लाये हैं, इसमें बहुत सी सहूलियतें कर दी हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी वहां पर पकड़ी जाय तो वहां थाने में अगर टैक्स जमा कर दे तो गाड़ी छोड़ी जा सकती है। मगर इसके साथ यह न होना चाहिये कि केस कहीं पर हो, ट्रायल कहीं पर हो। यह बहुत बड़ी असुविधा है कि स्थानीय खजाने में टैक्स जमा न हो लखनऊ में जमा हो और चालान वगैरह जहां गाड़ी पकड़ी जाय वहीं पर हो। स्थानीय खजाने में टैक्स जमा

[श्री शिवप्रसाद नागर]

करने की व्यवस्था भी जरूरी है इसलिये ऐसा संशोधन आवश्यक है । अगर इसको जनमत के लिये घुमाया जाता है तो बहुत से अच्छे सुझाव मंत्री जी के सामने आ सकते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको जनमत में घुमाने के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—अब गोविन्द नारायण तिवारी जी का संशोधन वैसा ही है जैसा ब्रजनारायण तिवारी जी का है और जिसको शिव प्रसाद जी ने ले लिया । केवल २१ दिन की जगह १ माह के बारे में वह कह रहे हैं । मैं उनको इजाजत नहीं दे रहा हूं, इसलिये कि अगर यह तय हो जायगा कि जनमत के लिये विधेयक घुमाया जाय तो दिनों के लिये मैं राय पुनः ले लूंगा कि कितने दिन के लिये घमाया जाय ।

अब श्री मोतीलाल अवस्थी जी अपना संशोधन उपस्थित करें ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश कर रहा हूं कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जिसे विधेयक की परिधि विस्तृत करने का भी अधिकार हो और जो विचार करके अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवे ।

श्रीमन्, मैंने अभी मंत्री जी की इंट्रोडक्शन स्पीच सुनी और उन्होंने कुछ इस बात की कोशिश की कि वह इस बात को प्रमाणित कर सकें कि यह विधेयक सड़कों की आमद-रफ्त को देखकर कुछ टैक्सेशन बढ़ाने के लिये लाया गया है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह विधेयक जो पेश है यह टैक्सेशन बिल है जिसमे हर दर में बढ़ोत्तरी की गयी है और इसका परिणाम यह होगा कि लाखों रुपया जनता की जेब से सरकारी खजाने में आयेगा । इसके साथ जो और बहुत से सुधारों की बात इसके खंडों में दी गई है उसको मैं अलग-अलग आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्रीमन्, एक तो मुझे यह बताया गया कि यह बिल १९५२ के ऐक्ट के संशोधन के बाद बहुत देर बाद लाया गया है और जो खामियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की गई है । लेकिन यह बात अगर सही भी मान ली जाय तो इस संशोधन की आड़ में कुछ अन्य प्रतिबन्ध भी लादे जा रहे हैं । आप देखेंगे कि इस विधेयक के खंड २ में लिखा है :—

"Private stage carriage" means a motor vehicle, other than a public service vehicle, with a seating capacity for more than nine persons excluding the driver thereof, used by, or on behalf of, the owner for his trade, business, or private purposes."

यह नया क्लाज बढ़ाया जा रहा है । इसके बढ़ाये जाने से सरकार के हाथ में अधिकार तो अवश्य आते हैं किन्तु प्राइवेट स्टेज कैरिज और पब्लिक सर्विस वेहिकिल, इन दोनों में एक विशेष अन्तर रखने की कोशिश की गई है । अब तक मोटर वेहिकिल्स की डेफिनीशन हमारे सामने थी और ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल की कुछ अलग थी लेकिन अब प्राइवेट स्टेट कैरिज एक नई चीज बढ़ायी जा रही है । इसके दूसरे खंड में लिखा है कि "ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल मीन्स ए पब्लिक सर्विस वेहिकिल या गुड्स वेहिकिल" रखा जाय जब कि पहले लोकोमोटिव या ट्रैक्टर भी था जो कि कृषि के काम में आता था, उस को हटाया जा रहा है । आगे खंड ३ में प्रतिबन्धात्मक खंडों को निकालने की कोशिश की गई है और इसके द्वारा इन दोनों को निकालकर सन् ३५ के ऐक्ट के पास होने के पहले और बाद के अन्तर को हटाने की कोशिश की गई है और उपधारा (२) में "अन्डर आर्टिकिल ४ टु ७ या ९" रखने की बात है । ऐसा कर के इस चीज को और भी भ्रमात्मक बना दिया गया है । मेरा खयाल है कि इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस के बाद खंड ४ के द्वारा जो दूसरा तथा तीसरा प्रतिबन्धात्मक खंड मूल अधिनियम का निकाला जा रहा है उसके द्वारा तो पेमेंट की किस्तों में देने की सुविधा थी उस को हटाया जा रहा है । अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो इसको हटाना ठीक नहीं है और वह सहूलियत बनी रहनी चाहिये ।

आगे खंड ५ के द्वारा एक नयी धारा (ए) के रूप में जोड़ी जा रही है, कि "No transport vehicle plying under a permit granted by an.....

श्री अध्यक्ष—आप आम सिद्धान्त पर बात करें, हर धारा को पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अभी मंत्री जी ने जो विचार हमारे सामने रखे कि

"For the purposes of levy and payment of tax under sub-section (1), the tax payable for a week or part thereof shall be one fifty-twoeth of the appropriate rate specified in the First Schedule."

इसमें जो सुविधायें मंत्री जी ने रखी हैं वह ठीक हैं लेकिन साथ ही में दूसरा हिस्सा जोड़ कर जो पुलिस को अधिकार दिये हैं उससे हमें बहुत ही सन्देह है । वेहिकिल को सीज और डिटेन करके साथ-साथ उस के ड्राइवर को भी डिटेन करने की बात इसमें रखी गयी है, ऐसे अधिकार देने के बारे में नहीं सोचा जा सकता, किसी भी थाने के सामने कोई भी मोटर वेहिकिल या कोई प्राइवेट स्टेट कैरियर या पब्लिक वेहिकिल्स निकलती हैं उनमें सड़क के थाने के थानेदार आम तौर से अपनी स्वीट विल पर उनको रोक कर उनमें बैठ जायेंगे और मनचाही जगह पर पहुंच जायेंगे । इस प्रकार से आप उनको आर्बिट्रेरी पावर्स दे रहे हैं उससे जनता को बड़ा कष्ट होगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं ऐसी भाषा में बोलिये जिसमें विद्यार्थी लोग समझ सकें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, हो सकता है कि मैंने जल्दी में पढ़ा हो ।

श्री अध्यक्ष—बहुत तेजी से आप बोल रहे हैं । एक एक करके हर एक विषय को स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं समय की सीमा से डरता रहता हूं कि कहीं कुछ न कह पाऊं ।

मैं आपके सामने रख रहा था कि हमारे परिवहन मंत्री जो साथ ही साथ एक्साइज के, आबकारी विभाग के भी जिम्मेदार हैं और उस एक्साइज विभाग का जैसा अनुभव हम लोगों का है कि किस प्रकार से एक साधारण से साधारण चपरासी, पीयुन भी किसी भले आदमी को डिटेन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और हवालात में बन्द करा सकता है जिससे भले मानुसों का अच्छे ढंग से अपमान हो जाया करता है । उन्हीं मंत्री के द्वारा आज हमें पुलिस को फिर नयी पावर्स दिये जाने की बात सुनकर जरा दिल में शंका पैदा होती है । मानता हूं कि इसकी आवश्यकता इसलिये है कि बिना परमिट वाली वेहिकिल्स को डिटेन करने की आवश्यकता है, लेकिन आज जो हमारी परिस्थिति है, इस पुलिस डिपार्टमेंट की जैसी हालत है, जैसी मनोवृत्ति इन इंस-पेक्टर्स की है उसको देखते हुये अगर यह अधिकार उनको दिये जायेंगे तो वह अपने कार्य के लिये और सुविधा के लिये इन सारी पब्लिक वेहिकिल्स को इस्तेमाल करने के लिये समर्थ हो जायंगे और मनमाने ढंग से करेंगे । ऐसी अवस्था में कुछ कंट्रोल का होना आवश्यक है और इनके ऊपर कुछ चेकिंग पावर होनी चाहिये जिससे वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें ।

इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा २० में से जो उपधारा निकाली गयी है यह कोई उचित नहीं मालूम होता । यह जो खंड ७ में उपखंड (४) में लिखा है कि नियम १४ दिन तक लेजिस्लेचर में रखे जायेंगे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त मान लिया गया है कि कानून के अन्तर्गत कोई स्टेटिस्टिक्स बनें तो हाउस के अन्तर्गत रखे जायं । यह तो अच्छा ही है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अब मैं शेड्यूल की तरफ ले जाना चाहूंगा और दिखाऊंगा कि इस टैक्स की बढ़ोत्तरी में सरकार ने बड़ी क्रूरता से व्यवहार किया है, या यों कहें कि बढ़ोत्तरी मनमाने ढंग से की गयी है और न मालूम क्यों पब्लिक टैक्स-पेयर के साथ उनकी बेरहमी क्यों है । अनलेडेन बाइसिकिल जिसका वजन २०० पौंड से अधिक न हो उसमें १२ रुपया का १६ रुपया कर दिया है और जो २०० पौंड से वजन में अधिक है उसमें २२ का २८ रुपया कर दिया गया है । और जो लेडेन हैं उनको लिये बात दूसरी है । उसके साथ-साथ जो बाइसिकिल और ट्राइसिकिल ट्राली इत्यादि खींचती हैं उनके लिये ३ के स्थान पर ४ रुपया कर दिया गया है । आगे चलकर तो यह बढ़ोत्तरी बहुत ही आश्चर्यजनक रूप में है । जो अनलेडेन वेहिकिल्स २० हंडरवेट से अधिक वजन में न हों उन पर ३७ रुपये से बढ़ा कर ४८ रुपया कर दिया गया है और जो ३५ हंडरवेट से अधिक न हों उन पर ५६ पये से बढ़ाकर ६८ रुपये कर दिया गया है । तो हम देखते हैं कि हर जगह यह बढ़ोत्तरी कहीं डचोढ़ी और कहीं दूनी की जा रही है । एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारी सड़कों की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है और दूसरी ओर टैक्स बढ़ाया जा रहा है । जो सड़कें पी०डब्ल्यू० डी० या सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उनकी ओर तो मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा ही, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है । उनके लिये न कोई नियम है न हृदय है । लालच हमें यह दिलाया गया कि इन बढ़े हुये करों द्वारा सड़कों की स्थिति में सुधार होगा । यह ठीक है कि कुछ हाइवेज और जी० टी० रोड्स की तरक्की बड़ी सुन्दर है, मेन्टीनेन्स भी बड़ा अच्छा है । लेकिन इनके दुरुस्त किये जाने का कारण यह है कि इन पर से फारेनर्स भी जाते हैं और मिनिस्टर्स की कारें भी अनहैम्पर्ड, बड़ी तेजी से चलती हैं भले ही किसी के साथ ऐक्सीडेंट हो जाय । लखनऊ-कानपुर सड़क के लिये कई लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कई साल से मरम्मत चल रही है और कई साल तक चलती रहेगी । लेकिन क्या उन सड़कों की ओर भी सरकार का ध्यान जायगा जिनका उपयोग जनता द्वारा ही होता है ?

मैं देखता हूं कि दो प्रकार का विभाजन ऐसे कार्यों का है । एक तो वह जिनको करने से सरकारी कार्यों में सुविधा होती है अथवा शोभा बढ़े और दूसरे वह जिनमें सरकारी कर्मचारियों की उपयोगिता कम होती है और जनता के उपयोग की हों । अभी-अभी जब किसी सज्जन ने पूछा कि फलां सड़क की दुरुस्ती क्यों नहीं हो रही है तो मंत्री साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक कमेटी मौजूद है, उससे शिकायत करके आप क्यों नहीं पूछ लेते । लेकिन मेरा अनुभव है कि ऐसी कमेटियां बिलकुल मरी हुई हैं । दो साल से मैं ऐसी एक कमेटी का सदस्य हूं लेकिन इस बीच में मुझे केवल एक कमेटी के लिये निमंत्रण आया और मैं गया और दूसरा निमंत्रण मुझे आज मिला है । ऐसी उदासीनता है इन कमेटियों की और कहते हैं कि कमेटी की बैठक में सदस्य ही नहीं आते । क्या उन समितियों द्वारा पास की हुई योजनाओं को सरकार अपनी सेकिंड प्लान में शामिल करने का साहस करती है ? सरकार में तो बड़े-बड़े अफसरों द्वारा बतायी हुई सड़कों को ही प्रिफरेन्स दिया जाता है । कानपुर जिले के लिये जब मैंने बड़ी आवश्यक सड़कों का प्रोपोजल सामने रखने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि कानपुर जिला तो सेल्फसफिशियेन्ट है । इसमें सड़क को कमी मानी नहीं जाती है लिहाजा आपकी बात सैकिंड प्लान में तो नहीं आ सकती है, थर्ड में शायद आ सके । मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले से ही कुछ जिले मान लिये जाते हैं कि यह सड़कों के लिये डेफीसिट नहीं हैं तो वहां पर कुछ समय के लिये कुछ न करने की बंदिश लगा दी जाती है । मैंने इस चीज को महसूस किया और एक सड़क है सरसौल से जहानाबाद. . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप असंगत हो रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस विधेयक में कर वृद्धि की बात कही गई है । उसके संबंध में मेरा कहना यह है कि वृद्धि कर में बड़ी क्रूरता के साथ की गई है और जो बात बताई जाती है कि इससे सड़कों का निर्माण होगा तो यह बात असम्भव सी मालूम होती है । मैं चाहूंगा कि जो अधिकार सरकार लेने जा रही है या टैक्सेशन बढ़ाने जा रही है उसके लिये सोचने-विचारने

के लिये बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और अगर इसको जल्दी पास करना है तो उसको ६–७ दिन का समय दिया जाना चाहिये । इसके संशोधनों को देखने से मालूम होता है कि इसके प्रत्येक खंड का विरोध किया गया है इसलिये इस पर सिलेक्ट कमेटी में ठंडे दिल से विचार होना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि हम एक घंटे में इसको पास कर दें । वैसे आपकी मैजारिटी है आपके हाथ में है लेकिन यह भी सोचिये कि मनी बिल के लिये जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा । उसके लिये काफी समय दिया जाय । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और कम से कम इसके लिये एक सप्ताह का समय दिया जाय ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । यह मनी बिल के रूप में है इसलिये राज्यपाल की रिकमेंडेशन हुई है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––है ।

श्री राजनारायण––हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––वह आपके पास थोड़े ही है । मेरे पास है, आप मुझसे पूछ सकते हैं ।

श्री राजनारायण––जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो नहीं बताया कि राज्यपाल की सिफारिश से ऐसा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––वह तो है ।

राजा वीरेन्द्रशाह––श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि भाषणों पर टाइम लिमिट होनी चाहिये । इसलिये मेरी तजवीज है कि १० मिनट का समय रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष––अच्छी बात है, इसके लिये खयाल रखूंगा । कोई खास बात हो तो बात दूसरी है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)––अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो . . . . . .

श्री अध्यक्ष––आप अपना संशोधन उपस्थित कर दें ।

श्री भगवती सिंह विशारद––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे ।"

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह टैक्सेशन विधेयक प्रस्तुत किया है और जो उद्देश्य और कारण बताये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं । उन्होंने जो उद्देश्य और कारण बताये हैं उनमें यह बताया है कि जो आजकल टैक्सेशन की दरें हैं उनका पुनरीक्षण अन्तिम बार १९५२ में हुआ था और उसके बाद इस बात की आवश्यकता अब प्रतीत हुई कि उनका फिर से पुनरीक्षण किया जाय और उनमें बढ़ोत्तरी की जाय । जो उन्होंने बढ़ोत्तरी का कारण बताया है उसमें भी उन्होंने बताया है कि चूंकि सड़कों के निर्माण में, उनके रखरखाव और दूसरे इसी तरह के कार्यों में अधिक पैसा खर्च होता है इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हम मोटरों के करों की दरों में किसी तरह की बढ़ोत्तरी करें । इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उसमें उसने यह बताया था कि हमारे देश में दूसरे देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा टैक्सेशन है और इस कारण मोटर इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा विस्तार नहीं हो रहा है । उन्होंने उस संदर्भ में यह भी बताया था कि जो रेवेन्यू हम को टैक्सेशन से प्राप्त होता है वह अगर टैक्सेशन कम कर दिया जाय तो उससे और ज्यादा मोटरें चलने लगेंगी और उसका परिणाम यह होगा कि हमारी रेवेन्यू ज्यादा बढ़ जायगी । तो माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें बताया है कि चूंकि हम ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं इससे रेवेन्यू बढ़ेगी और उससे सड़कों के निर्माण में ज्यादा सुविधा होगी । मेरा विश्वास है कि जिस तरह से वह टैक्स बढ़ा रहे हैं उससे

[श्री भगवती सिंह विशारद]

उनके राजस्व कोष में किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसका परिणाम यह होगा कि बहुत से मोटर प्राइवेट कैरियर और दूसरे तरह के कैरियर लोग चलाना बन्द कर देंगे और उनकी आशा के प्रतिकूल उनके कोष में, कुछ मोटरों के बन्द होने से वृद्धि नहीं हो पायेगी। इस सम्बन्ध में फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने पृष्ठ ५३ में यह लिखा है :—

"A reduction in the level of motor vehicle tax would tend to increase the annual offtake of vehicles and thus make up for any fall in the existing annual revenue resulting from such reduction."

इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको एक कमेटी के सुपुर्द करें जो यह भी देखे कि आया टैक्सेशन में किसी तरह की वृद्धि होनी चाहिए या नहीं। मान्यवर, जो विधयक मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यदि इसको कड़ाई की दृष्टि से देखें तो इसको मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन संशोधन विधेयक नहीं कहना चाहिए बल्कि जो प्युनिटिव टैक्स होता है उसकी वसूली का कोई संशोधन विधेयक मानना चाहिए। वर्तमान अधिनियम में हमें यह सुविधा प्राप्त है कि कोई भी मोटर चलाने वाला व्यक्ति चार तिमाहियों में अपना टैक्स अदा कर सकता है लेकिन जो वर्तमान संशोधन विधेयक है उससे इस बात को छीना जा रहा है और वह इस तरह से छीनी जा रही है कि इस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न की जा रही हैं जो किसी भी मोटर चलाने वाले के लिए एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देंगी। अभी तक हमें इस बात की सुविधा थी कि हम वर्ष के अन्त में १५ जनवरी तक साल भर का या तिमाही का टैक्स जमा कर सकते थे। अब जो यह संशोधन विधेयक है उसमें एक अधिकार पुलिस आफिसर को, सब-इंस्पेक्टर को इस बात का दिया जा रहा है, उसकी शब्दावली यह है :—

"Where a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector of Police or, such other officer as may be authorized by the State Government in this behalf, has reason to believe that (i) a motor vehicle has been or is being used by a person without payment of tax."

जिस मोटर का टैक्स ३१ दिसम्बर को समाप्त हुआ और हमें सुविधा है कि हम १५ जनवरी तक जमा कर सकते हैं, अगर किसी पुलिस अफसर ने १४ दिन के अन्दर पकड़ लिया तो इसके अंदर क्या सुविधा प्रदान की गयी है ? यह जो अधिकार पुलिस आफिसर को दिया जा रहा है यह वही अधिकार है, जो गृह विभाग की तरफ से उनको प्रदान किये जाते हैं। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ने जो इस तरह का संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया है इससे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्षति पहुंचेगी। ऐसे लोग जो मोटर या दूसरी तरह की सवारी रखने वाले हैं उनको भी तकलीफ होगी।

मान्यवर, एक नयी धारा बढ़ाकर १५-ए के रूप में यह अधिकार पुलिस आफिसर को दिया गया कि वह अगर इस बात का विश्वास करके किसी मोटर को अपने पास रखना चाहे तो उसको अपने पास ले जाकर रख सकता है। अभी तक इस बात की व्यवस्था है और इस बात का इन्तजाम है कि सरकार इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकती है कि किसी मोटर वेहिकिल के संचालक ने अपना टैक्स अदा नहीं किया है तो उसकी समय-समय पर जांच होती रहती है। जब वह जांच होती रहती है तो जो आदमी टैक्स अदा नहीं करता उसके खिलाफ रेवेन्यू की तरह से वसूल करने के लिये ऐसे नियम बने हुये हैं जिससे वह टैक्स वसूल हो सकता है लेकिन अब उन नियमों का प्रयोग नहीं किया जायगा। अब पुलिस अफसर इस बात का अधिकारी हो गया कि अगर वह इस बात को उचित समझता है कि टैक्स अदा नहीं किया गया तो किसी भी मोटर को वह थाने में जमा कर सकता है। वह तब तक वहां जमा रहेगी जब तक कि उसका टैक्स जमा होकर उसको इस बात का विश्वास न दिला दिया जाय कि उससे टैक्स वसूल हो गया है। तो मान्यवर, इस तरह का अधिकार एक किसी पुलिस अफसर को देना मैं समझता हूं, बहुत बड़ी ज्यादती है। चाहे जिस मोटर को चाहे कोई पुलिस अधिकारी अपने थाने में जमा कर सकता है।

अभी तक इन नियमों के सम्बन्ध में जो प्रचलित अधिनियम है उसमें यह सुविधा थी कि जो नियम प्रचलित किये जाते थे इस सम्बन्ध में वे दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाते थे । जब दोनों सदन वे नियम स्वीकार कर लेते थे तब ही वे लागू किये जाते थे और ये नियम आज तक प्रचलित हैं । १९३५ में जब यहां पर अंग्रेजो हुकूमत थी तब उन्होंने इस तरह के नियम बनाये थे संसदीय परम्परा का आदर करने के लिये और लोगों के जो विचार हैं उनको सहमत करने के लिये इस तरह की व्यवस्था की गई थी लेकिन आज माननीय मन्त्री जी २३ वर्ष के बाद इस तरह की आवश्यकता महसूस करते हैं कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के जो नियम प्रचलित हैं वें विधान सभा या विधान परिषद् की स्वीकृति के लिये जायं । वह इस बात का अधिकार सरकार के हाथ में देना चाहते हैं । यह भी वह कर रहे हैं कि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह १४ दिन के अन्दर विधान सभा में अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है । पहले यह सुविधा प्राप्त थी कि :

"A draft of rules which it is proposed to make under this Act shall be laid before (both Houses of the State Legislature) and the rules shall not be finally made until (both Houses of the State Legislature have) had an opportunity of expressing an opinion on them."

अब जो मंत्री जी यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुसार यह अधिकार सरकार के हाथ दिया में जा रहा है कि सरकार इस नियम को बनाकर प्रचलित कर दे और प्रचलित करने के बाद जिस समय लेजिस्लेचर बैठे उसके सामने इन नियमों को प्रस्तुत करे और प्रस्तुत करने के बाद फिर अगर लेजिस्लेचर को आपत्ति हो तो वह प्रकट करे लेकिन यह नियम पहले लागू कर दिये जायेंगे । इस तरह के संशोधन विधेयक को लाना विधान सभा के सदस्यों के जो अधिकार हैं उनको कम करना है । मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे संशोधन विधेयक को, जिसमें माननीय सदस्यों के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा हो, उनको वापस लेना चाहिये और इसीलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इस संशोधन विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये । मान्यवर, मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते समय हम सब लोगों को एक जानकारी दी कि रेसीप्रोकेसी के सिलसिले में जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सवारी गाड़ियां आती थीं उनको अब तक ३ महीने का टैक्स देना पड़ता था । लेकिन अब इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद उनको केवल एक सप्ताह का टैक्स देना पड़ेगा । मैं उनको इस सुविधा प्रदान करने के लिये धन्यवाद देता हूं किन्तु जानना चाहता हूं कि गुड्स कैरियर के संबंध में उनकी क्या नीति होगी ? मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश उत्पादन तथा वितरण का केन्द्र है । हमारे प्रदेश में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा पटना आदि से आवश्यक सामग्रियां आती हैं और पुनः बाहर भेजी जाती हैं । आप जानते हैं कि इस प्रदेश के प्रमुख नगर कानपुर में इस प्रकार का व्यवसाय होता है । अब गुड्स कैरियर के लिये नियम बन रहा है कि एक सप्ताह का टैक्स अदा करना पड़ेगा । इससे हमारे रोजगार पर काफी हानिप्रद असर पड़ेगा और ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी काफी हानिप्रद असर पड़ेगा । इसलिए मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि जो विधेयक वह लाये हैं उस पर वह पुनः विचार करें ।

मान्यवर, जितने भी टैक्स उन्होंने लगाये हैं उनको अगर संक्षेप में समराइज किया जाय तो यह कह सकते हैं कि टैक्स २५ प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक बढ़ाये गये हैं । कोई नियम होना चाहिये था इन टैक्सों को बढ़ाने के लिये । लेकिन न कोई नियम है, न कोई परम्परा, न किसी कमेटी की रिपोर्ट अथवा ऐसे नियमों का आधार ही लिया गया है कि जिनसे जनता की रक्षा हो सके । और मैं यह निवेदन करूंगा कि आज के समय में इस तरह के टैक्सों का बढ़ाना उचित नहीं है । इस से किराये की दरें बढ़ जायंगी और रोजगार भी प्रभावित होगा । सफर करने वाले मुसाफिरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । इस संशोधन विधेयक में जो शिड्यूल प्रस्तुत किया गया है उसमें साइकिल और दूसरी चीजों पर टैक्स लगाने और बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मैं खिलाफ हूं । मैं किसी तरह से ऐसे अधिकार सरकार को

[श्री भगवती सिंह विशारद]

देने का विरोधी हूं। चाहे उन अधिकारों का अभी प्रयोग हो अथवा नहीं, लेकिन ऐसे अधिकार नहीं देने चाहियें कि सरकार किसी समय उनका उपयोग कर सके। आज माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि साइकिलों पर अभी हम कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे। अगर वसूल नहीं करेंगे और कोई इरादा भी नहीं है तो शेड्यूल में उन चीजों को सम्मिलित नहीं करना चाहिये और अगर शेड्यूल में उनको शामिल करते हैं तो आज भले ही उन से टैक्स न वसूल करें, साल दो साल न करें लेकिन आप टैक्स वसूल अवश्य करेंगे, यह इरादा इस बात से अवश्य जाहिर होता है। तो इसलिए मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के खिलाफ हूं और इसलिये चाहता हूं कि जिन चीजों पर टैक्स नहीं लगा है और न लगाने का इरादा है उनको शेड्यूल से पृथक् कर देना चाहिये।

मान्यवर, इसी प्रकार हम इस बात को देखें कि जो गुड्स कैरियर और पब्लिक कैरियर हमारे प्रदेश में आते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो कार में सफर करने वाले लोग हैं वह जब हमारे प्रदेश में आते हैं तो उन पर टैक्स लगाने की कृपा उन्होंने क्यों नहीं की? और यह बात ऐसी है कि जिससे वह स्वयं भी प्रभावित हो सकते हैं और कुछ अन्य लोग भी प्रभावित हो सकते हैं और इसका असर यह होगा कि उनको विवश होना पड़ेगा कि वह कारों पर से टैक्स हटवायें। इसीलिये मैंने निवेदन किया कि यह जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय ताकि हम वहां इस पर विचार कर सकें और इसकी सब बातों को देख सकें, आशा है, माननीय मंत्री जी स्वीकार उसको करेंगे।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर कुछ निवेदन करने से पहले मुझे उस बात को दोहराना पड़ता है जिसे मैं कई बार इस सदन में निवेदन कर चुका हूं। इस छोटे से निर्दोष विधेयक के लिये प्रवर समिति की मांग ही नहीं बल्कि जनमत के लिये घुमाने की मांग की गई है। आश्चर्य होता है। यह कहते हुये तो साहस नहीं पड़ता कि वह माननीय सदस्य इस बात से परिचित नहीं हैं कि किन सिद्धान्तों पर जनमत की मांग की जाती है, लेकिन यह कह सकता हूं कि केवल मांग के लिये ही मांग की गई है। श्रीमन्, यदि हम इस दृष्टि से ही देखें कि इस विधेयक में कितने संशोधन आये हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसमें प्रवर समिति की या जनमत की आवश्यकता है या नहीं। जनमत किसी सिद्धान्त के विषय पर ही मांगा जाता है। एक औषधि को भी भोजन बनाना उसके मूल्य को नष्ट करना होता है।

मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि इस विधेयक का विरोध इस स्थान से हुआ, उस क्वार्टर से हुआ, जहां मैं आशा करता था कि इसका स्वागत होगा। जो हमेशा अपने सिद्धान्त की मांग पर इस बात की मांग किया करते हैं कि टैक्सेशन बढ़े जनहित के लिये। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जनहित को छोड़कर पार्टी हित के आधार पर कुछ साहस क्षीण हो जाता है टैक्सेशन के बढ़ाने की मांग का समर्थन करने के लिये। उसकी प्रत्यक्ष झलक आज के भाषणों में सुनने को मिली है ....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह पार्टी हित का लांछन या इनसिनुएशन कहां तक पार्लियामेंटरी है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह निश्चितता से नहीं कहा कि यह किया गया है। उनका संकेत था कि ऐसा भी हो सकता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—इस मोटर टैक्सेशन विधेयक को जांचने की एक कसौटी तो यह थी कि हम यह देखने का प्रयत्न करते कि हमारे दूसरे प्रदेशों में उन्हीं चीजों पर टैक्सेशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की दरें क्या हैं। हमारे मोटर वेहिकिल्स का वर्गीकरण है कि एक तो प्राइवेट हैं और दूसरे पब्लिक हैं। आज दोनों का उपयोग एक सा हो रहा है। लेकिन पब्लिक कैरियर से प्राइवेट कैरियर की दर टैक्सेशन की ३/४ कम है। इसका परिणाम यह है कि प्राइवेट कैरियर्स को एक फायदा पहुंचता है जो नहीं मिलना चाहिये। वह उपयोग वही करते हैं जो पब्लिक कैरियर्स का होता है। सड़कें भी पब्लिक कैरियर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्राइवेट कैरियर्स टैक्सेशन के बोझ से बचे हुये हैं। तो मैं आशा करता था कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक का स्वागत होगा, जिसमें ३० प्रतिशत से लेकर ७५ प्रतिशत तक टैक्स प्राइवेट कैरियर्स पर बढ़ाया गया है, जिससे ५० लाख रुपया सरकार को मिलेगा।

मोतीलाल जी अवस्थी ने एक तालिका पढ़कर सुनाई और सन् १९५२ के रेट की दर को सम्प्रति संशोधन की दर से तुलना की और कहा कि बढ़ोत्तरी हो गई है। अच्छा होता कि उन्होंने यह देखने का भी कष्ट किया होता कि हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार, पंजाब, बम्बई और मध्य प्रदेश में क्या रेट्स हैं। केवल ३, ४ आंकड़े मोतीलाल जी ने सुनाये थे। जो पहला आइटम बाईसिकिल्स का है उसमें ११।) के बजाय १६) का प्रस्ताव है, इसका करेन्ट रेट मध्य प्रदेश में २७) है, बिहार में २०) और पंजाब में ३०) है। इसी तरह से दूसरी मद में जहां २२।।) के बजाय २८) का प्रस्ताव है, इसमें मध्य प्रदेश का करेन्ट रेट ४५) है, बिहार का २२) और पंजाब का ४०) है। इसके आगे, जहां हमारा प्रस्ताव २१) की जगह ३२) का है वहां बिहार में २७) और पंजाब में ४०) है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय मित्र ने कह दिया कि मुकदमा किस जगह चलाया जाय और उन्होंने यह आशंका प्रकट की कि अगर मुकदमा उस जगह न चलाकर दूसरी जगह चलाया गया तो बड़ी कठिनाई होगी। मैं यह तो कैसे कहूं कि उन्होंने संशोधन को पढ़ने का कष्ट नहीं किया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने इसपर विचार नहीं किया। इस संशोधन में मुकदमे की कहीं बात नहीं है। इसमें एक ही कार्यवाही की व्यवस्था है कि एक अफसर को यह अधिकार होगा कि अगर कोई वेहिकिल है जिसने टैक्स नहीं दिया है तो उसे वह डिटेन कर दे और एक सुरक्षित स्थान पर रख दे। वही प्रारंभिक और अन्तिम कार्यवाही हुई। कोई मुकदमा चलाने का सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा अच्छा स्टेप है जो कि सरकार की ओर से लिया गया है। रोज प्रश्नों में शिकायत की जाती है कि हमारे बकाया की वसूली के लिये कोई कड़ा प्रबन्ध नहीं होता है। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि केवल रिकवरी ईश्यू कर देना क्या काफी हो सकता है और फिर कड़े स्टेप का विरोध किया जाता है।

मेरा आश्चर्य और भी ज्यादा हुआ जब मैंने देखा कि समाजवादी दल के लोग जिस कमेटी के बिड़ला जी चेयरमैन रहे हों उसके एक आधार को आज अपने तर्कों की पुष्टि के लिये यहां प्रस्तुत करते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद––प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी उसमें थे।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––होंगे, लेकिन हमने सुना है कि इस कमेटी की फाइन्डिंग के ऊपर आशंका प्रकट की गई और आरोप लगाये गये, लेकिन आज जब किसी भी प्रगतिशील बात का विरोध करना है तो उनसे आधार मानकर प्रस्तुत किया गया। इस तरह की एक आशंका की ओर ध्यान दिलाया गया था और वह यह थी कि एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि यदि ३१ दिसम्बर तक किसी का टैक्स वाजिब हो और १५ जनवरी को या उसके बाद वह पकड़ी जाय . . . . . .

श्री भगवतीसिंह विशारद––आप गलत समझ रहे हैं। फिर से सुन लीजिये। ३१ दिसम्बर तक तो दी जाती है, फिर हमको हक है कि १४ जनवरी तक दे दें 'बिटवीन दिस पीरियड'।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---ठीक है, जैसे मुझे दुरुस्त करने की कोशिश की गई है वैसे ही अच्छा होता कि उस धारा को पढ़ लिया होता और समझ लेते। उसमें यह लिखा है कि अगर टैक्स ड्यू होने के बाद उसकी अपील का पीरियड भी नहीं गुजर गया है, उस वक्त तक उसको अधिकार नहीं होगा कि वह उस वेहिकिल को डिटेन कर सके। यही नहीं किड्यू होने के पीरियड में बल्कि उसके बाद जो अपील की अवधि है वह भी अगर क्रास नहीं हुई है तब भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार न होगा....

श्री अध्यक्ष---अब आप फिर जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मान्यवर, मेरे हिस्से के कितने मिनट बाकी हैं?

श्री उपाध्यक्ष---आप बोलिये, मैं बतला दूंगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---धन्यवाद।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---श्रीमन्, हर सदस्य के लिये १० मिनट का समय अध्यक्ष महोदय ने नियत कर दिया है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---नहीं श्रीमन्, यह आपके डिस्पोजल पर छोड़ दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय अध्यक्ष ने वक्ताओं के लिये कोई समय की पाबन्दी नहीं लगायी है, अगर भाषण अच्छे हों तो १० मिनट से ज्यादा समय तक भी कोई बोल सकता है। चूंकि आज ३ बजे तक ही आम बहस समाप्त होनी है इसलिये भाषण संक्षिप्त होने चाहिये।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए उसके उद्देश्य और कारणों से भी असहमति प्रकट की। मैंने श्रीमन्, उन उद्देश्यों और कारणों को बार-बार पढ़ने का यत्न किया और यह ढूंढ़ने की कोशिश की कि आखिर वह कौन-सी ऐसी मूल बात है जिसमें हमारे उन माननीय मित्रों को असहमति का आधार मिल सका। और श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि मुझे बार-बार यत्न करने पर भी ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ी कि आज के दिन माननीय अवस्थी जी इस बात की शंका प्रकट करें कि सड़कों पर व्यय नहीं हो रहा है, या सड़कों की उन्नति नहीं हो रही है। वे ऐसी शंका प्रकट कर सकते हैं, वास्तविकता से कोई अपनी आंख हटा सकता है, लेकिन वास्तविकता वास्तविकता ही रहेगी। आज यह सिद्ध तथ्य है जिसके लिये किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश और प्रदेश के निर्माण के लिये व्यय की आवश्यकता है। आज सड़कों के लिये ही नहीं बल्कि चौमुखी दिशा में विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है और उसके लिये टैक्स की आवश्यकता है। तो उस सिद्धान्त का जहां तक सम्बन्ध है जिसका संकेत उन उद्देश्यों और कारणों में किया गया है जिन कारणों के आधार पर इस बात का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है और उन माननीय मित्रों की ओर से जो असहमति प्रकट की गयी है उससे मुझे आश्चर्य ही हुआ।

इसके बाद श्रीमन्, मैं एक छोटी-सी बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सदन में कहा गया है कि साइकिल पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। श्रीमन्, मैं पुनः क्षमा-याचना करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि साइकिल पर इस विधेयक के द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टैक्स नहीं लग रहा है बल्कि उन साइकिलों पर टैक्स लगाया जा रहा है जो कि मेकेनिकल पावर्स से चलती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति मोटर साइकिल इस्तेमाल करता है, स्कूटर इस्तेमाल करता है, उनको यदि टैक्स देना पड़े तो उनसे बहुत ज्यादा हमदर्दी क्यों हो, मैं नहीं समझ सका। जो प्राइवेट मोटर वेहिकिल्स ओनर्स उससे मुनाफा पैदा करते हैं यदि उनको उस मुनाफे का थोड़ा-सा अंश जनहित के लिये पब्लिक एक्सचेकर को देना पड़े तो यह कौन सी बड़ी बात है ? इससे गरीब जनता पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूं कि उसका हृदय से स्वागत ही होना चाहिये और मैं तो इस दृष्टि से इसका स्वागत करता हूं। श्रीमन्, मेरी तो यह हमेशा धारणा रही है कि गरीब जनता पर आधारभूत चीज यह है कि हल्का से हल्का टैक्स होना चाहिये और समय-समय पर मैंने इस पर अपने विचार व्यक्त भी किये हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जनसाधारण की जेब न छुई जाती हो और पब्लिक एक्सचेकर के लिये कुछ उपार्जन किया जा सके ऐसे सारे रिसोर्सेज को अवश्य टैप करना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि ऐसे रिसोर्सेज को टैप करके ५०–६० लाख रुपये बढ़ाने का यत्न उन्होंने इस बिल के द्वारा किया।

कई माननीय सदस्यों ने भाषण देते हुए इस बात पर बड़ी आशंका प्रकट की कि पुलिस अधिकारियों को इसमें जो वेहिकिल्स को रोकने के अधिकार दिये हैं उनका दुरुपयोग होने की आशंका है। इसके विषय में पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह आशंका सर्वथा निर्मूल नहीं है। लेकिन इस आशंका का उपचार भी हमारे उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इन प्राइवेट वेहिकिल्स के ओनर्स होंगे। इस आशंका का प्रादुर्भाव तभी होता है जब कि टैक्स न दिया गया हो अपने समय पर। यदि प्राइवेट ओनर्स केवल इतना प्रिकाशन ले लें कि वे टैक्स प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर लें तब जो दुरुपयोग की आशंका है वह बहुत हद तक दूर हो जायगी। इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव तो यह भी है कि माननीय मंत्री जी रूल्स के अन्दर कुछ ऐसा प्राविजन करें कि जो टैक्स की रसीद हो उसको वेहिकिल्स पर डिसप्ले किया जा सके, यदि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र वेहिकिल्स पर लगा दिया जाय तब जो आशंका है वह दूर हो जाती है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि रूल्स में या आदेशों द्वारा एक लिस्ट जारी हुआ करे उन अधिकारियों द्वारा जो टैक्स वसूल करते हैं। उस समय के बाद जब कि टैक्स की अवधि समाप्त हो जाती है उस लिस्ट में उन लोगों के नाम हों जो एरियर्स में हों। वे नाम चारों तरफ पुलिस अधिकारियों में और विभिन्न क्षेत्रों में साइक्लोस्टाइल्ड करके घुमा दिये जाया करें ताकि पुलिस अधिकारी केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ ऐक्शन ले सकें और उन्हीं लोगों के वेहिकिल्स डिटेन कर सकें जिनके नाम उस लिस्ट में हों।

कुछ लोगों को यह आशंका है कि पुलिस के सब-इंस्पेक्टर कभी-कभी इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं कि वे भरी हुई वेहिकिल्स को रोक लें इस आशंका से कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है और थोड़े घंटों के लिये भी अकारण रोका गया तो प्रत्यक्ष है कि बड़ी असुविधा हो सकती है। मैं समझता हूं कि रूल्स में इस प्रकार का प्रिकाशन लेने से सारी आशंकायें दूर हो जाती हैं।

इसके अतिरिक्त मुझे इस बिल में कोई दूसरी बात दिखाई नहीं देती जिसके आधार पर इसका विरोध किया जा सके। जहां तक जनमत में घुमाने और प्रवर समिति को भेजने का प्रश्न है, मैं शुरू में निवेदन कर चुका कि इस बिल में जब ६–७ संशोधन आये हैं, उसके लिये जनमत के लिये भेजना या प्रवर समिति में भेजना समय का दुरुपयोग करना ही होगा। इस लिये इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत व समर्थन करता हूं।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,प्रस्तुत विधेयक में जो संशोधन भगवती सिंह, विशारद जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने इसे बिलकुल निर्दोष बतलाया है और कहा है कि सदन में इस पर अधिक वादविवाद नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, इसकी निर्दोषता तो इसी से समझी जा सकती है कि यदि यह बिल निर्दोष होता तो इसको पुलिस के हवाले क्यों किया जाता। इस बिल में एक नई चीज बढ़ाई गयी है और दफा १५ (ए) को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। मंत्री जी स्वयं इसे निर्दोष नहीं समझ पाये। इसीलिये उन्होंने इस निर्दोष बिल को पुलिस के सुपुर्द किया है, जो बिलकुल नई चीज ला रहे हैं। कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसके उद्देश्य और कारणों में उसका निचोड़ रखा जाता है। मंत्री महोदय ने अपने उद्देश्य और कारणों में कहीं यह नहीं लिखा कि इस प्रकार से टैक्स वसूल नहीं हो पाया, टैक्स की अधिक धनराशि बाकी पड़ी है जिसके कारण दफा १५ (ए) जोड़नी पड़ी। अभी एक साथी ने कहा कि उद्देश्य और कारणों पर विरोधी दल की तरफ से काफी विरोध हुआ, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन यह स्पष्ट है और इस बात को माननीय जगदीशशरण जी ने भी माना कि दफा १५ (ए) जो बढ़ायी जा रही है उससे संदेह बढ़ सकते हैं, तकलीफें बढ़ सकती हैं। और फिर यह कहा जाय कि ऐसी कोई चीज इसमें नहीं दिखाई पड़ती, मुझे तो सुन कर और देख कर ताज्जुब होता है।

जहां तक टैक्स बढ़ाने का सम्बन्ध है वह इतने बढ़ा दिये गये हैं और केवल एक बात को लेकर कि इससे गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ता। कहा जाता है कि यह तो उन आदमियों पर लगा रहे हैं जो मोटर गाड़ियां रखते हैं, जिनके पास प्राइवेट कैरियर हैं। श्रीमन्, आज मोटर गाड़ी, मोटर वेहिकिल्स लग्जरी नहीं रह गई है। वह तो इतनी आवश्यक वस्तु हो गई है कि बिना उसके सब काम रुक जाते हैं और खास कर ऐसी जगहों पर जहां रेल नहीं है। जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, परमिट बनते हैं उनके लिये कहा जा रहा है कि अधिक टैक्स बढ़ाया गया क्योंकि वह अधिक लाभ कमाते हैं और सड़कों का काफी इस्तेमाल करते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन पर इसीलिये टैक्स बढ़ाया जा रहा है कि वह सड़कों पर ज्यादा चलते हैं और पैदा करते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें पब्लिक के काम के लिये रखी जाती हैं उनका ही ज्यादा इस्तेमाल होता है न कि प्राइवेट गाड़ियों का, जो अपने काम के लिये आदमी रखता है। इसीलिये अब अगर टैक्स बढ़ाया जायगा तो इसका बोझ भी तो पब्लिक पर ही पड़ेगा जिसके काम के लिये यह गाड़ियां चलती हैं। डायरेक्टली न सही इनडायरेक्टली सही। अब कहते हैं कि सड़कों की मरम्मत के लिये टैक्स बढ़ाना जरूरी हो गया क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चलता। एक तो टैक्स वैसे ही उतने बढ़ गये और उन जगहों के लिये जहां ट्राम नहीं है, रेल नहीं हैं, यातायात की सिवाय ट्रकों और मोटरों के कोई सुविधा नहीं है, खासकर पहाड़ों पर जहां जनता गरीब है, वहां इसका असर जनता पर ही पड़ेगा या किसी और पर? पेट्रोल पर वैसे ही टैक्स बढ़ गया। पहले २ रुपये १३ आने गैलन मिलता था वह अब ३ रुपये ७ आने गैलन हो गया। इन सारी चीजों का वजन क्या गरीब जनता पर नहीं पड़ेगा? तो मेरी समझ में नहीं आता कि केवल इस चीज की दुहाई दी जाय कि इससे गरीब जनता का बहुत भला होने वाला है यह उचित नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का ही हो रहा है, क्योंकि सब चीज का हिसाब-किताब लगा कर ही उसके दाम नियत किये जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज प्रमुख होते हैं।

दफा १५ (ए) के बारे में माननीय जगदीशशरण जी ने इशारा करते हुए कहा कि यह चीज ऐसी है। अब इसमें इतने अधिकार दिये गये हैं पुलिस को, अभी तो पुलिस सब-इंस्पेक्टर के लिये कहा है, लेकिन गवर्नमेंट समय-समय पर चाहे तो किसी को भी वह अधिकार दे सकती है। तो आज गवर्नमेंट रोडवेज चलने लगी हैं उनमें तो कोई फ्री चल नहीं पाता पुलिस वाला। लेकिन अगर किसी प्राइवेट आदमी की कैरियर जा रही है, दरोगा जी रास्ते में खड़े हैं, उनके

हाथ में कानून है, वैसे ही बड़े कानून उनके हाथ में हैं, वह दूसरे की सवारी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके हाथ देने पर ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ी, वह अपने मतलब से कहीं जा रहा था, दरोगा जी कहते हैं कि कागज दिखाओ, वह कागजात दिखाने को परेशान करते हैं और पुलिस जिस तरह से अधिकारों का उपयोग या दुरुपयोग करती है उसका अनुभव तो मंत्री जी को होगा, यहां आने से पहले भी उनको अनुभव इसका हुआ होगा। पुलिस तो पहले से ही उनका दुरुपयोग करती रही है। अपना कोई काम दरोगा जी को हुआ, गाड़ी रुकवा ली। वह हर तरह से गाड़ी जहां चाहें खड़ी करवा कर अपने रिश्तेदारों के लिये कह सकते हैं कि अमुक स्थान पर गाड़ी खड़ी कर दो। यह तो ऐसा ही वरदान है कि जैसा शंकर जी ने भस्मासुर को दिया था। आज आपने उसे अधिकार दिया, कल वह अपने ऊपर ही लागू हो जायगा। कभी-कभी हो सकता है कि दरोगा जी उससे टैक्स की रसीद मांगें और वह उसकी जेब में न निकले, कोई बात हो गई हो, वह रह गई हो या रजिस्ट्रेशन न हुआ हो, बस उनकी गाड़ी डिटेन हो जायगी। उससे बड़ी परेशानी और नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीजों को कोई वादविवाद का प्रश्न बनाया जाय। ठंढे मन से सोचने के बाद इस अधिकार को बिलकुल हटा देना चाहिये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब सवाल यह है कि दरोगा जी गाड़ी को रोक कर सुरक्षित कहां रखेंगे? कहीं गैरेजेज तो हर जगह उनके लिये होंगी नहीं। कोई कलकत्ते का आदमी इटावा में पकड़ा जाता है और उससे रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है तो वह जाता है, गाड़ी खड़ी रह जाती है। रोज होता है कि कोई चीज सुरक्षित नहीं रहती किसी का टायर गायब हो जाता है, कोई सामान बदल जाता है। इसलिये कोई हिफाजत की गुंजायश नहीं है।

दूसरा प्रश्न टैक्स वसूली का है। इसमें कोई ऐसी चीज किसी तरह की नहीं है, हर जगह मोटर वेहिकिल्स की चेकिंग होती है, पकड़ी जाती हैं, केस चलते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट आफिसर को भी डिटेन करने का अधिकार नहीं है। टैक्स तो वैसे भी वसूल हो जाता है और पता चल जाता है कि किस गाड़ी का टैक्स नहीं वसूल हुआ। टैक्स अगर किसी का वसूल नहीं हुआ है तो उसकी पेनाल्टी वैसे ही इतनी है कि उस सूरत में टैक्स के अलावा कहीं अधिक पैसा देना पड़ जाता है। एक दो रोज तो कोई गाड़ी धोखे से इस तरह से चल सकती है, लेकिन अगर अधिक चलेगी तो पकड़ी जायगी। टैक्स तो उस को पे करना ही पड़ता है या वह अपने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करे। तब तक वह रह ही नहीं सकती। तो वह टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। इस प्रदेश की समता हमारे माननीय मंत्री जी दूसरे प्रदेशों से यह दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे यहां टैक्सेज कम हैं। इसकी तुलना थोड़ी-सी विदेशों से भी करें। मोटर टैक्सेज इतने ज्यादा हुए हैं कि क्या कहा जाय। अगर कहीं दूसरी जगह ज्यादा भी हैं तो भी बिना सोचे समझे हम कापी कर लें ऐसी बात उचित नहीं है। हमारे मंत्री जी दूसरों की ही कापी करना जानते हैं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने शायद इसको नजरअन्दाज कर दिया, इस पर सोचा नहीं। तो मैं आप के द्वारा यही निवेदन करूंगा कि इसको निकालने के बाद फिर देखें और प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि इस पर ठीक से विचार हो जाय और फिर यह लाया जाय। इतना ही मुझे कहना है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव पेश हुआ है इस सदन में, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मंत्री जी ने बताया है कि यह बहुत साधारण सा विधेयक है, परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि यह कहने को भले ही साधारण हो पर अत्यन्त भयंकर इसका रूप है और इसके जो परिणाम होने वाले हैं, वह जनता के लिए दुखदाई होंगे। चरण सिंह जी ने, जो वित्त मंत्री थे, एक जगह अपने भाषण में कहा था कि सरकार की नीति अधिक टैक्स बढ़ाने की नहीं है। इससे बड़ी आशा हो गई थी कि सरकार को सद्बुद्धि आ गयी है, सरकार वास्तविक परिस्थिति जान गयी है कि जनता टैक्सेज के बोझ से परेशान है।

आज जो सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही जाती है, इससे लोग आशा करते थे कि सब की हैसियत और आमदनी बढ़ेगी, लेकिन थोड़े दिनों में यह दशा होने वाली है कि सरकारी

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

अहलकार और हमारे मंत्री महोदयों की कृपा से भले ही मोटर पर कोई चढ़ ले, लेकिन अब मोटर पर चढ़ने की हालत नहीं रह जायगी, जिस प्रकार से आज टैक्सों का रूप हो रहा है। आज पेट्रोल और डीजेल आयल के दाम कितने बढ़ गये हैं, उन पर टैक्सेज कितने बढ़ गये हैं। एक प्रकार से जो लोग कार रखते हैं या जिनको मोटरों पर चढ़ने की आवश्यकता पड़ती है वह भली भांति जानते होंगे कि कितना रुपया टैक्सों के रूप में सरकारी खजाने में जाता है।

कहा जाता है कि टैक्स इसलिये बढ़ाये जा रहे हैं कि सड़कों की हालत सुधारी जायगी। शहरों में जहां सीमेंट की सड़कें बनती हैं वहां उनकी हालत भले ही सुधर जाय लेकिन आज देहातों की क्या दुर्दशा हो रही है ! आज हमारे ही नगर लखनऊ को ले लीजिये। गोमती के किनारे जो स्टैडियम बन रहा है उसमें १८-२० लाख रुपये का व्यय होने जा रहा है। अगर यह रुपया देहात में जाकर सड़कों पर खर्च कर दिया जाय तो उससे एक जिले का बड़ा भारी उपकार हो जाय। लेकिन वह तो शहर के बच्चों के खेलने के लिए और लोगों के जलसे देखने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं।

ऐसी दशा में मैं चाहूंगा कि इस बिल को इस रूप में न पास किया जाय बल्कि इसके परिणामों को गम्भीरता से देखा जाय कि इन टैक्सों का जोर किस पर पड़ता है। जो लोग ट्रक्स और बसेज चलायेंगे वह बढ़े हुए टैक्सों का पैसा अपने घर से नहीं देंगे, वह किराये बढ़ायेंगे और गरीब जनता पर उसका भार जायगा।

सबसे भयंकर जो इस बिल में क्लाज रखा गया है पुलिस अधिकार का, इस पर तो लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। मैं तो समझता था कि वेलफेयर स्टेट बन रही है, पुलिस की तानाशाही और अधिकार कम होंगे। मगर यहां तो एक शौक सा हो रहा है कि हर विभाग में पुलिस के कोई न कोई अधिकार बढ़ाये जायं। इसका क्या परिणाम होगा यह तो देहात की जनता ही समझ सकती है। आज पुलिस के अत्याचारों और आतंकों से जो अनुभव देहात की जनता को हो रहा है उसका अनुमान शहरों में रहने वाले लोग नहीं कर सकते। जैसा एक भाई ने बताया, अब मोटर वालों को पुलिस पर आश्रित रहना पड़ेगा। दरोगा जी अगर मोटर मांगेंगे तो उसे देनी पड़ेगी नहीं तो, किसी दिन भी उसको रोक कर कम से कम परेशान तो कर ही सकते हैं। अक्सर लोग टैक्स की रसीदें आदि नहीं रखते हैं। अगर दुर्भाग्य से यह भी मौका मिल गया तो फिर अच्छी तरह से परेशान करेंगे। मैं तो कहूंगा कि इस विधेयक को वापस लेना चाहिये। आज जो टैक्सेज लगे हुये हैं वही काफी बोझ हो रहे हैं। जो अधिकार सरकार ने अपने कर्मचारियों को आज दे रखे हैं मेरे विचार से वही बहुत काफी हैं। आखिर कौन सी दिक्कत सरकार को कार्य संचालन में पैदा हुई जो और अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं ? इतने बड़े अधिकार प्रजातंत्र में सरकारी कर्मचारियों को देना कहां तक उचित है ?

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। जो मौजूदा कानून है, उसमें भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनसे जनता को कठिनाई प्रतीत होती है।

खुशी की बात है कि हमारे मंत्री जी ने कहा है कि जो ट्रैक्टर ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिये होंगे उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। मैं कहता हूं कि यह चीज क्यों नहीं कानून में साफ-साफ लिख दी जाती है ? विधेयक पास तो यहां होगा, लेकिन उसका इंटरप्रेटेशन तो आर० टी० ओ० के दफ्तर में होगा। मैं तो चाहूंगा कि जो ट्रेलर लगाया जाता है उसको कर से बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिये अगर वह ऐग्रीकल्चरल परपज के लिये है। लोग जीप आदि में भी ट्रेलर लगाते हैं। उसका नम्बर अलग कर दिया जाता है, अलग रजिस्ट्रेशन होता है, अलग फीस ली जाती है। तो फिर यह क्यों पाबन्दी लगायी जाती है कि अमुक मोटर के साथ ही उसका इस्तेमाल किया जाय ? जब उसका नम्बर और टैक्स अलग होता है तो किसी भी मोटर के साथ उसको इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन प्रवर समिति को भेजने का जो संशोधन है उसको स्वीकार करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--ऐसा प्रतीत होता है कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस वादविवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमारे सम्मुख जो प्रस्ताव पारित किया गया है कि, आज ही इसको खत्म कर देंगे, वह भी है। इसलिये सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय यातायात मंत्री जी तथा सदन से निवेदन करूंगा कि वह साधारण वादविवाद को एक घंटा के लिये और बढ़ायें, यानी ३ बजे के स्थान पर ४ बजे तक हो और सदन का समय आज ६ बजे तक कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--एक घंटा सदन का समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि केवल दो, एक संशोधन ही महत्वपूर्ण हैं और बाकी तो केवल विरोध ही है। (कुछ ठहरकर) मैं समझता हूं कि इसके वादविवाद में आध घंटे का समय बढ़ा लें और ५ बजे तक यह खत्म हो जायगा। यदि ४-३० बजे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उस समय समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। इस समय वादविवाद आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

डाक्टर सीताराम--वादविवाद का समय साढ़े तीन बजे तक कर दिया जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर यह बिल ५ बजे तक पास हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आपने जो सुझाव दिया था वही उत्तम था। ४ बजे तक इस पर वादविवाद चले और यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो ५ बजे से पहले समय बढ़ा लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप सब तय कर लें कि ४ बजे तक वादविवाद चलेगा और फिर इसके बाद देखा जायगा।

डाक्टर सीताराम--श्रीमन्, वादविवाद का समय बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर यह ५ बजे तक पास हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--यह तय रहा कि ४ बजे तक वादविवाद चलेगा और फिर ५ बजे तक यह खत्म हो जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने सदन की सहमति ले ली। उस समय आप चुप थे। अब आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने पेश हुआ है उसके लिये मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ जो प्रवर समिति में भेजने के संशोधन पेश हुये हैं, उनका विरोध करता हूं। श्रीमन्, यह एक छोटा-सा विधेयक है और एक भाई ने 'निर्दोष' शब्द पर आपत्ति की है इसलिये इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहरहाल यह एक छोटा-सा विधेयक है। मैंने इसलिये इसका स्वागत किया कि इसके पास हो जाने से प्रदेश को ५० लाख की आय हो जाती है और आज के इस डेवलपमेंट के युग में जब कि हम अपने यहां विकास करने जा रहे हैं और हमारे पास पैसे का साधन नहीं है और बराबर गवर्नमेंट आफ इंडिया से तकाजा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने साधनों का पूरा-पूरा इस्तेमाल करें और इसके बाद वह ग्रांट देने को तैयार होते हैं, ऐसी सूरत में मामूली टैक्स को बढ़ा कर ५० लाख की रकम मिलती है तो अच्छी बात है और मंत्री जो इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

श्रीमन्, जैसा कि इसके एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि अगर हम दूसरी स्टेट्स से मुकाबला करें तो हमारे यहां टैक्स बहुत कम हैं। अब भी जितना बढ़ा है उसको आप देखें। अब भी वह पंजाब और बिहार के मुकाबले में सबसे कम पड़ता है। बहस के दौरान में बहुत सी बातें आईं सोशलिस्टिक पैटर्न की बात आ गई और ऊंचे-ऊंचे आदर्श और नीति की बातें हमारे सामने आईं। एक साहब ने बताया कि यह टैक्स गरीबों पर पड़ने वाला है। यह भी कहा कि कोई भी टैक्स हो अन्त में गरीबों पर ही पड़ता है। समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट भाइयों की यह मांग रही है और जिसको मैं भी सही मानता हूं कि जिनके पास धन है उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट में दो तरह की मोटरें हैं एक तो प्राइवेट मोटरें और दूसरी किराये पर चलने वाली गाड़ियां। यह सर्वविदित है कि हमारे देश में वही आदमी मोटर एफोर्ड कर सकता है जिसका जीवन स्तर काफी ऊंचा है जन-साधारण के मुकाबले में। यदि आज बजाय ९ रुपये के १२ रुपये तिमाही मोटर पर टैक्स है तो एक साल में १२ रुपये के हिसाब से एक रुपया माहवार पड़ेगा जब कि मोटर के मेंटिनेंस में तीन-साढ़े तीन सौ महवार से कम नहीं बैठता है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह कोई इतना बड़ा टैक्स पड़ गया कि हम मोटर रखने के काबिल ही नहीं रहेंगे, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा। पेट्रोल की कीमत एक जमाने से बढ़ गयी यह नयी बात नहीं है। इससे सिर्फ एक रुपया माहवार मोटर पर टैक्स बढ़ता है जब कि तीन साढ़े तीन सौ रुपये माहवार मोटर पर खर्च होते हैं। मैं इसको किसी मानी में भी अनुचित नहीं मानता। यहां तक कहा गया कि मोटर आपरेटर्स और ठेले वाले अपना किराया बढ़ा देंगे। मैं समझता हूं कि यह भय भी निर्मूल है। सरकार की तरफ से किराया निश्चित है ७ पाई या ९ पाई फी मील। बिना सरकार की आज्ञा और स्वीकृति के प्राइवेट आपरेटर्स अपना किराया नहीं बढ़ा सकते। यह भय कि १०, २०, ३० रुपये साल का टैक्स बढ़ जाने से, गरीब जनता पर बोझ आ जायगा, मैं श्रीमन्, मानने को तैयार नहीं हूं। जिस समय मोटर वेहिकिल्स बिल पर बहस हुई थी उस वक्त बहुत से भाइयों ने कहा था--यद्यपि मैं उससे सहमत नहीं हूं--कि यह बस आपरेटर्स पूंजीपति हैं, इनको हजारों रुपये माहवार की आमदनी है। एक तरफ इस तरह की बातें कही गयीं और आज जो उन्हीं के ऊपर १०, २०, ३० रुपया साल सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है तो आज यह आवाज आती है कि यह गरीब जनता के ऊपर सरकार टैक्स बढ़ाती है। यह भी कहा गया कि सरकार टैक्स लगाने का कोई न कोई तरीका निकालती है जिससे गरीब जनता पिसती है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जितना यह टैक्स है इसका कोई भी अंश गरीब जनता पर पड़ने वाला नहीं है।

धारा १५-ए के बारे में जो कहा गया उसमें मुझे भी कुछ थोड़ी-सी परेशानी हुई। इसलिए नहीं हुई कि आपने पुलिस आफिसर को इतनी बड़ी ताकत दे दी है और वह दबाव देकर निजी तौर पर मोटरों का इस्तेमाल करने लगेगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो टैक्स न दे उसकी मोटर को पुलिस आफिसर सीज कर लेगा। जो दलील जगदीशशरण जी ने दी उससे थोड़ा मुझे इत्तफाक नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि अगर मोटर वाला टैक्स नहीं देता है और मोटर सीज कर ली जायगी तो उसको जो परेशानी होगी उससे वह टैक्स दे देगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा एक सुझाव है, माननीय मंत्री जी उस पर विचार करें। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मोटर बस जहां से स्टार्ट हो और जो उसका आखिरी डेस्टीनेशन हो उसके बीच में अगर पुलिस आफिसर को यह बात सूझे कि हम सीज कर लें तो इतना उसमें जरूर हो जाय कि उसमें जो गरीब पैसेंजर बैठे हों, क्योंकि उन्होंने टिकट खरीदा है, उनको कोई एम्बरेसमेंट न हो। उस आपरेटर के ऊपर यह लाजिमी हो कि चाहे उसमें सिपाही बैठ जाय या दारोगा जी खुद बैठ जायं लेकिन मुसाफिरों को डेस्टीनेशन पर पहुंचा दें तब गाड़ी पुलिस स्टेशन को जाय। तो उसको सीज करने की पावर तो होनी चाहिए। दरोगा जी को सीज करने की शक्ति तो हो, लेकिन इतनी बात उसमें अवश्य हो जाय कि उसके अन्दर जो पैसेंजर हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, पैसा देने के बाद बैठे हैं उनको इसके अन्दर किसी तरह का कष्ट न हो। राजा साहब

ने फरमाया कि आप सीज तो कर लेंगे, लेकिन कितना टैक्स बाकी है? मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मेरी मालूमात यह हैं कि करीब एक करोड़ रुपया इस सूबे के अन्दर बस आपरेटर्स के पास टैक्स का बाकी है। सही आंकड़े माननीय मंत्री जी बतायेंगे। एक तरफ यह मांग होती है कि गन्ने के मिल वालों पर इतना बकाया है, इतना सेस बाकी है तो आज अगर बस आपरेटर्स पर भी एक करोड़ रुपया बाकी है, तो सरकार को कोई न कोई कदम तो ऐसा उठाना चाहिए जिससे रुपया वसूल हो। उस डेस्टीनेशन तक जाने-आने में कुछ तकलीफ आपरेटर को हो सकती है लेकिन जो पैसेंजर उसके अन्दर बैठे हुये हैं उनको इस तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिये। मेरे भाई प्राइवेट मोटर पर बैठने वालों की बात कहते हैं कि उनको भी परेशानी होगी, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि वह तो कोई टिकट लेकर बैठते नहीं हैं। उनकी अपनी गाड़ी होती है जिसमें वे, उनकी वाइफ और बच्चे बैठते हैं। ऐसा आदमी अगर अपनी गाड़ी का टैक्स न दे और उसको उन सबके साथ थाने में भेज दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो टिकट लेकर बैठने वाले हैं उनको यह सुविधा जरूर होनी चाहिये जिससे उनको परेशानी न हो। मैं यह समझता हूं कि जो लोग अपनी मोटर रखते हैं वह अपनी इज्जत का खयाल करके ऐसा नहीं करेंगे कि टैक्स जमा न करें।

मेरे मित्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने बताया कि सभी लोग जानते हैं कि शहर में बच्चों को कितनी सुविधाएं होती हैं, जब कि देहात के बच्चों की ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। मैं भी एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। उनकी वाकफियत शहर से ज्यादा हो सकती है लेकिन मैं भी थोड़ा उसके विषय में जानता हूं। लेकिन इस बात से इस बिल में क्या वास्ता है? आपकी शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन इस प्रसंग में वह बात कैसे आ सकती है? उसमें यह लिखा हुआ है कि जो सड़कें बनी हुई हैं उनके रख-रखाव पर सरकार का बहुत खर्चा होता है। यह भी सही है कि पिछले दिनों बहुत-सा रुपया सड़कों के मेन्टीनेन्स पर खर्च हुआ है। मैं यह समझता हूं कि वह बात अपनी जगह पर सही है। यदि आपको कोई शिकायत है तो उसको कहना चाहिये, लेकिन इस बिल से उसका कोई वास्ता नहीं है कि बच्चों के लिये क्या किया गया।

एक बात यहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न की कही गई। आप सोशलिस्टिक पैटर्न की बात भी कहते हैं और टैक्स का विरोध भी करते हैं। श्रीमन्, आप भी सोशलिस्टिक आइडियालोजी को मानने वाले लोगों में से हैं। मैं भी अपने मित्रों को बताऊं कि मैं भी उसी आइडियालाजी को मानने वालों में हूं। मैं आपको बताऊं कि सोशलिज्म के अन्दर टैक्सेशन हाई होगा और वह हाई करना पड़ेगा। बिना हाई टैक्सेशन के सोशलिज्म का प्रसार कर दें यह असम्भव है। लिहाजा सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कह कर टैक्स का विरोध करना, मैं समझता हूं कोई बहुत उचित बात नहीं है। इसके अन्दर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह भी बात थी कि हमारे यहां कुछ ऐसी चीजें थीं जो अभी तक का ऐक्ट था, उसके अन्दर जितनी कठिनाइयां थीं उनको दूर करने का इसमें प्रयास किया गया है। उसमें प्राइवेट स्टेज कैरियर की कोई डेफिनिशन नहीं थी। इसी तरीके से ट्रान्सपोर्ट बेहिकिल्स की परिभाषा में जो सेन्ट्रल ऐक्ट में कुछ चेन्ज हुआ है उसमें यहां भी कुछ चेन्ज करने की बात थी। एक बात यह थी कि अभी तक ट्रैक्टर पर कोई टैक्स नहीं था। हमने भी देखा कि ट्रैक्टर सड़कों पर चलते हैं। अगर उनसे ठेला जोड़ देते हैं तो फिर यह काफी सामान लेकर चलता है। इस पर १०० रुपये साल का टैक्स लगाया गया है। मुझसे राजा जगमनपुर इत्तफाक करेंगे कि यह टैक्स ट्रैक्टर पर ज्यादा नहीं है, मैं तो यह समझता हूं कि इसके अन्दर कोई अगर हैसियत का टैक्स लग सके तो अच्छा है और उसको लगा दिया जाय और मुझे उसके लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४-५ क्लाज इसमें हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत हो। मैं समझता हूं इसमें टैक्स बढ़ाने की काफी गुंजायश थी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या बात थी जिसकी वजह से इसको ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। आइन्दा इस बात की कोशिश की जाय तो अच्छा है। इससे लगभग ५० लाख रुपया हमारे यहां बढ़ेगा। इसके बाद इस तरह के बिल लाये जायं जिससे और टैक्स बढ़ सकें क्योंकि यह एक अच्छा तरीका है अपनी स्टेट की आमदनी बढ़ाने का। इन शब्दों

[श्री नवलकिशोर]

के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जिन सज्जन ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया है वह उसको वापस लेने की कृपा करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---आन ए प्वाइंट आफ क्लैरिफिकेशन। माननीय सदस्य, जिन्होंने अभी भाषण दिया, ने बताया कि इस टैक्स से ५० लाख रुपया सरकार के पास पहुंचेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस बेसिस पर उन्होंने इस चीज को कल्कुलेट किया है और उनकी इन्फार्मेशन क्या है?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे।

श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)---मैं माननीय भगवती सिंह जी विशारद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं उनमें कहा गया है कि---"ये दरें कतिपय अन्य राज्यों में लगाये गये करों की दरों की तुलना में काफी कम हैं। अन्तिम बार जब इन दरों का पुनरीक्षण हुआ था तब से परिस्थितियां बदल गयी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब वह स्थिति आ गयी है जब सड़कों के निर्माण तथा सुधार पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये इन करों की दरों में कुछ वृद्धि की जाय"। श्रीमन्, हमारा देश और प्रदेश आज योजनाओं के युग में चल रहा है और हर किसी स्वतंत्र देश के नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में सक्रिय सहयोग दे और उनमें भाग ले। इसके साथ ही उसका यह अधिकार भी हो जाता है कि वह सरकार द्वारा अच्छी सड़कें और पुलों आदि का निर्माण कराये ताकि यातायात में सुविधा मिले। वैसे तो माननीय मंत्री जी की मंशा में मुझे कोई संदेह नहीं है परन्तु मुझे इतना अवश्य कहना है कि माननीय मंत्री जी का यह कहना कि हमारी दरें दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा कम हैं, कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है, क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया कि इन दरों को बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि हम कमी में चल रहे हैं। न ऐसा कहा गया और न और किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री तथा दूसरे मंत्रिगण कहा करते हैं कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा प्रगतिशील है, हमारे प्रान्त में अधिक सुविधायें हैं तथा हम ऐसे विकास के कार्य कर रहे हैं कि जो दूसरे प्रान्त नहीं कर रहे हैं। इसके साथ उनका यह कहना कि हम टैक्सों के मामले में दूसरे प्रदेशों से तुलना करें, कुछ अनुचित-सा प्रतीत होता है। मान्यवर, यह समझ में नहीं आता कि जब कभी टैक्सों की बात आती है हमारी सरकार सदा इसी विचार में रहती है कि टैक्स बढ़ जायं। इस प्रकार टैक्स बढ़ाने से किसी देश का विकास नहीं हुआ करता। जब ऐसे टैक्स बढ़ाये जाते हैं तो उस काम में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले जब ट्रैक्टरों का प्रचार हुआ था तो यह कहा गया था कि यह खेती के लिये हैं इसलिये उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। आज उन पर टैक्स लगाने की बात चल रही है। दूसरे उसमें जो पावरीन इस्तेमाल होती है वह पहले, ५ साल पहले १८ आने गैलन थी। आज उसका दाम २ रुपये २ आना गैलन हो गया है। इस प्रकार कर बढ़ाने से क्या खेती के काम में बाधा नहीं पड़ेगी? इन विचारों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ट्रैक्टरों तथा उसमें कंज्यूम होने वाली चीजों, तेल तथा पावरीन पर से टैक्स हटाने की कृपा करें। इससे देश का कल्याण होगा।

मान्यवर, मैंने तालिका को देखा। उसमें साइकिल पर भी टैक्स है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज साइकिल हमारे देश में सर्वसाधारण की वस्तु हो गयी है। उसे चपरासी, क्लर्क, अध्यापक, पतरौल, लेखपाल, विद्यार्थी आदि सभी इस्तेमाल करते हैं और वे इतना अल्प वेतन पाते हैं कि उन पर टैक्स लादना उचित नहीं होगा। तो इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम आप इस साइकिल पर से टैक्स हटा ही दें।

श्री उपाध्यक्ष---उनका मतलब मोटर साइकिल से है।

श्री रघुवीर सिंह---अगर साइकिल पर नहीं है तो मैं सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूं।

मैंने मूल अधिनियम की तालिका में यह भी देखा है कि जो साइकिल २०० पौंड की होती थी उस पर पहले सवा ग्यारह रुपया टैक्स लगाया गया था लेकिन अब उसको बढ़ा कर १६ रुपया कर दिया गया है। वह भी कभी कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ था।

इन टैक्सेज के बारे में एक उदाहरण भी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। सरकार के द्वारा नये पुलों के निर्माण के पश्चात् पैदलों पर, साइकिलों पर और बैलगाड़ियों पर टैक्स लगाया गया था। ऐसे टैक्सों का हमारी पार्टी ने विरोध किया था। अन्ततोगत्वा सरकार को यह टैक्स हटा लेना पड़ा। इसके लिये हम निर्माण विभाग के बहुत-बहुत आभारी हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि टैक्टरों के इम्पलीमेंट्स के ऊपर बहुत से टैक्सेज और डयूटी लगने से वह दूने और चौगुने हो जाते हैं। अगर आज इम्प्लीमेंट्स खरीदे जाते हैं तो पांच गुने दामों में पड़ते हैं। इसका भी खेती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय भगवतीसिंह विशारद के प्रस्ताव कि, यह विधेयक एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे, का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपने भाषणों में ५ मिनट से ज्यादा न लें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूक्ष्म रूप से इस विधेयक का सिंहावलोकन करना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में यह विधेयक एक बहुत ही निर्दोष विधेयक है और इसके उद्देश्य और कारणों में, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि दूसरे प्रदेशों में टैक्सेज ज्यादा हैं। केवल अपने को उन टैक्सेज की श्रेणी में, न्याय के अन्दर इनको लाने के लिये ऐसी चीज की जा रही है। यह शेडयूल १९३५ में बनाया गया था और केवल १९५२ में उसमें संशोधन किया गया। तब से यह वैसे ही पड़ा हुआ था कि सरकार की दृष्टि इस पर गयी। सरकार इस अर्थ में धन्यवाद की पात्र है। इसके अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका विशेष रूप से विरोध किया जा सके। जितनी शंकायें की गयी हैं वे दुर्बल भावनाओं के कारण ही की गयी हैं। खंड ५ और ६ के बारे में कहा गया है कि उनके द्वारा एक सब-इन्सपेक्टर को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अन-अथराइज्ड मोटर्स को डिटेन कर सके अथवा सीज कर ले। मेरे निकट तो किसी भी विधेयक का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता अगर उसमें से पेन ल्टी क्लाज को निकाल दिया जाय। पेन ल्टी क्लाज के निकल जाने के बाद उसमें कोई चीज रह ही नहीं जाती, कोई भी मेजर कैसे प्रभावकारी रह जायगा ?

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसका प्रभाव तो केवल कुछ लक्ष्मी पुत्रों पर ही पड़ता है। इसका प्रभाव क्षेत्र तो इतना संकुचित है कि उसका प्रभाव जनसाधारण पर नहीं पड़ता, जिनके पास बुद्धि है, संपत्ति है उन पर ही पड़ता है। अब अगर यह सोच लिया जाय कि सब-इन्सपेक्टर क्रूर और अत्याचारी है तो यह सोच कर तो कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता।

विचार तो यों होना चाहिए कि उनमें कुछ ऐसी संख्या लोगों की होगी जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं लेकिन सब उसका दुरुपयोग ही करेंगे, इसकी शंका नहीं होनी चाहिए। इसके अन्दर यह चीज मौजूद है कि अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो कोर्ट आफ ला में उस को चैलेंज किया जा सकता है और टैक्स से मुक्ति के लिए निवेदन कर सकता है। यह विधेयक तो इतना शान्त है कि मैं देखता हूं कि इसमें पेनाल्टी की तो कोई धारा ही नहीं है कि अनअथराइज्ड वे में मोटर वेहिकिल्स चलाने वाले को सब-इन्सपेक्टर पकड़ ले तो उसे दण्ड

[श्री रामलखन मिश्र]

दिया जा सके। या समरी ट्रायल किया जा सके। मैं नहीं समझ सका कि इसमें कौन-सी ऐसी चीज है जो जनता के विरुद्ध है। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इसी बात पर विशेष जोर दिया गया था और अब मैं अपने इस कथन को समाप्त करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोतीलाल अवस्थी ने जो संशोधन इस विधेयक को एक सप्ताह के लिए प्रवर समिति में भेजने का पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को पेश करते हुए उद्देश्य और कारणों को बतलाते हुए बतलाया है कि अब सड़कों के निर्माण तथा सुधारों में बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए इन करों की दरों में कुछ वृद्धि की जाय, ऐसा समय आ गया है। मैं तो इस विषय में मान्यवर, आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पेश करते समय यह भी बतलाये होते कि इस समय कितनी हमारी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है और उनकी संख्या इस सदन के सामने पेश करते। यह भी बतलाते कि उन गाड़ियों से इस समय कितना टैक्स प्राप्त हो रहा है और यह भी बतलाते कि अब इस नये टैक्स के लगाये जाने के बाद वे आगे कितनी वृद्धि आमदनी में हो जाने की सम्भावना समझते हैं। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने न तो इन बातों को उद्देश्य और कारणों में बतलाया है और न इस विधेयक को पेश करते हुए उन्होंने अपने भाषण में ही इन बातों पर प्रकाश डाला है। इसलिए हम नहीं समझ सकते कि कितनी आमदनी इस समय है और इस मोटर टैक्स की बढ़ोत्तरी से और कितनी आमदनी बढ़ने की सम्भावना है। माननीय मन्त्री जी सोच रहे हैं कि वे इस विधेयक को अधिनियम बना कर लागू कर देंगेकिन्तु ऐसा करने की आवश्यकता से सदन को अंधकार में रखना चाहते हैं।

दूसरी बात इस विधेयक को पेश करते समय माननीय मन्त्री जी ने इस टैक्स को बढ़ाने के लिए और कही है और वह यह कि दूसरे प्रान्तों में जो टैक्स लगा हुआ है वह अपने इस प्रान्त की अपेक्षा अधिक है और अपने प्रान्त में कम है ? मैं तो समझता हूं इस तरह की दलील बहुत ही लचर दलील है। आप दूसरे प्रान्तों से यही सबक लेना चाहते हैं कि वहां किन मामलों में टैक्स ज्यादा है और अपने यहां किन मामलों में कम है। अगर दूसरे प्रान्तों की ओर ही देखना है तो आप वहां की और बातें भी देखते। जहां पर कुछ मामलों में दूसरे प्रान्तों से कम टैक्स लगा हुआ है उस की अपेक्षा आप के प्रान्त में दूसरे विषयों में अधिक टैक्स है और दूसरे प्रान्तों में कम है। तो यह तो होता ही है कि कहीं पर किसी चीज पर ज्यादा आमदनी है, कहीं किसी विभाग से कम आमदनी है। लेकिन इस टैक्स की वृद्धि करते समय यह दलील देना कि दूसरे प्रान्तों में चूंकि अधिक टैक्स लगा हुआ है इसलिए हम भी इसको बढ़ाने के लिए मजबूर हैं, उचित नहीं है।

एक बात इस सम्बन्ध में मैं और कहूंगा और वह यह कि टैक्स जब आप बढ़ायेंगे तो इस मौजूदा टैक्स के रहते हुए ही आज कृषि की पैदावार हमारे प्रान्त में डेढ़ सेर और उसके आस पास दो सेर से कम भाव पर ही बिक रही है, तो इस ट्रांस्पोर्ट के कर को और बढ़ा देंगे तो क्या इस सरकार का मंशा यह है कि हमारे यहां खाद्य पदार्थ या अन्न जो बाजारों में आवे वह एक सेर या उससे कम भाव पर भी बिकने लगे ? मैं समझता हूं कि इस अन्न-संकट के समय कोई कर वृद्धि का प्रश्न इस सदन के सामने लाना सरकार के लिए न्यायसंगत नहीं था। इस समय तो कोई भी बात ऐसी करना जिससे जनता पर बोझ बढ़े और करों में वृद्धि हो, ऐसी बात का होना उचित नहीं है। जब कि प्रान्त में ऐसा व्यापक अन्न-संकट हो, उसको देखते हुए इस विधेयक का लाना न्यायसंगत नहीं है।

एक बात के बारे में प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने इस ओर के और उस ओर के भी जोर दिया कि एक पुलिस कर्मचारी को जो कि थानेदार के दर्जे से कम का न हो, उसे यह अधिकार

दिया गया है कि वह जब चाहे प्रत्येक मोटर गाड़ी को चेक कर सकता है, उसको अपनी मनमानी जगह पर ले जा कर बन्द कर सकता है, मैं इस कानून की इतनी सख्त निन्दा करना चाहता हूं जितनी कि सम्भव हो सकती है।

मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज भी जितने पुलिस कर्मचारी उन थानों से सम्बन्धित हैं जो सड़क के किनारे पर स्थित हैं उन सड़कों पर जितनी बसेज, ट्रक्स, प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं कोई भी सिपाही जो उन थानों से सम्बन्धित होता है अपने इलाके में जाने के लिए इन प्राइवेट कैरियर वालों को किराये का पैसा नहीं देता है और इस प्रकार वह इनका दुरुपयोग करता है। आज भी यह बात प्रचलित है जब कि आपने यह अधिकार नहीं दे रखा है, और जब आप यह अधिकार दे रहे हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका परिणाम यह होगा कि इस रोजगार के करने वाले पुलिस के रहम पर अपना काम कर सकेंगे, अन्यथा कर ही नहीं सकेंगे।

मैं इस बात को बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी को अधिकार दीजिये, आप के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मातहत जो भी कर्मचारी रहते हैं, जो इन्स्पेक्टर्स रोडवेज की बसेज को चेक करते हैं उन को आप यह अधिकार दे दीजिये कि वे चेक कर सकें, लेकिन पुलिस के किसी अधिकारी को यह अधिकार देना उचित नहीं है। आप थानेदार के लिए कहते हैं, मैं डी० एस० पी० और एस० पी० के बारे में कह सकता हूं कि उनको भी आप यह अधिकार देंगे तो उसका अवश्य दुरुपयोग होगा, इस इन्डस्ट्री को खत्म करने के लिए होगा। लोग इस काम को छोड़ बैठेंगे। इस स्वतंत्रता के युग में पुलिस के अधिकारों को बढ़ाया जाय यह उचित नहीं होगा। जितने आज भी उस को अधिकार हैं उनका पुलिस कदम-कदम पर दुरुपयोग कर रही है और अगर आप वृद्धि करते हैं अधिकारों में तो मैं नहीं समझता कि प्रान्त को आप कहां पर ले जाना चाहते हैं ?

मैं अपने अनुभव से बतलाना चाहता हूं कि मेरे पास एक स्टेशन वैगन था और उससे एक ऐक्सिडेंट हो गया और ऐक्सिडेंट हो जाने पर श्रीमान् सब-इन्स्पेक्टर ने स्टेशन वैगन ले जाकर थाने में रख लिया। मुझे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि ऐक्सिडेंट हो गया था, लेकिन उस स्टेशन वैगन का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसको वे बराबर देहात में ड्राइवर रख कर ले जाते रहे। जब इसकी सूचना मुझे मिली तो मैंने स्थानीय अधिकारियों से इस बात पर एतराज किया कि उन्हें ले जाने का अधिकार नहीं है। इस पर उन्होंने यह किया कि स्टेशन वैगन को थाने में खड़ा कर दिया लेकिन सारे शीशे तोड़ दिये, रोशनी की जितनी लालटेनें थीं उन सब को खराब कर दिया। ऐसी स्थिति में अब आप उनको यह अधिकार दे रहे हैं कि वे गाड़ी को जहां चाहें रोक सकते हैं, जहां चाहें ले जा सकते हैं और बन्द करा सकते हैं तो उसका दुरुपयोग होगा और गाड़ियों का सर्वनाश हो जायगा।

टैक्स की रकम १००, २०० या ४००, ५०० बकाया होगी, लेकिन एक गाड़ी की कीमत २० हजार से ३० हजार तक होती है। ४००–५०० की बकाया के लिए २०, ३० हजार की गाड़ी को बरबाद करने का अधिकार आप पुलिस अधिकारी को दे रहे हैं कानून के द्वारा, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जो इस धारा को इसमें से निकाल देने की कृपा करेंगे और पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार नहीं देंगे जिससे वे गाड़ियों का दुरुपयोग कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्री मोतीलाल जी अवस्थी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––मैं निवेदन कर चुका हूं कि कोई माननीय सदस्य ५ मिनट से अधिक न बोलें। फिर वही बातें बार-बार दोहराई जाती हैं, इसलिए नयी बातें कही जायं और ज्यादा समय न लें।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष की तरफ से आये हुए संशोधनों

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

का विरोध करता हूं। मैं बड़ी देर से इस बात की इच्छा कर रहा था कि अपने विचार रखूं और इस असर के कारण जब कि मैंने अपने साथियों के भाषण सुनें तो मेरा यह इरादा हुआ कि थोड़ा जो रास्ते से बाहर जाने की बात है उस पर अपनी बात कही जाय और उनको रास्ते पर लाने की कोशिश करूं ।

कुछ साथियों ने एक मौलिक प्रश्न उठाया और कहा कि आखिर टैक्स बिल जो पेश है इसको बढ़ाने और पेश करने का क्या आधार है ? एक बड़ा मौलिक प्रश्न है। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, वैसे तो मन्त्री जी ने प्रस्तुत करते समय संक्षेप में उसका आधार बताया है और वह हैं ४ बातें। पहली यह कि दूसरे प्रान्तों से काफी कम है। दूसरी बात यह कि परिस्थितियां बदल गयी हैं १९५२ से अब तक, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। तीसरी बात यह कि सड़कों के निर्माण तथा सुधार की आवश्यकता है और चौथी बात उन्होंने कही कि कुछ कठिनाइयां आयीं।

यह मोटी-मोटी बातें उन्होंने कहीं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे भी आगे एक इतिहास इस टैक्सेशन के पीछे है। प्रथम संसार युद्ध के बाद लड़ाई के असर से सड़कों का वीयर ऐण्ड टियर काफी हुआ। उसके बाद मोटर का इस्तेमाल भी धीरे-धीरे देश के अन्दर बढ़ा और मोटर टैक्सेशन भी जगह-जगह, किस्म-किस्म से लिया जाता था, कोई एक निश्चित प्रणाली नहीं थी। इसलिए आप देखेंगे और मेरे साथी भी देखेंगे कि इसी कारण मौके-मौके से यहां तमाम कमेटियां और कमीशन इस बात को निश्चित करने के लिए कि इसकी रूपरेखा क्या हो, यहां मुकर्रर हुये । मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने १९२७ में एक रोड डेवेलपमेंट कमेटी बैठायी। उसने इस टैक्स के बारे में सर्वे करके रिपोर्ट दी। १९४३ में नागपुर प्लान में तमाम बातें तय हुयीं और इसी टैक्स की तहत में तमाम बातें रोड डेवलपमेंट के बारे में सोची गयीं और उन्होंने सुझाव दिये। इसके बाद १९५० में गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने एक मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन कमेटी मुकर्रर की जिसने कि इस टैक्स के बारे में वाइड तरीके से छानबीन की। इसके बाद १९५१ में एक ट्रांस्पोर्ट एडवाइजरी काउन्सिल के सामने भी इस टैक्स का प्रश्न गया और वहां इस बात की छानबीन की जाने लगी कि इसकी एक निश्चित प्रणाली क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके द्वारा और भी यह कहना चाहता हूं कि इन सब कमेटियों और कमीशनों के अलावा जो इतने दिनों से इस टैक्स की बैकग्राउन्ड तथा पालिसी तय करने के लिए सर्वे कर रहे थे, १९५० में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन बैठा और उसने कुछ सुझाव दिये जिनके आधार पर कई प्रदेशों ने भी मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन में बढ़ोत्तरी की। सबसे लेटेस्ट जो सर्वे हुआ वह सर्वे इन सब कमेटियों की बातों को निगाह में रख कर साथ ही साथ मोटर मालिकों की जो दिक्कतें उनके सामने आयी थीं, उनको सामने रख कर एक नीति रीति इस टैक्सेशन के बारे में टैक्सेशन कमीशन ने निर्धारित की। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन सब कमेटियों और इन सब बातों की तहत में इस टैक्स का जन्म हुआ और यह टैक्स पनपा और उन कमेटियों और कमीशन्स के फैसले के बाद अब यह पालिसी तो निश्चित हो गयी कि आखिर यह जो टैक्स विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न तरह से लिये जाते हैं उसमें एकरूपता हो, यही कारण है लगाने का और इसीलिए निश्चित दरें मुकर्रर हुईं। सवाल यही आया कि जब टैक्स इस रूप में लिया जायगा तो उसकी एक निश्चित दर होनी चाहिए। अभी श्री मोतीलाल जी ने अपनी स्पीच में कहा और बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया, मैं क्षमा चाहता हूं वह बुजुर्ग हैं, वह उस्ताद हैं और हम सब विद्यार्थी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस टैक्स को लगाने में धूर्तता की है, उन के मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह मेरी पूरी स्पीच पढ़ लें मैंने उस में कहीं भी शब्द "धूर्तता" का प्रयोग नहीं किया है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—यदि ऐसा नहीं कहा है तो अच्छी बात है, वह मुझे क्षमा करें।

श्री उपाध्यक्ष---आप कुछ नयी चीज नहीं कह रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं, आप का समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---जहां तक ज्यादती की बात है, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट को देखा जाय, टैक्सेशन कमीशन ने भी यह सिफारिश की है । जिसमें जनता के प्रतिनिधि और स्टेट के प्रतिनिधियों की राय भी ली गई थी। वहां यह मसला इन्डियावाइड निगाह से देखा गया ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कई बार यह बात कह चुके हैं, कोई नयी बात कहें तभी मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---आप देखें कि मद्रास की रेट में एक सीलिंग लिमिट तय हुई और कहा गया कि हर स्टेट अपने यहां उस के अनुसार टैक्स लगाये । जो रेट्स हमने उस के अनुसार इस वक्त लगाये उनसे कोई हिचकने की बात नहीं है क्योंकि जो रेट लगाये जा रहे हैं वे अब भी अगर देखा जाय तो मद्रास के टैक्स रेट से कम हैं । ऐसी हालत में, मैं नहीं समझता कि अगर यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो यह किसी के साथ ज्यादती है। इस को ज्यादती नहीं कहना चाहिए।

एक तर्क यह भी दिया गया कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो वेहिकिल्स कम हो जायेंगे । मैं इसको नहीं मानता। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के सामने एक बार यह भी प्वाइन्ट आया था। सन् १९५० ई० में कई स्टेट्स में टैक्स बढ़ाये गये और उसका असर यह हुआ जो इन्डिया वाइड सर्वे के चार्ट से जाहिर है कि वेहिकिल्स की तादाद और बढ़ गयी। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं है कि उनकी तादाद घट गयी। जो जरूरत की चीज है उसको तो लोग अवश्य इस्तेमाल करेंगे। वैसे इतने से मुझे सन्तोष तो नहीं है लेकिन चूंकि बन्दिश हो चुकी है इसलिए ज्यादा न बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---लेकिन आप हमारी अपील पर ध्यान दीजिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद---इसलिए मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि यह टैक्स काफी अच्छा और उचित है और इससे हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, जो अधिक धन इसके द्वारा मिलेगा, उससे देश का और राष्ट्र का विकास होगा और नेशन का लाभ होगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य में एक बात कही गयी है, उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा निवेदन करूंगा । उस में यह कहा गया है कि हमारे यहां टैक्स और सूबों से कम है इसलिए यह बढ़ाया जा रहा है। इस पर मुझे यह निवेदन करना है कि क्या केवल टैक्स ही देखे जाते हैं कि हमारे सूबे में कम हैं बकिया और जगहों पर ज्यादा हैं या और भी सुविधायें देखी जाती हैं जो और सूबों में यहां से ज्यादा हैं। जैसे सस्ते गल्ले की दुकानें जिन के बारे में पचासों मर्तबा इसी सदन में चर्चा हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई खयाल नहीं किया जाता है कि वह बढ़ायी जायं । अल्मोड़ा जिले में पांगु नाम का एक गांव है जो प्रदेश के बार्डर पर जो तिब्बत से मिला हुआ है, वहां पर है। वहां रुपये का १० छटांक गेहूं मिल रहा है, उधर हमारी सरकार की नजर नहीं जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाय तो उसमें भी सब से पिछड़े हुए हैं। हम इन्डस्ट्रीज में पिछड़े हुए हैं। हम बढ़ेंगे किस चीज में ? खाली टैक्स में जब कि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि टैक्स का रुपया सुचारु रूप से खर्च किया जायगा। आज भी जो सड़कों के ऊपर खर्च हो रहा है क्या हमारी सड़कें उस खर्चे के काबिल हैं ? क्या वास्तव में उन पर उतना खर्च हो रहा है ? क्या बीच में कोई नाली नहीं कटी है जहां से किसानों का सारा धन दूसरी तरफ चला जाता है।

इन चीजों के होते हुए भी मैं टैक्स बढ़ाने के सिद्धान्त का ही विरोध करता हूं। जब कि हम खाने के लिए मोहताज हैं, दूसरों के आगे झोली फैला कर भीख मांगते हैं, उन भुखमरों पर

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

टैक्स लगाना कहां तक उचित है ? जिस तरह से बढ़े हुए सेल्स टैक्स को दूकानदार ने खरीदार से घसीट लिया उसी तरह से ट्रकों और लारियों पर जो टैक्स लगेगा उससे गरीब जनता का ही नुकसान होगा और उसको ही भरना पड़ेगा। ट्रक वाला जिसका सामान ढोयेगा उससे चार्ज कर लेगा। आज भी वह ज्यादा बोझा लादते हैं और आप ने जो पाबन्दी लगायी है बोझे के ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टैक्स उन के ऊपर बढ़ेगा तो वे और भी गैरकानूनी कार्य करेंगे और जो पकड़ने वाले हैं उन की जेबों में वे और रुपया भेज देंगे। लारी वाले भी किराये बढ़ायेंगे। क्या खुद सरकारी बसों में अलग-अलग सड़कों पर अलग-अलग दाम नहीं रखे हुए हैं, उनका किराया ज्यादा नहीं है ? फिर पब्लिक की बसों में क्या ज्यादा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है ? अवश्य बढ़ाया जायगा। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रक चलाने वाले हैं कौन। उनमें पंजाब के पुरुषार्थी अधिक हैं। हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले जो परेशान हुए थे, वे उनमें अधिक हैं। जिनकी धन दौलत और इज्जत लुट चुकी है अधिकतर वही लोग ट्रक चला रहे हैं। यह टैक्स इन्हीं लोगों पर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इससे ५० लाख रुपये की आमदनी होगी। अगर ऐसे ही आमदनी करनी है तो प्रदेश भर के लोगों के पैजामे और धोतियां उतरवा कर बेंच लीजिये, बहुत काफी आमदनी हो जायगी।

जैसा कि हमारे यादव जी ने बताया, आटो-साइकिल जिसमें मोटर का इंजन लगा हुआ है उस साइकिल पर भी टैक्स बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ट्राइसिकिल। तो ट्राइसिकिल का मतलब क्या मैं यह लगाऊं कि जिस पर बच्चे चढ़ते हैं ? कहने का मतलब यह है कि खाली मोटर वालों पर ही इसका असर पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। एक मामूली दर्जे का आदमी जो दफ्तर से दूर रहता है, अपनी सहूलियत के लिये उसने अपनी साइकिल में मोटर का इंजन लगवा लिया, उस पर भी टैक्स बढ़ेगा। वैसे टैक्स देने में हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि बिला टैक्स दिये प्रगति नहीं हो सकती। मगर चीज यह है कि टैक्स किस हद तक हम दे सकेंगे। अगर टैक्स देते देते हम मर जायं और प्रगति देख भी न सकें तो क्या लाभ ? अगर हमारी आगे की सन्तानें प्रगति देखेंगी तो यही कहेंगी कि हमारे बाबा बड़े दानी थे लेकिन बाबा का तो कचूमर निकल जायगा।

सन् १९३९-४० में पेट्रोल का दाम १ रु० ६ आ० ६ पा० प्रति गैलन था, मोबिल आयल ५ रुपये प्रति गैलन और शेवरली वगैरह मोटर की कीमत चार हजार रुपये थी, सन् १९४६-४७ में जब हमारे गौरांग महाप्रभु हमें राज्य सौंप कर चले गये उसके बाद पेट्रोल का दाम १ रु० १२ आ० ६ पा० प्रति गैलन, मोबिल आयल ६ रुपया ८ आना प्रति गैलन और मोटर ९,००० रुपये की हो गयी। इसके बाद टैक्स लगाने की हद यहां तक पहुंच गयी कि सन् १९५७-५८ में पेट्रोल के दाम ३ रु० ५ आ० ६ पा० हो गये, मोबिल आयल १० रुपया गैलन और मोटर की कीमत २३,००० रुपये हो गयी। आप देखें कि कितना अन्तर हो गया। एक माननीय सज्जन ने कहा कि मद्रास के मुकाबले में यहां टैक्स बहुत कम है। लेकिन क्या टैक्स ही में मद्रास का मुकाबला करियेगा ? पढ़ाई-लिखाई और दूसरी चीजों में वहां का मुकाबला नहीं करियेगा ?

कहा गया कि वसूली नहीं हो पाती। तो वसूल करने वाले तो वही रहेंगे; उनमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। अगर किसी अधिकारी ने गाड़ी रोक ली और उसने दस की बजाय २० रुपये दे दिये तो वह चली जायगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस टैक्स वसूल करने वाली मशीनरी को सुधारें। इसलिये आशा है कि माननीय मंत्री जी प्रवर समिति वाले संशोधन को मान लेंगे ताकि वहां ठंडे दिल से इस पर विचार हो सके और जो त्रुटियां इसमें हैं बेदूर की जा सकें। उसके बाद जो विधेयक यहां आयेगा इसे पारित करने के लिये तो हम यहां बैठे ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय वीरेन्द्र शाह। पौने चार बजे आप समाप्त कर दें।

*राजा वीरेन्द्रशाह---जैसी आपकी आज्ञा । जैसे कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस टैक्स लगाने पर आपत्ति की मेरा यह कहना है कि जिस वक्त बजट सेशन में वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे फिर ऐसे कौन से कारण आ गये कि टैक्स बढ़ाये जायं । इस तरह से हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से मंत्री जी कहते हैं कि हम यह टैक्स जनता के लाभ के लिये लेना चाहते हैं, क्या वह आश्वासन देंगे कि इस टैक्स का सारा रुपया सड़कों पर ही खर्च होगा ? यह होता है कि खाता खोल दिया गया और फिर उस रुपये को शहरों की इमारतों पर लगा दिया गया । इसलिये वह आश्वासन दें कि इस रुपये की पाई पाई शहरों की सड़कों पर नहीं बल्कि देहात की सड़कों पर लगेगी और उन पर लगेगी जहां कि आज भी जनता के लोग कमर-कमर पानी में होकर जाते हैं । वहां मंत्री जी पुल बनवाने में असमर्थ हैं और नहीं बनवा पाते हैं । सरकार ने बहाना ढूंढ़ लिया कि मोटर बहुत कम लोगों के पास है । सबकी भावना यह होनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मोटरें हो जायं । यह नहीं कि हम इक्के पर ही चढ़ते रहें । क्या बम्बई के लोग ही चढ़ेंगे ? श्रीमन्, मैं इस भावना के विरोध में हूं ।

सरकार ने जहां यह लिखा है कि और जगह से यहां यह टैक्स कम हैं तो यहां असुविधा भी तो हैं । वहां की सड़कें यहां की सी नहीं हैं । वहां के लोग देखते हैं कि सड़कें नहीं बनेंगी जनता को कैसे ठीक रख सकेंगे । यहां तो बहुमत है । रोजाना टैक्सों को बढ़ाते चले जा रहे हैं । अभी हम कह रहे हैं लेकिन यह एक घंटे के अन्दर पास कर दिया जायगा । हमने जितने सुझाव दिये उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या-क्या कदम उठाये गये ? पुलिस के कर्मचारियों को आपने फिर रख लिया । जो धारा ६ है उसके द्वारा करप्शन बढ़ेगा । आपने जो पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को रखा है क्या आपके इंस्पेक्टर नहीं हो सकते थे ? (व्यवधान---ऐसा इसमें है) अगर है तो अच्छा है । सरकार जल्दी में पास करना चाहती है । हम लोग चाहते हैं कि एक जगह सब लोग बैठ कर शान्त चित्तता से इसको पास करें । लेकिन सरकार एक लकीर, एक फुलस्टाप तक मानने के लिये तैयार नहीं है, जभी मानेगी तब हटा दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मंत्री जी एक सूचना दे दें कि यह सारा रुपया रोड ट्रांसपोर्ट फंड में ट्रांसफर होगा या नहीं ।

डाक्टर सीताराम---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों की बातें सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जितने सुझाव आये वह सब १५(ए) क्लाज पर ही थे । श्री नागर जी ने कहा कि लखीमपुर से लखनऊ अगर मछली आती है तो वह सड़ जायगी, इसकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है । कोई भी ऐक्ट किसी एक उदाहरण के लिये नहीं बनाया जाता है बल्कि उसके अंतर्गत ऐसी बातें आती हैं जिसके अन्तर्गत सब वस्तुओं का समावेश हो सके । ऐसी सूरत में नागर जी का सुझाव मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

अवस्थी जी ने बताया कि उपधारा ३ (२) के अन्तर्गत जो मिलाने की बात है उसको देखकर तमाशा सा मालूम होता है । इस समय मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जब इस पर क्लाज बाई क्लाज डिसकशन होगा तो मैं एक विहंगम दृष्टि डालने की कोशिश करूंगा लेकिन फिर श्री अवस्थी जी ने बताया कि जिस तरह से एक्साइज पियन्स अंडर सेक्शन ६० आफ दि एक्साइज ऐक्ट बड़े-बड़े लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को पकड़ लेते हैं उन पर जुल्म करते हैं, उसी तरह से पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को पावर दी जा रही है वे उसी तरह से परेशान करेंगे, उन्होंने ऐसी बात कही । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निहायत अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि एक्साइज ऐक्ट के सेक्शन ६० में यह प्राविजन है कि जो भी आदमी इल्लिसिट डिस्टीलेशन या स्मलिंग करेगा उसको एक्साइज डिपार्टमेंट का बड़ा से बड़ा अफसर कौन कहे एक्साइज पियन भी गिरफ्तार कर सकेगा । डिस्टीलेशन या स्मलिंग समाज के अच्छे लोग नहीं करते बल्कि आचरणभ्रष्ट लोग करते हैं । इस भारतवर्ष की प्रतिष्ठा हजारों

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सीताराम]

वर्ष से विख्यात है, लेकिन हम उसी की संतानें इस तरह की बात इस सदन के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यह उचित बात प्रतीत नहीं होती । सब-इंस्पेक्टर आफ पुलिस हम ही में से होता है । अगर दो एक पथभ्रष्ट हो जायं, तो हमें सब पर लांछन नहीं लगाना चाहिये । इस १५-ए के अन्दर यह लिखा हुआ है :—

"Where a Police Officer, not below the rank of a Sub-Inspector of Police or, such other officer as may be authorised by the State Government in this behalf, has reason to believe."

बिलीव करने का दिया हुआ है । और भी आफिसर हो सकते हैं । यह तो रूल में लाने की बात है । सब-इंस्पेक्टर को ले कर इस विधेयक में जो बातें रखी गयी हैं उनमें विचारधारा को दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करना उचित नहीं है । इसलिये माननीय अवस्थी जी ने जो यह बात कही मैं उससे सहमत नहीं हूं ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सायकिल पर टैक्स लगने जा रहा है । यह सोचना भ्रामक है । सायकिल पर कोई टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल के बच्चों पर टैक्स लगने जा रहा है । यह बिलकुल गलत है । किसी भी सायकिल पर टैक्स नहीं है जो कि मोटर सायकिल या आटोसायकिल नहीं कहलाती है । हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरी चीज समझी हो । इसलिये मैं इसको साफ कर देता हूं । बायसिकिल के माने दो पहिये वाली सायकिल । लेकिन जिसमें मशीन लगी हो, मोटर लगा हो, इसकी डेफीनीशन में वही आती है । यह १९३५ के ऐक्ट में, १९५२ के ऐक्ट में और १९५४ के ऐक्ट में भी था । कोई नयी बात नहीं है । इसलिये जनता के सामने यह कहना कि इस तरह से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, इस तरह का प्रोपैगंडा करने से विशेष फायदा नहीं है ।

जहां तक और सूबों की बात है उस सम्बन्ध में श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल और नवल किशोर जी ने अच्छी तरह से बातों को रखने का प्रयत्न किया है । थोड़ी सी रामेश्वरलाल जी ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को आपके सम्मुख कोट किया । आप भी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ५० को देखने का कष्ट करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो बात कही जा रही है वह उचित है । वहां पर लिखा हुआ है कि ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स पर टैक्सेशन होना चाहिये और वह मद्रास के मुकाबले में होना चाहिये यानी ७५ परसेन्ट तक कुछ इसी तरह से है । इसी तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री की यह सिफारिश है कि इस तरह की चीजों पर टैक्सेशन मद्रास के टैक्सेशन से अधिक नहीं होना चाहिये बल्कि उसके बराबर या और स्टेट के बराबर कर सकते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक टैक्सेशन की बात है वह मैं और सूबों की भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों ने इसको दूर तक नहीं सोचा है और दूर तक देखने का प्रयास नहीं किया है ।

किसी भी जनतंत्र के राज्य में जनता की भलाई के लिये सड़कों का बनाना बहुत जरूरी होता है । आप सब जानते हैं कि आज इस प्रान्त में करीब ५ करोड़ रुपया सड़कों के डेवलपमेंट के लिये खर्च होता है । लेकिन इस ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन से केवल डेढ़ करोड़ रुपया दिया जाता है । बाकी रुपया और जगह से आता है । इसलिये जब हमको डेवलपमेंट प्लान कामयाब बनाना है तो हमारे लिये यह जरूरी है कि एन० ई० एस० में जनता को अधिक सुविधा देने के लिये या और स्थानों में सुविधा देने के लिये इस तरह के टैक्सेशन किये जांय । इसलिये हमको रोड्स बनाने की जरूरत है । तो फिर जब ३०, ३५ हजार वेहिकिल्स सरकार के हैं और कुछ प्राइवेट आपरेटर्स के हैं और ये सब चलते हैं तो फिर इनके लिये सड़कों का निर्माण हो जाना बहुत जरूरी है । ऐसी परिस्थिति में मैं और सूबों का टैक्स आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा क्योंकि हम यह समझते हैं कि बिना और सूबों के आंकड़े दिये हुए जो भावना माननीय सदस्यों के बीच में फैली हुई है वह दूर नहीं हो सकती है ।

आपके यहां प्राइवेट कारें ११,२७८ हैं । इन पर भी टैक्सेशन होगा । साथ ही साथ मोटर वेहिकिल्स का नम्बर ५,१६८ है । इन के ऊपर भी टैक्सेशन होगा । प्राइवेट आपरेटर

के पास जो कैरियर हैं वे ३,१२७ हैं, टैक्सी ३८३ हैं, पब्लिक कैरियर ७,४९९ हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है बल्कि पब्लिक कैरियर की जो कैपैसिटी १७० मन थी उसको बढ़ाकर २०० मन कर दिया गया है। जैसा कि अभी एक सदस्य ने कहा कि वे लोग ज्यादा सामान ले जाते हैं और चोरी करते हैं और इधर-उधर घूस देकर अपना काम करते हैं। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये, इन गलतियों को हटाने के लिये, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत यह किया गया है कि उनकी लोडिंग कैपेसिटी १७० मन से २०० मन कर दी जाय। इसके बाद जो प्राइवेट कैरियर हैं उनकी संख्या १,२४५ है, ट्रैक्टरों की संख्या ५,५३७ है, इन सब पर टैक्स लगाया जायगा।

जहां तक टैक्स की बात है, आप देखें कि २, ३ शिडयूल में जो ऐक्ट के हैं उनमें ए० और बी० में वे वेहिकिल आते हैं, जैसे कि प्राइवेट कार, आटो साइकिल, मोटर साइकिल वे सब पार्ट ए० में आते हैं। उन के ऊपर यह टैक्सेशन लगेगा, एकार्डिंग टु दि नम्बर आफ सीट्स अवेलेबिल। अब तक उन पर ११ रुपया ४ आना था लेकिन अब उस को १६ रुपया किया गया है। मद्रास में उसी वेहिकिल का टैक्स ३६ रुपया है, बम्बई में २४ रुपया, बंगाल में १८ रुपया, मध्यप्रदेश में २७ रुपया, बिहार में १६ रुपया ८ आना और पंजाब में ३० रुपया है। इस तरह से अगर सभी स्टेट्स के टैक्सों का मुकाबला किया जाय तो मालूम होगा कि हमारे यहां सब से कम टैक्स है। इस सम्बन्ध में जितनी कैटेगरीज हैं उन सबको, जो माननीय सदस्य देखना चाहें, इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् मैं उन सब आंकड़ों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। अन्य सूबों में फ्लैट रेट से टैक्स लगाया जाता है, किन्तु हमारे यहां सड़कों की तीन कैटेगरीज होती हैं, ए, बी और सी और उनके मुताबिक जिस रूट का जिसका परमिट होता है, उस हिसाब से उस को टैक्स देना पड़ता है। अन्य सूबों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इससे एक फायदा यह होता है कि आपरेटर्स जिस रूट और जिस लोडिंग कैपेसिटी का परमिट चाहते हैं, ले सकते हैं। हमारे यहां जैसे किसी वेहिकिल पर रूट बी० पर ६६८ रुपया टैक्स है, उसी पर मद्रास में २,४०० रुपया है, बम्बई में ७८४ रुपया है, वेस्ट बंगाल में ८८० रुपया है और जाब में ५२० रुपया टैक्स है। इसी तरह से हर रूट के बारे में हमारे यहां प्राविजन है और सब सूबों के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। तो यह कहना कि इस टैक्स के बढ़ जाने से तबाही आ जायगी, गलत है और सूबों के मुकाबले में हमारे यहां टैक्स बहुत ही कम हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो टैक्स लगाये गये हैं ये सड़कों के निर्माण में ही खर्च होंगे।

इसके अलावा यह कहा गया है कि सब-इन्सपेक्टर बडी गड़बड़ करेंगे। इस वक्त तक कोई भी सब-इन्सपेक्टर उस वेहिकल को नहीं छीन सकता कि जिसका केस पेन्डिंग हो। इसमें यह दिया हुआ है कि वह वेहिकिल को कस्टडी के लिये आपरेटर को कहेगा कि इसको फलां थाने में छोड़ो। बारिश आदि में वेहिकल बाहर नहीं पड़ा रह सकता और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि रूल्स आदि में हम इस पर अच्छी तरह से गौर कर के प्राविजन करेंगे कि आपरेटर्स को जो इससे, मायूसी होने वाली है वह न होने पाये। चूंकि समय खत्म हो रहा है इसलिये मैं अधिक न कह कर इसको जनमत के लिये घुमाये जाने तथा प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्तावों का विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि सदन इस पर विचार करे।

राजा वीरेन्द्रशाह—मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जो रुपया इससे वसूल होगा उसे वह सड़कों पर ही खर्च करेंगे। यह आश्वासन उन्होंने नहीं दिया।

डाक्टर सीताराम—समय कम है, नहीं तो मैं सब बतलाता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जनमत जानने के लिए २१ दिन तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि विस्तृत करने का भी अधिकार हो और जो विचार करके अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड २ व ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २ का संशोधन।

२--(१) य० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा २ में :--

(१) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ff*) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(*ff*) 'Private Stage Carriage' means a motor vehicle, other than a public service vehicle, with a seating capacity for more than nine persons excluding the driver thereof, used by, or on behalf of, the owner for his trade, business, or private purposes."

(२) खंड (*k*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(*k*) 'Transport Vehicle' means a public service vehicle or a goods vehicle."

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ४ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में :--

(१) उपधारा (१) में पहले तथा दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "plying for hire or reward under Articles, IV to VII," के स्थान पर शब्द तथा अंक "under Articles IV to VII or IX" रख दिये जायं।

श्री दीनदयालमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"२--यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा २ में खंड (k) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"(*k*) 'Transport vehicle' means a public service vehicle or a good vehicle".

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरी वैधानिक आपत्ति है कि विधेयक में माननीय सदस्य का मन्शा पहले से लिखा हुआ है। पेज २ पर दिया है कि "(*k*)" Transport vehicle' means a public service vehicle or a good vehicle." तो यह संशोधन गलत है। होना यह चाहिये था कि खण्ड २ में प्राइवेट स्टेज कैरिज इत्यादि को निकाल दिया जाय। लेकिन इसके बदले वह कहते हैं कि (k) जोड़ दिया जाय, जो गलत है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं स्पष्ट कर ही रहा था कि मेरा क्या मन्शा है। इसमें लिखा है कि १९३५ के मूल अधिनियम में दूसरे में (ff) बढ़ाया गया था, तो यह निकाल दिया जायगा और (k) अकेला रह जायगा। मैंने कहा कि उसके स्थान पर यह रखा जाय। इस लिए यह हुआ और बाकी सब अलग हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—मूल अधिनियम में (k) के बजाय वह नया रखना चाहते हैं। त्रिपाठी जी के संशोधन में केवल अंग्रेजी के शब्द "s" का अन्तर है। तो आप क्या अच्छी सवारी चाहते हैं ? (हंसी)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—(ff) निकाल दिया जायगा और उसके स्थान पर (k) रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह अनियमित है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

राजा वीरेन्द्र शाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप-खंड (१) में प्रस्तावित धारा २ के भाग (ff) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "or private" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस धारा में ९ आदमियों की कैद लगायी गयी है। बहुत से स्टेशन वैगनों में भी ९ सवारियां आ जाती हैं। वे किराये पर नहीं चलते हैं। इसलिए उन्हें भी किराये पर चलाने वालों की श्रेणी में लाना बहुत ज्यादती होगी।

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

प्राइवेट स्टेशन वैगन जो आजकल फैमिली के लिए बनाये जाते हैं, लैण्ड रोवर कार वगैरह हैं, और जीपें हैं, वे इस धारा में आ जाते हैं और उनको बड़ी कठिनाई हो जायगी। मेरा संशोधन छोटा सा है और मन्त्री जी भी चाहेंगे कि कठिनाई को दूर करें। उनको भी एलेक्शन के लिए घूमना होगा और हमको भी घूमना पड़ता है। इसलिए यह चीज सारी जनता के लिए है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। इस संशोधन को मान लेने से विधेयक का मन्शा ही खत्म हो जायगा। प्राइवेट और पब्लिक कैरियर दो चीजें हैं। प्राइवेट वे हैं जो धनीमानी लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनकी संख्या करीब १,१०० है। उन पर टैक्सेशन के लिए ही ये शब्द रखे गये हैं। अब तक किसी भी विधेयक में ऐसा प्राविजन नहीं है। उन पर टैक्स लगाना है, इसलिए प्राइवेट शब्द यहां पर जरूरी है।

राजा वीरेन्द्र शाह—मेरे मंशा को शायद मन्त्री जी समझ नहीं पाये। मेरा मन्शा यह नहीं था कि आप प्राइवेट कैरियर पर टैक्स न लगावें। मेरा मंशा तो ९ सीटों से था। तो आप ९ सीटें निकाल कर दूसरी परिभाषा कर दें और यह कह दें कि प्राइवेट कैरियर पर टैक्स लगे। लेकिन अब तो जो किराये पर नहीं चलाते हैं उन पर भी यह टैक्स लग जायगा। कम से कम ९ सीटों की कोई कैद न हो और स्टेशन वैगन वगैरह बच जायें तो सुविधा होगी।

डाक्टर सीताराम—कुछ तो सवारियों का रेस्ट्रिक्शन करना ही होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उप-खंड (१) में प्रस्तावित धारा २ के भाग (ff) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "or private" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

कुंवर श्रीपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप-खंड (१) में प्रस्तावित धारा २ के भाग (२) के अंश (k) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"but it shall not include a tractor with trolly used for agricultural purposes."

श्रीमन्, इस संशोधन को उपस्थित करने का मेरा केवल इतना ही मन्तव्य है। अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया तथा और सदस्यों ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया कि खेती वाली चीजों के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं यह संशोधन इसलिए उपस्थित करना चाहता हूं कि वह ट्रैक्टर और ट्राली जो केवल खेत के ही निमित्त इस्तेमाल किये जाते हैं, जो किराये भाड़े पर नहीं चलते हैं, वे इसमें शरीक न किये जायं।

डाक्टर सीताराम--श्रीमन्, यह संशोधन अनावश्यक है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट बनाया है, सन् १९५६ में, उसके अन्तर्गत जो भी ट्रांस्पोर्ट वहिकिल्स की डेफिनिशन है, वही इसमें रखी जा रही है ताकि एकरूपता रहे। जहां तक ट्रक्टरों का सम्बन्ध है, उसक बारे में सफा ६ पर दिया हुआ है कि--

"Tractor drawing a trailer and used for purposes other than agricultural purposes unless its combined unit makes an articulated vehicle"

इसलिए यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--मैं इसको वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ५ में उसके दूसरे तथा तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं।

*राजा वी रेन्द्र शाह--श्रीमन्, मैं इस खंड का विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि आप अगर मूल अधिनियम को देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें कुछ सुविधायें टैक्स देने के लिए दी गयी हैं लेकिन अब सरकार उन सुविधाओं को लेना चाहती है, इसलिए वह उसको निकाल रही है। एक तरफ तो आपने टैक्स बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ आप जो सुविधा देते थे कि चार किस्तों में उसको जमा किया जा सकता है, उसको भी आप वापस ले रहे हैं। इधर टैक्सेशन बढ़ रहा है उधर सरकार सुविधायें ले रही है। फिर सरकार कहती है कि टैक्सेज बाकी हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इसको वापस ले ले।

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय, अभी यहां जो विरोध के रूप में संशोधन आया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। अगर आपने सन् १९३५ और १९५२ के ऐक्टों को पढ़ा होगा तो आपको मालम हुआ होगा कि उसमें दो प्रोविजो (ए) और (बी) हैं। उनमें यह है कि ३५ और ५२ के ऐक्टों में जो टैक्सेज में अन्तर है, उन में से जो बाकी लोगों पर हो, उसको वे तीन-तीन महीनों की किस्तों में दे सकते हैं। अब क्योंकि ऐसा कोई टैक्स बाकी नहीं रहा है इसलिए उसको रखा जाना गैरजरूरी है। इसीलिए इसको निकाला जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा ५-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ में एक नयी धारा 5-A का बढ़ाया जाना।

"5-A.(1) No transport vehicle plying under a permit granted by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh under the Motor Vehicles Act, 1939, shall be used in Uttar Pradesh, unles there has been paid in respect thereof a tax calculated at the appropriate rate specified in the First Schedule and in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttar Pradesh anything contained in section 5 to the contrary notwithstanding.

Vehicles not to be used in Uttar Pradesh without payment of tax.

(2) For the purposes of levy and payment of tax under sub-section (1), the tax payable for a week or part thereof shall be one fifty-twoeth of the appropriate rate specified in the First Schedule."

श्री भगवतीसिंह विशारद--श्रीमन्, मैं इस खंड का विरोध करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आम वाद-विवाद के समय अपने तर्क को माननीय मन्त्री जी के सन्मुख प्रस्तुत किया था और उनसे यह निवेदन भी किया था कि जिस समय वह इस बहस का उत्तर दें तो मैंने उनके सम्मुख जो शंका उपस्थित की थी, उसका भी उत्तर देंगे। मुझे दुःख है कि जो उन्होंने बहस का उत्तर दिया उसमें मेरे द्वारा उठायी हुई शंकाओं का समाधान नहीं किया। मेरा संकेत यह है कि अब तक दूसरे प्रदेशों की गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन अथारिटीज इस राज्य से बाहर हैं उनको कुछ टैक्स देकर हमारे राज्य में आती भी थीं और यहां चला करती थीं। इस बीच में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की वजह से व्यापार व रोजगार में भी हमारे यहां काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे प्राइवेट मोटर वेहिकिल्स दिल्ली से लखनऊ या यहां से कानपुर या कलकत्ते को आती-जाती हैं किन्तु अब उन गाड़ियों को वहां आने जाने में काफी कठिनाई होगी और उनको यहां टैक्स अदा करने पर या व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस खंड को, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, वापस ले लें।

डाक्टर सीताराम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ माननीय सदस्य का विरोध करना पड़ता है क्योंकि इस विधेयक का मंशा बिलकुल साफ है और जनरल डिस्कशन के समय मैं यह कह चुका हूं कि अब तक जो और सूबों में मोटर वेहिकिल्स हमारे यहां आते थे, १० दिन, ५ दिन या २० दिन के लिए, उनको मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के मुताबिक ३ महीने का टैक्स देना पड़ता था, चाहे वे यहां ३ दिन रहें, चाहे १० दिन रहें या २० दिन रहें। इस दशा में हम लोगों के लिए यह बड़े दुख की बात है कि दूसरे सूबों के लोग यहां किसी मैरेज पार्टी में आवें या नैनीताल, मसूरी, लखनऊ, कानपुर, बनारस या आगरा घूमने के लिए आवें और वे चाहे २ दिन के लिए ही आयें, फिर भी उनसे ३ महीने का टैक्स ले लिया जाय। इसलिए अब उन से कम से कम एक सप्ताह का टैक्स लिया जायगा और अगर वे ८ दिन रहेंगे तो १४ दिन का टैक्स लिया जायगा। जहां पहले उनसे ३ महीने का टैक्स लिया जाता था वहां अब वीकली लिया जायगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। कम से कम इसका वेलकम तो माननीय सदस्यों को करना ही चाहिए।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, प्रस्तुत जो खंड है, जिसका विरोध किया जा रहा है, मेरे विचार से इस पर पुनर्विचार होना अत्यन्त आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अन्तर्राजीय व्यापार से सम्बन्ध रखता है। यहां की सरकार को दूसरे राज्यों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]
सरकारों से भी परामर्श कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा न होने से आपस में मनमुटाव होने की भी आशंका है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में राजकीय ट्रांसपोर्ट ऐडवाइजरी कमेटी और केन्द्र की ट्रांसपोर्ट ऐडवाइजरी कमेटी ने भी अपने विचार प्रकट किये थे। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने जो अपने सुझाव दिये हैं उनकी, संक्षेप में मैं आपकी आज्ञा से, कुछ लाइनें पढ़ देता हूं —

"We suggest that in the interest of unhampered traffic whether of passengers or of goods, between different States the principle which already in part operates in respect of private cars should be extended to all other motor vehicles and as between all States".

तो जिस प्रकार से प्राइवेट मोटर कारों पर कोई इस प्रकार का टैक्स नहीं लगता और जिसके लिये राज्यों में इस प्रकार का समझौता है कि जहां वह गाड़ी रजिस्टर हो वहीं टैक्स लगेगा और उसके बाद में, समझौते के अनुसार आपस में बटवारा हो जाता है, इसके बारे में भी सब राज्यों से आपस में समझौता हो जाय कि जहां पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हों उसी राज्य में टैक्स लगे और वह राज्य सब राज्यों को उसका हिस्सा दे दे तो बड़ा अच्छा होता। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, पंजाब की सरकार तथा दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथारिटी से कोई एग्रीमेंट हो जाय तो दो तीन चार साल के लिये उसे परेशान न होना पड़ेगा, जैसा कि हमने गाड़ियों के बारे में किया। मैं यह नहीं कहता कि रुपया नहीं लेना चाहिये लेकिन राज्य सरकारों से एग्रिमेंट करके रुपया ले लेना चाहिये। यह नहीं बतलाया गया कि एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसका विवरण संक्षेप में प्राप्त होना चाहिये कि क्या प्रबन्ध हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार होना आवश्यक है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की सिफारिश है उसके सम्बन्ध में उनकी क्या राय है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने जो आपत्ति और संदेह व्यक्त किया है उसकी जड़ में अवश्य कोई गलत-फहमी है। जो प्रस्तुत सेक्शन है उसके द्वारा जो इस वक्त टैक्स लिया जा रहा है उससे उसके भार को कम किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही बतलाया कि इस सम्बन्ध में स्टेट्स में समझौता हो चुका है और उसी के परिणाम स्वरूप यह बोझ कम किया जा रहा है। पहले अगर बाहर से कोई वेहिकिल आती थी तो ३ महीने के लिये टैक्स ले लिया जाता था, चाहे एक ही दिन वह रहे लेकिन इस संशोधन के द्वारा अब वह भार कम हो जायगा और केवल १ सप्ताह के लिये यह प्रोपोर्शनेट टैक्स उससे लिया जायगा। इस आधार पर मेरी प्रार्थना है कि माननीय नारायणदत्त जी अपने विरोध को वापस ले लेंगे और इसका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ में धारा 15-A का बढ़ाया जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा 15-A के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"15-A. Where a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector of Police or, such other officer as may be authorized by the State Government in this behalf, has reason to believe that—

Power to seize adetain vehicles used without payment of tax

(i) a motor vehicle has been or is being used by a person without payment of tax ; or

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ii) a person has, after assessment of the tax on him under the provisions of this Act, failed or refused to pay such tax, such officer may seize and detain the motor vehicle and for this purpose take, or cause to be taken such steps as may be considered by him to be necessary for the safe custody of the motor vehicle, and in particular require the driver of such vehicles to convey it to the nearest police station or any other place specified by him :

Provided that a motor vehicle of a person on whom tax has been imposed under the provisions of this Act, shall not be seized or detained unless the period for preferring an appeal against the order imposing the tax under section 15 has expired, or where such an appeal has been preferred before decision of the appeal.

Provided further that a motor vehicle seized or detained under this section shall be released immediately after the payment of the tax or other dues payable under this Act.

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, की नई धारा 15-A में जहां कहीं पर शब्द "motor vehicle" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "transport vehicle" रख दिये जायं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । हमारे जब संशोधन इस प्रकार आते हैं जो एजेंडे पर छपे नहीं होत और वक्त के अन्दर नहीं दिये जाते तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस नये संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि इसको वह स्वीकार कर रहे ह या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इजाजत दे रहा हूं ।

श्री नेकराम शर्मा--यह संशोधन बहुत ही निर्दोष संशोधन है "मोटर वेहिकिल" शब्द रहने से प्राइवेट मोटर्स पर भी यह शब्द लागू हो जायगा और ट्रांसपोर्ट रखने से परिभाषा स्पष्ट हो जाती है और परपज सर्व हो जाता है । आशा है मेरे इस संशोधन को माननीय मंत्री जी अवश्य स्वीकार करेंगे ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--नेकराम शर्मा जी ने जो अभी संशोधन रखा है कि "motor vehicle" शब्द के स्थान पर शब्द "transport vehicle" रख दिया जाय तो मैं बतलाना चाहता हूं कि मोटर वेहिकिल्स की जो डेफिनीशन बतलाई गयी है "मोटर वेहिकिल मीन्स पब्लिक सर्विस वेहिकिल ऐंड गुड्स वेहिकिल ।" "पब्लिक सर्विस" और "ट्रांसपोर्ट" में बहुत माइन्यूट डिफरेंस बतलाया गया है । तो मैं नहीं समझ पाया कि "मोटर वेहिकिल" के स्थान पर "ट्रांसपोर्ट वेहिकिल" करके किस प्रकार से उन्होंने डिफरेंशियेट कर दिया । ये तीनों डेफिनीशन्स "ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल", "गुड्स वेहिकिल" और "मोटर वेहिकिल" एक दूसरे को ओवरलेप करती है । लिहाजा "मोटर वेहिकिल" को हटा कर हमारे सामने जो "ट्रांसपोर्ट वेहिकिल" रखा जा रहा है मैं समझता हूं कि यह भी डिफेक्टिव है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह--जो संशोधन नेकराम जी शर्मा ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । अगर सरकार इसको पहले से रख देती तो शायद हम लोगों को भ्रम न होता, और यह जितना यहां पर लोगों को भ्रम सा हो गया यह पहले से न आने के कारण हुआ । मैं इस संशोधन के लिये धन्यवाद देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नेकराम जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि मूल ऐक्ट में धारा १३ में पैनल्टी प्रोवाइड कर दी गयी है। अगर धारा १३ में पैनल्टी प्रोवाइड न होती तब तो सेक्शन १५ (ए) की आवश्यकता होती। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सेक्शन १५ (ए) जस्टिशियेबिल नहीं है। आप देखें कि सेक्शन १५ (ए), जिसमें कोई पुलिस अधिकारी ऐक्ट करेगा तो उसका रिड्रेस कहां होगा? किस फोरम में वह आदमी जायगा? क्या वह सिविल कोर्ट में जायगा, या क्रिमिनल कोर्ट में जायगा, ट्रांसपोर्ट अथारिटी में जायगा? तो मेरा निवेदन है कि ऐसी सूरत में जो संशोधन नेकराम जी शर्मा ने पेश किया है उसमें तो केवल अन्तर यह हो गया कि प्राइवेट कैरियर ओनर न पकड़ लिये जायं मगर जो ट्रक ओनर्स हैं, बस ओनर्स हैं अगर पकड़ लिये गये और सब-इंस्पेक्टर हैज रीजन टु बिलीव, तो उसके लिये कहीं ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिये प्रावीजन नहीं है। तो जब सेक्शन १३ में प्रासीक्यूशन हुआ, उसमें पैनल्टीज का प्रोवीजन है और इधर सेक्शन १५ (ए) जस्टिशियेबिल नहीं है तो ऐसी सूरत में दोनों बातें नहीं हो सकतीं। इसलिये सेक्शन १३ का प्रावीजन होने की वजह से सेक्शन १५ (ए) का जो प्रावीजन है वह रिडंडेंट हो जाता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मूल धारा अगर जस्टिशियेबिल नहीं है तो उसके रखने से भी कोई फायदा नहीं है।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल--अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जिस आधार पर माननीय नेकराम शर्मा जी के संशोधन का विरोध किया, मैं नहीं समझ सका। श्रीमन्, जहां तक मूल अधिनियम की धारा १३ का सम्बन्ध है, ठीक है, उसमें पैनल्टीज का जिक्र है। धारा १५ (ए) जो अब प्रस्तावित है उसमें एक और अधिकार दिया गया है, वह और नियमों के उल्लंघन की पैनल्टीज से सम्बन्ध नहीं रखता है। केवल एक चीज से सम्बन्ध रखता है और वह यह कि यदि टैक्स नहीं दिया गया है उस दशा में अमुक-अमुक अधिकारियों को अधिकार होगा कि वह उसका सीजर कर सकते हैं। माननीय नेकराम शर्मा जी के संशोधन के द्वारा उस अधिकार में से प्राइवेट वेहिकिल्स को निकाला जा रहा है। यदि इस का विरोध हो तो समझा जा सकता है। लेकिन जिस आधार पर माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी ने विरोध किया वह स्पष्ट नहीं है। मेरा विचार है कि प्राइवेट वेहिकिल्स को इसमें से निकालना सर्वथा संगत होगा और इससे सुविधा भी बढ़ेगी। जैसा राजा वीरेन्द्र शाह जी ने कहा वास्तव में कुछ भ्रम होता था वह दूर हो जायगा। इसलिये मैं नेकराम शर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, माननीय गोविन्द नारायण तिवारी ने माननीय नेकराम शर्मा जी के संशोधन के विरोध में जो कहा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। माननीय नेकराम शर्मा जी के संशोधन का आशय तो यह है कि जो बड़े आदमी हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी कारें हैं उनको छूट दे दी गयी है और गरीब बेचारा तो तिवारी जी ने जैसा कहा कि डबल पनिश्ड हो जायगा और कांस्टीट्यूशन के अन्दर डबल पनिशमेंट बैन्ड है, यह लीगल आस्पेक्ट भी मुझे मिल गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री नेकराम शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बिलकुल निर्दोष है और जैसा जगदीश शरण जी ने कहा कि डबल पैनल्टी होती ही नहीं। सेक्शन १३ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो केवल यह है कि प्राइवेट वेहिकिल्स हैं उनकी बचत हो जाय। इस शब्द 'transport' के रखने से दोनों में फर्क हो जायगा। तो मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सीताराम—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेकराम शर्मा जी ने जो संशोधन यहां पर पेश किया है उसे मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेहिकिल्स की जहां डेफिनेशन दी हुई है वहां पर "मोटर वेहिकिल" की जगह "ट्रांसपोर्ट वेहिकिल" हम सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं और यही ठीक प्रतीत होता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 15-A में जहां कहीं पर शब्द "motor vehicle" आये हों उनके स्थान पर शब्द "transport vehicle" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं इस खंड का विरोध करना चाहता हूं। इसके संबंध में काफी जनरल डिस्कशन में कहा जा चुका है। इस खंड के अनुसार पुलिस अफसरों को और विशेषकर पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों का यह अधिकार दिया गया है कि अगर उनको किसी बात का शक हो तो वह मोटर को जब्त कर सकें, रोक सकें, थाने में बन्द कर सकें। माननीय मंत्री जी ने पुलिस अफसरों की प्रशंसा की थी कि वह हम लोगों में से ही हैं, बड़े उच्चकोटि के हैं। मैं भी उस के सम्बन्ध में उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। आजकल पुलिस का जो रवैया है उसके बारे में जनता जानती है कि किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से अभी हाल में लखनऊ में हाईकोर्ट की जो बेंच है उसके एक माननीय जस्टिस श्री मुल्ला ने एक हत्या के मुकदमे के सम्बन्ध में जो एक पुलिस अधिकारी के बारे में आलोचना करते हुए लिखा है, वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि पुलिस के अफसर सौ में से ९० केसेज में गलतबयानी करते हैं कि गिरफ्तारी करते समय हाथ पाई में चोट लग गयी और इस प्रकार से वह मनी एक्सटोरशन करने की कोशिश करते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि एक श्री अब्दुस्समद थानेदार हैं, उनके विषय में आलोचना की है कि सरकार को चाहिये कि इस प्रवृत्ति को रोके, इस मामले की जांच करे और उनको कड़ी सजा दे और उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर सरकार इसमें लापरवाही करेगी और उनको सजा नहीं देगी तो मुझको बाध्य होना होगा कि मैं अपनी अदालत से चालान कर के उनको सजा दूं।

तो श्रीमन्, समझें कि हमारे प्रदेश के जो उच्च कोटि के न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की पुलिस के प्रति क्या धारणा है। अब अगर हम पुलिस को दिये गये अधिकारों का विरोध करते हैं तो यह कहां तक नामुनासिब है। अभी माननीय देवनारायण भारतीय जी ने उदाहरण दिया था कि एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति की मोटर रोकी और उसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने लगे। आजकल माल विभाग और पुलिस विभाग के हथकंडे इतने बढ़े हुए हैं कि उनमें जनता को और फंसा देना कहां तक उचित है। मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू अथारिटीज ने एक मोटर ट्रैक्टर को पकड़ा, तहसीलदार साहब अपना खेत जुतवाना चाहते थे, उसने नहीं जोता। इसका फल यह हुआ कि बगैर हवा के उसको घसीट कर पक्की सड़क पर मीलों तक ले जाया गया। उसके टायर फट गये और बहुत से पुर्जे वगैरह टूट गये। इस प्रकार से वेहिकिल्स का गलत तौर से इस्तेमाल किया जाता है। उच्च न्यायालय के जो आब्जर्वेशन्स हैं उनको देखते हुए और जो दो एक उदाहरण पेश किये गये हैं उनको देखते हुए मैं इस धारा का जिसके द्वारा पुलिस को इतने ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस खंड के विषय में स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके मातहत जो रूल्स बनेंगे उनमें पुलिस का सम्बन्ध नहीं रखा जायगा। इसके अलावा यदि राजा साहब धारा १५-ए को स्वयं पढ़ लिये होते तो उसमें लिखा है—

"Where a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector of police or, such other officer as may be authorised by the State Government in this behalf."

यानी यह जरूरी नहीं है कि पुलिस अफसर ही हो, कोई दूसरा भी हो सकता है।

[श्री नेकराम शर्मा]

दूसरे, लाखों रुपया टैक्स का वसूल नहीं हो पाता है। यदि ओनर को यह मालूम हो जायगा कि उसकी मोटर डिटेन भी हो सकती है तो वह टैक्स अदा करके ही अपनी गाड़ी चलायेगा।

इसलिये इस व्यवस्था के होते हुए और माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद इसका विरोध करना उचित प्रतीत नहीं होता और उम्मीद है कि राजा साहब अपने विरोध को वापस लेंगे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं खंड ६ के विरोध के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी इस सेक्शन के सम्बन्ध में काफी विवाद हुआ और मंत्री जी ने कुछ सफाई भी दी। लेकिन इस सेक्शन में शब्द बड़े वास्ट हैं और बहुत बड़े अधिकार दिये हुए हैं। इसमें लिखा है "सच अदर आफिसर ऐज में बी अथाराइज्ड"। क्या इसके माने यह नहीं निकाले जा सकते कि सब-इन्सपेक्टर के नीचे हेड-कांस्टेबिल है उनको आथराइज्ड कर दें? एक्साइज डिपार्टमेंट में चपरासियों को भी यह अधिकार दे रखा गया है। ठीक उसी प्रकार सरकार यहां भी किसी को अधिकार दे सकती है। फिर इसके आगे शब्द हैं "हैज रीजन टु बिलीव"। ये ऐसे ऐम्बिगुअस शब्द हैं कि मैं समझता हूं कि उनको पूरे-पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि टैक्स न दिया जाय लेकिन सवाल तो है पुलिस के आतंक का और हैरेसमेंट का। आखिर में यह भी कहा गया है—

"Such officer may seize and detain the motor vehicle and for this purpose take, or cause to be taken, such steps as may be considered by him to be necessary for the safe custody of the motor vehicle....."

यहां कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं है कि सेफटी के लिये वह क्या करे। माननीय नवल-किशोर जी ने एक आप्शन रखा था लेकिन मंत्री जी ने उसको भी नहीं माना। इसके अलावा जिस समय सब इन्सपेक्टर वेहिकिल्स को सीज करता है तो उसमें जो पैसेन्जर के रूप में बैठे हैं उनकी सुविधा के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। उनको भी डिटेन होना पड़ेगा। वे सब ऐक्जामिनेशन में आ जावेंगे और सब डिटेन होंगे और जो लोग उसके अन्दर बैठे होंगे वे सब डिटेन हो जायेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी है कि पुलिस स्टेशन पर उसको ले जाया जाय और वह ऐसे स्थान पर हो जो रूरल एरिया में हो और जहां गाड़ी के जाने में दिक्कत हो। इसलिये यह पावर देना असंगत है और हम चाहते हैं कि इस धारा को सरकार या तो निकाल ही दे या फिर रिड्राफ्ट करके लाये क्योंकि इसमें जितने शब्द हैं वह बैडली ड्राफ्टेड हैं और उससे सेंस मिस्कैरी हो सकता है और मैंने इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाया था कि सरकार जितने कानून बनाती हैं उसमें ऐसे शब्द रख देती है कि वह उपहासास्पद हो जाते हैं। रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में एक जज ने कहा है कि शब्द इतने वास्ट रख दिये जाते हैं कि वह फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाते हैं। यहां भी यही चीज है; वह कह सकते हैं कि "आई हैव दी रीजन टू बिलीव" और जो चाहे वह कर सकते हैं और लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिये इसको हम रिजेक्ट करेंगे।

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, अभी राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है बल्कि खंड ६ का विरोध किया है।

डाक्टर सीताराम—श्रीमन्, मैं विरोध का विरोध कर रहा हूं। मैं बतला चुका हूं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर जो कलेक्शन अफसर भी होते हैं उनको कठिनाई होती है १९३५ से जब से यह ऐक्ट बना है। जिनके ऊपर टैक्स बाकी रहता है, वे नहीं देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरवलोकन नहीं किया।

उसका कारण यह है कि उनका पता बदल जाता है तो कलेक्टर के पास उनका नाम भेजते हैं तो दो-तीन साल तक पता नहीं लगता। इसलिये गवर्नमेंट का टैक्स समय पर रियलाइज हो जाय, इसलिये यह प्राविजन रखा गया है। जहां तक सब इन्सपेक्टर की बात कही गयी है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी जनतंत्र में कोई भी अधिकारी इस तरह से अपने हाथ में कानून लेकर गैर जिम्मेदारी की बात करेगा। और ऐक्ट में खुद प्राविजन है कि सब-इन्सपेक्टर या कोई भी अफसर 'हू मे बी अथाराइज्ड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट' तो रूल्स में हम ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई आशंका हो कि जब चाहेगा पुलिस अफसर गाड़ी को रोक देगा। वह तभी रोक सकता है जब उनके पास टैक्स बाकी हो या गाड़ी ऐसी जगह पर ले जाई जाय जिससे वेहिकिल को नुक्सान हो, इसलिये यह रखा गया है जिससे गाड़ी को नुकसान न हो। इसलिये मैं इस विरोध का विरोध कर रहा हूं और आशा है कि सदन इसको पारित करेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह तो पहले प्रस्ताव हो चुका है कि यह ५ बजे तक खत्म होगा।

***श्री गोविन्द नारायण तिवारी**—श्रीमन्, इसके सेक्शन १५ (ए) (२) में यह लिखा हुआ है कि :

"a person has, after assessment of the tax on him under the provisions of this Act, failed or refused to pay such tax,

such officer may seize and detain the motor vehicle and for this prupose take, or cause to be taken, such steps as may be considered by him to be necessary for the safe custody of the motor vehicle, and in particular require the driver of such vehicle to convey it to the nearest police station or any other place specified by him."

इस सम्बन्ध में मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या टेस्टीमोनियल्स कम्पलसरी होंगे या किसी ड्राइवर को मजबूर किया जा सकता है बगैर अरेस्ट किये हुए पुलिस स्टेशन ले जाने को। किसी आदमी को कम्पेल नहीं किया जा सकता। यह बेगार होगी कि फलां वेहिकिल को लेकर फलां गांव तक लेकर चलो।

डाक्टर सीताराम—उसके अन्दर दो प्राविजो दिये हुए हैं। उनसे क्लियर हो जाता है कि क्या कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष—आप इसको अवैध नहीं मानते हैं?

श्री भगवती सिंह विशारद—हाई कोर्ट मानेगा।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस सदन को अपनी राय रखने का अधिकार है।

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७७,
विपक्ष में—३५।)

श्री नरेंद्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मुझे एक प्रस्ताव करना है कि आज सदन का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्तुत विधेयक के कार्य के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—यह कार्य ५ बजे समाप्त हो जायगा; उसके बाद दस मिनट बढ़ा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—यह बताया भी नहीं गया कि किस काम के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, कल जो इस सदन ने ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल जॉइन्ट सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने की अनुमति दी थी वह अपर हाउस से हो गया है। सिर्फ नाम सुनाने हैं। दो-तीन मिनट सिर्फ लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आदरणीय सदन की आज की बैठक ५ बजे के बाद दस मिनट तक और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७ व ८

उ० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २० का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा २० में :—

(१) उपधारा (२) में खंड (*dd*) निकाल दिया जाय तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) तथा (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(3) All rules made under this Act shall be published in the official *Gazette* and shall, unless some later date is appointed come into force on the date of such publication.

(4) All rules made under this Act shall be laid for not less than 14 days before the State Legislature as soon as they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid."

उ० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २१ का निकाल दिया जाना।

८—मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, किसी प्रचलित अधिनियम में जब कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह तभी प्रस्तुत किया जाता है जब प्रचलित अधिनियम में कोई बात उसके पूरी न हो, तभी हम संशोधन विधेयक लाते हैं। अगर इस समय जो प्रचलित अधिनियम है उसको देखा जाय तो उसमें २१ धारा के जरिये से वह सुविधा प्राप्त है। वे रूल्स जो इस मोटर वेहिकिल्स के सिलसिले में लागू करना चाहें उनको प्रचलित कर सकते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि :

"A draft of rules which it is proposed to make under this act shall be laid before (both houses of the State Legislature) and the rules shall not be finally made until (both Houses of the State Legislature have) had an opportunity of expressing an opinion on them."

अब माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त है उस पर अतिक्रमण करने जा रहे हैं। अब धारा २१ को हटाया जा रहा है जिसके अनुसार ड्राफ्ट सदन के सामने रखा जा सकता है। दूसरा सरफ दूसरी नई धारा बढ़ा कर इस सदन के अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं इसको समझ नहीं पाया कि क्यों माननीय मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। इस आदरणीय सदन के सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनको वह छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं खास तौर से वह विधान परिषद् के सदस्यों के अधिकारों को

छीन रहे हैं। इसलिये मैं यह अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो धारायें प्रस्तावित की हैं उनको वह वापस ले लें। इसके लिये मूल अधिनियम में धारा २१ मौजूद है जिससे यह काम हो सकता है जिसको वह चाहते हैं। इसलिए जो धारा निकालने का उनका संशोधन है उसको वह वापस ले लें।

श्री मोती लाल अरस्थी—अभी सदन ने यह निश्चय किया है कि पौने ५ बजे के बाद कोई संशोधन नहीं लिया जायगा। लिहाजा अब इस समय किसी संशोधन पर विवाद करने की इजाजत न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—यह ५ बजे तक पारित होगा। और यह आपका कोई प्रस्ताव भी नहीं हुआ।

डाक्टर सीतारम—खंड ४ और खंड ५ निकाल देने के लिये जो सेक्शन इसमें रखे गये हैं वह इसलिये रखे गये हैं कि वे आवश्यक प्रतीत नहीं होते। इसलिये उनको निकाल दिया गया है। साथ ही साथ जो रूल बनेंगे वह फार्म रूल में परिणत कर दिये जायंगे। फिर बाद को वह सदन के समक्ष लाये जायंगे। और फिर वह १४ दिन तक सदन की टेबिल पर रहेंगे। उनके अन्दर तरमीम करना होगा तो वह की जा सकती है। तरमीम होने पर फिर उनका नोटिफिकेशन करना होगा और फिर सरकार उनको लागू करेगी। इसलिये जो विरोध किया गया है मैं उस विरोध का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं राय ले लेता हूं और किसी संशोधन पर बहस नहीं होगी।

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की पहली अनुसूची (first Schedule) का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की पहली अनुसूची (first schedule) में :—

(१) अनुसूची (schedule) के भाग (Part) A तथा B के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं।

FIRST SCHEDULE

Article no.	Description of vehicle	Annual rate of tax
	PART A	Rs.
	Vehicles other than transport vehicles	
I	Cycles (including motor scooters and cycles with attachment for propelling the same by mechanical power) not exceeding 8 cwt. in weight unladen—	
	(a) Bicycles—	
	(i) not exceeding 200 lbs. in weight unladen	16
	(ii) exceeding 200 lbs. in weight unladen	28
	(b) Tricycles	32
	(c) Bicycles or tricycles used for drawing a trailer or a side-car, in addition to the rates above	4
II	Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including cycles and tricycles weighing more than 8 cwt. unladen)—	
	(i)—(a) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	48
	(b) exceeding 20 cwt. but not exceeding 35 cwt. in weight unladen	68
	(c) exceeding 35 cwt. but not exceeding 40 cwt. in weight unladen	92

Article no.	Description of vehicle	Annual rate of tax
		Rs.
	(ii) trailers drawn by vehicles covered by this article.. ..	20
	(iii) in the case of vehicles specified in (i), where two or more are owned by the same person—	
	(*a*) for that one of such vehicles on which the highest tax is leviable—the full tax.	
	(*b*) for each other of such vehicles—three-quarters of the tax leviable on such vehicle.	
III	Vehicles including cycles and tricycles weighing, more than 8 cwt. unladen constructed, or adapted for use, for the conveyance of more than six persons (exclusive of driver)—	
	(i) if fitted wholly with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	92
	(*b*) exceeding 20 cwt. but not exceeding 35cwt. in weight unladen	152
	(*c*) exceeding 35cwt. but not exceeding 50cwt. in weight unladen	200
	(*d*) exceeding 50cwt. but not exceeding 70 cwt. in weight unladen	292
	(*e*) exceeding 70cwt. but not exceeding five tons in weight unladen	376
	(*f*) exceeding five tons in weight unladen for every ton or part of a ton in excess of five tons	156
	(*g*) trailers drawn by vehicles covered by this article—	
	(*a*) to carry load not exceeding one ton	104
	(*b*) to carry load exceeding one ton	200
	(ii) if fitted with resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 33 1/3 per cent thereon.	
	(iii) if fitted with non-resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	
	PART B	
	Transport Vechicles	
IV	Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—	
	(1) with seating capacity for not more than three persons (exclusive of the driver)	120
	(2) with seating capacity for four persons (exlusive of the driver)	196
	(3) with seating capacity for more than four but not more than six persons (exclusive of the driver)	300
	(4) With seating capacity for more than six persons but not more than 20 persons (exclusive of the driver)—	
	for the first six seats	300
	With an addition for every seat in excess of six and up to twenty, of—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	24
	(*b*) if intended for use on a B class route	16
	(*c*) if intended for use on a C class route	12
	(5) With seating capacity for more than 20 but not more than 32 persons (exclusive of the driver)—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	for the first 20 seats	668
	for every additional seat	28
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	for the first 20 seats	552
	for every additional seat	24
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	for the first 20 seats	472
	for every additional seat	16
	(6) With seating capacity for more than 32 persons, exclusive of the driver—the tax payable under the foregoing clause for the first 32 seats with an addition, for every seat in excess of 32, of—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	56
	(*b*) if intended for use on a B class route	40
	(*c*) if intended for use on a C class route	24

Article no.	Description of vehicle	Annual rate of tax
		Rs.
V	Vehicles plying for hire for the conveyance of a limited number of passengers and the transport of a limited quantity of goods—the tax payable under Article IV in respect of the authorized number of passenger seats, together with an additional tax for every hundred weight of authorized load of goods—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	12
	(*b*) if intended for use on a B class route	8
	(*c*) if intended for use on a C class route	4
VI	Vehicles plying for hire for the transport of goods only—	
	(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	280
	(ii) for every additionl hundred weight of authorized load	10
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	252
	(ii) for every additional hundred weight of authorized load	8
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	228
	(ii) for every additional hundred weight of authorized load ..	6
	(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33 1/3 per cent thereon.	
	(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	
VII	Vehicles intended for use on a special route—The appropriate tax payable under Article IV, V, VI, or IX in respect of an A class route together with such additional tax not exceeding 50 per cent of such appropriate tax as may be prescribed by the State Government.	
VIII	Vehicle plying for hire in respect of which a tax has been paid under either of Articles IV, V, VI or VII when intended for use in special or temporary circumstances and for a limited period on a route or routes other than those over which they otherwise ply—	
	in addition to any tax paid under any of the foregoing articles, a tax at such weekly rate not exceeding Rs.22 as the State Government may prescribe, for every week or part of a week during which it is intended to use any such vehicles in such special or temporary circumstances :	
	Provided that nothing in this Article shall apply to a motor vehicle which is temporarily the subject of a private hiring agreement for the purpose of a specific journey :	
	Provided further that no additional tax shall be payable if a motor vehicle does not use the road or roads for which it is permanently licensed during the period it is temporarily allowed to ply on a route or routes other than those in respect of which it is permanently licensed.	
IX	Vehicles used for the carriage of goods in connection with a trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward—	
	(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	252
	(ii) for every additional cwt. of load	8
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	228
	(ii) for every additional cwt. of authorized load ..	8
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	204
	(ii) for every additional cwt. of authorized load ..	6

Article no.	description of vehicle	Annual rate of tax
	(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres together with an addition of 33 1/2 per cent thereon ; and (C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	
X	Tractor drawing a trailer and used for purposes other than agricultural purposes unless its combined unit makes an articulated vehicle— "A tax at the flat rate of Rs. 100 per annum, in addition to the tax paid in respect of the trailer or trailers drawn by it."	

(२) अनुसूची (schedule) के भाग (Part) C के खंड (5) में शब्द तथा अंक "IV, V, VI, or VII" के स्थान पर शब्द तथा अंक "IV to VII or IX रख दिये जायं ।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित अनुसूची के भाग A के खंड (1) में शब्द 'Cycle" के पहले शब्द "Motor" तथा खंड 1 (a) में शब्द "Bicycles" के पहले शब्द "Motor" बढ़ा दिया जावे।

डाक्टर सीताराम—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित अनुसूची के भाग A के खंड (1) में शब्द "Cycle" के पहले शब्द "Motor" तथा खंड 1 (a) में शब्द "Bicyles" के पहले शब्द "Motor" बढ़ा दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ९ के (I) (a) में शब्द 'Bicycles' को निकाल दिया जाय।

डाक्टर सीताराम—श्रीमन्, मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के (I) (a) में शब्द 'Bicycles' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब श्री भगवती सिंह जी का संशोधन है।

डाक्टर सीताराम—मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में First Schedule में आर्टिकिल नम्बर १ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे व्यक्त होने वाले प्रयोजनों के लिए यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३५ को संशोधित किया जाय ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह १ जनवरी, १९५९ से प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं श्रीमन्, इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--अधिक कहने का समय नहीं है। इतना काफी है।

प्रश्न यह है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं जो विधान परिषद् सचिवालय की तरफ से आयी है। वह इस प्रकार है:--

"आपके पत्र संख्या एल० ए०-१५७६/एस--३६९-५८, दिनांक ३ दिसम्बर, १९५८ के संदर्भ में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की नियमावली के नियम १९६/३ के अन्तर्गत मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ४ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में कृषि मंत्री का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ को उत्तरप्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन पांच दिन के अन्दर प्रस्तुत करे, स्वीकार कर लिया है।

[श्री अध्यक्ष]

२--विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त समिति पर कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है :--

(१) श्री वीरेन्द्र स्वरूप,
(२) श्री मदन मोहन,
(३) श्री इन्द्र सिंह नयाल,
(४) श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़,
(५) श्री एम० जे० मुकर्जी,
(६) श्री राजाराम शास्त्री,
(७) श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी,
(८) श्री प्रताप चन्द्र आजाद।"

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष--अब इस आदरणीय सदन का यह कार्य है कि अपने यहां के सदस्यों को निर्वाचित करे ।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के निम्नलिखित १६ सदस्य निर्वाचित किये जायं :--

(१) श्री फतेह सिंह राणा,
(२) श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
(३) श्री शिवराज सिंह,
(४) श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट,
(५) श्री जगदीश शरण अग्रवाल,
(६) श्री जयराम वर्मा,
(७) श्री ब्रज गोपाल सक्सेना,
(८) श्रीमती सुनीता चौहान,
(९) श्री अजीज इमाम,
(१०) श्री वीर सेन,
(११) श्री टम्बरेश्वर प्रसाद,
(१२) श्री देवी प्रसाद मिश्र,
(१३) श्री नारायणदत्त तिवारी,
(१४) श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
(१५) श्री भीखा लाल,
(१६) श्री प्रताप सिंह।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के निम्नलिखित १६ सदस्य निर्वाचित किये जाय --

(१) श्री फतेह सिंह राणा
(२) श्री सुरेश प्रकाश सिंह
(३) श्री शिवराज सिंह
(४) श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
(५) श्री जगदीश शरण अग्रवाल
(६) श्री जयराम वर्मा
(७) श्री ब्रज गोपाल सक्सेना
(८) श्रीमती सुनीता चौहान
(९) श्री अजीम इमाम
(१०) श्री वीर सेन
(११) श्री टम्बरेश्वर प्रसाद
(१२) श्री देवी प्रसाद मिश्र
(१३) श्री नारायणदत्त तिवारी
(१४) श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
(१५) श्री भोला लाल
(१६) श्री प्रताप सिंह

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब इस समिति में कृषि मंत्री नियम के अनुसार इसके सदस्य रहेंगे ही। मैं उन्हीं को इस संयुक्त प्रवर समिति का सभापति मनोनीत करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
४ दिसम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१७ पर ।)

प्रति वर्ष बिक्री की मात्रा

नाम वस्तु	१९५६	१९५७	१९५८ (१ जनवरी से ३० सितम्बर तक)
शराब	१७,०२३ गैलन ..	१५,६९५ गैलन ..	१२,३९१ गैलन।
गांजा	९ सेर १२ छटांक ..	१ सेर ८ छटांक ..	४ छटांक ।
भांग	७१ मन १९ सेर ..	७५ मन १२ सेर ..	५७ मन ३० सेर ।
अफीम	१ मन २६ सेर ८ छटांक ..	१४ सेर ८ छटांक ..	२ सेर ८ छटांक ।
मुनाफे की रकम	४१०९५८·५०	४०६८९८·९२	२२९९३६·६०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर।)

१--फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री रामगढ़, जिला नैनीताल के विस्तार की योजना कार्यान्वित की गई ।

२—(क) बाजपुर, जिला नैनीताल में एक सहकारी चीनी मिल संस्थापित की जा रही है जो १९५८-५९ सीजन में पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देगी।

(ख) किच्छा, जिला नैनीताल में एक ज्वाइंट स्टाक शुगर फैक्ट्री संस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र Import licence दिये जाने के लिये भारत सरकार से आग्रह किया गया है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२६ पर।)

उत्तर प्रदेश के उन विदेशी शासकों की मूर्तियों की सूची जिन्हें सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया गया है

क्रम-संख्या	मूर्तियों का विवरण		स्थान
१	२		३
१	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	म्युनिसिपल पार्क, बुलन्दशहर।
२	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	विक्टोरिया पार्क, मथुरा।
३	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	मेक्डोनेल्ड पार्क, आगरा।
४	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	विक्टोरिया पार्क, एटा।
५	एडवर्ड सप्तम की मूर्ति	..	सिविल अस्पताल, बिजनौर।
६	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	विक्टोरिया पार्क, बदायूं।
७	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	परेड मैदान, फर्रुखाबाद।
८	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	फूलबाग, कानपुर।
९	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	सिरसैय्या घाट, कानपुर।
१०	लार्ड राबर्ट्स की मूर्ति	..	शेरा बाबू पार्क, मूलगंज, कानपुर।
११	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	अल्फर्ड पार्क, इलाहाबाद।
१२	जार्ज पंचम की मूर्ति	..	अल्फर्ड पार्क, इलाहाबाद।
१३	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	मिन्टो पार्क, इलाहाबाद।
१४	एडवर्ड सप्तम की मूर्ति	..	मिन्टो पार्क, इलाहाबाद।
१५	जार्ज पंचम की मूर्ति	..	मिन्टो पार्क, इलाहाबाद।
१६	अर्ल मेयो की मूर्ति	..	मेयो हाल, इलाहाबाद।
१७	श्री रेडिचो, जिलाधीश, बनारस की मूर्ति		टाउन हाल, वाराणसी।
१८	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	बनिया पार्क, वाराणसी।
१९	लार्ड रिडिंग की मूर्ति	..	जनकपुर तिरमोहनी रामनगर, वाराणसी।
२०	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	टाउन हाल, गोरखपुर।
२१	जार्ज पंचम की मूर्ति	..	क्लब हाउस, पडरौना राज, देवरिया।
२२	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	कम्पनी गार्डन, चौक, लखनऊ।
२३	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	विक्टोरिया पार्क, लखनऊ।
२४	जार्ज पंचम की मूर्ति	..	हजरतगंज, लखनऊ।
२५	हारकोर्ट बटलर की मूर्ति	..	कैसरबाग बारादरी, लखनऊ।
२६	मारक्विस हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल की मूर्ति	..	अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, कैसरबाग, लखनऊ।
२७	जनरल सर हेनरी हैवलक की मूर्ति	..	अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, कैसरबाग, लखनऊ।
२८	एक अंग्रेज सज्जन की मूर्ति	..	अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, कैसरबाग, लखनऊ।

क्रमा संख्या	मूर्तियों का विवरण		स्थान
१	२		३
२९	एन्थोनी पेट्रिक मेकडालेन्ड की मूर्ति	..	कैसरबाग बारादरी, लखनऊ ।
३०	सर जोन वुडबर्च गवर्नर, बंगाल की मूर्ति	..	कैसरबाग बारादरी, लखनऊ ।
३१	जनरल बैरो, चीफ कमिश्नर की मूर्ति	..	कैसरबाग बारादरी, लखनऊ ।
३२	मेल्कम हैलो की मूर्ति	..	मार्बल हाल, कौंसिल हाउस, लखनऊ।
३३	हारकोर्ट बटलर की मूर्ति	..	मार्बल हाल, कौंसिल हाउस, लखनऊ ।
३४	विलियम मैरिस की मूर्ति	..	मार्बल हाल, कौंसिल हाउस, लखनऊ ।
३५	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	लेडी, डफरिन अस्पताल,सीतापुर।
३६	महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	..	अयोध्या, जिला फैजाबाद ।
३७	महाराजा एडवर्ड सप्तम की मूर्ति	..	घंटाघर, बहराइच ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर।)

झांसी–कालपी रूट के परमिट के लिये कुल ४३३ प्रार्थनापत्र आये थे उनमें झांसी व जालौन जिला तथा अन्य क्षेत्रों के जिलों से आये हुये प्रार्थना-पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

झांसी	..	१०८
जालौन	..	११२
फर्रुखाबाद	..	१३
फतेहपुर	..	५
बांदा	..	७
इटावा	..	४५
कानपुर	..	६९
इलाहाबाद	..	२९
हमीरपुर	..	९
आगरा	..	१
मैनपुरी	..	२४
फैजाबाद	..	२
उन्नाव	..	१
लखनऊ	..	२
हरदोई	..	१
जौनपुर	..	१
वाराणसी	..	१
मुजफ्फरनगर	..	२
मंडेर (मध्य प्रदेश)	..	१
जोड़	..	४३३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०––२७५ एल० ए०––१९५८––८४० ।